वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा

CLAW - 03

महिलाओं के सन्दर्भ में वैधानिक बोध

1

CLAW-03

महिलाओं के सन्दर्भ में

वैधानिक बोध

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

1

इकाई-1 भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित प्रावधान	5–11
इकाई-2 पुलिस एवं न्यायिक हिरासत मे महिलाओं के संबंध मे कानूनी प्रावधान	12–17
इकाई-3 महिला तथा पारिवारिक कानून-विशेष विवाह अधिनियम, तलाक भरण पोषण महिला एवं स्वस्थ्य कानून (गर्भपात सहित)) इत्यादि में महिलाओं से संबंधित प्रावधान	18–28
इकाई-4 फ़ौजदारी कानून मे महिला से संबंधित प्रावधान जैसे- बलात्कार, छेड़-छाड़, बालिका बलात्कार इत्यादि से संबंधित कानूनी प्रावधान	29–34
इकाई-5 कार्यरत महिलाएं एवं उद्यमी महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधान	35–48
इकाई-6 महिलाओं के द्वारा थाना, अदालत, लोक अदालत इत्यादि में प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध मे विशेष प्रावधान	49–51
इकाई-7 महिलाओं से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का घोषणा-पत्र (चार्टर) (वैधानिक दृष्टिकोण से)	52–58
इकाई-8 महिलाओं से संबंधित मानवाधिकार प्रावधान	59–65
इकाई-9 महिलाओं से संबंधित विवाह संबंधी अधिकार	66–78
इकाई-10 महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार	79–85

पाठ्यक्रम विकास समिति

Writers	Vetters	
Dr B.N. Shukla डा. बी.एन. शुक्ला Former Prof.& Head Dept. of Labour & Social Welfare Patna University,Patna	Prof. Jagdish Narayan Chaubey प्रो. जगदीश नारायण चौबे Former Prof. of Hindi Science College, Patna	Awadhesh K. Narayana अवधेश के. नारायण लेखक एवं पत्रकार
Prof. Shyam Nandan Shastri प्रो. श्याम नन्दन शास्त्री Former Prof. of Hindi Patna College, Patna	D.P. Upadhyay दुर्गा प्रसाद उपाध्याय भूतपूर्व प्रोफेसर, पटना लॉ कॉलेज पटना विश्वविद्यालय	Prof. Siyaram Tiwary प्रो. सियाराम तिवारी Former Prof. of Hindi Shanti Niketan Bolpur,West Bengal Reviewer Sh.Subash Sharma,IAS
Chandra Kishore Jha चन्द्र किशोर झा अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय पटना	Pramod Kumar Singh प्रमोद कुमार सिंह पत्रकार	Co-ordinator Dr.P.C. Pandey

पाठ्यक्रम पुनः निरीक्षण समिति

- डा. आर.वी. व्यास, कुलपति
  वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
- प्रो. सतीश शास्त्री, प्रोफेसर व डीन
  विधि महाविद्यालय,राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
- श्रीमती मंजु शास्त्री
  संकाय सदस्य,विधि महाविद्यालय
  राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
- श्री सुधीर खेर
  संकाय सदस्य
  वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
- श्री योगेश शर्मा
  संयोजक, पाठ्यक्रम व संकाय सदस्य
  वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अकादमिक प्रशासनिक व्यवस्था

- **डॉ. आर.वी. व्यास, कुलपति**
- **श्री योगेश शर्मा, संयोजक**
- **डॉ. पी.के. शर्मा, निदेशक, पा. सा. उ. एवं वि. विभाग**

पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग

- **योगेन्द्र गोयल**
  सहायक उत्पादन अधिकारी

Publish in October-2005

Nalada Open University (Estd. 1987)

All rights resrerved. No part of this book may be reproduced in any form by mimeography or any other means without permission in writing of Nalanda Open University.

Published by Verdhaman Mahaveer Open University,Kota on behalf of Nalanda Open University,Patna

Sponsered by UNICEF, Patna

इकाई-1 भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित प्रावधान

पाठ-संरचना' (Lesson Structure)

1.0 उद्देश्य (Objective)

1.1 परिचय (Introduction)

1.2 भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित प्रावधान (Provision Related with Women in Indian constitution)

1.3 महिलाओं के संदर्भ में संवैधानिक अधिकार: एक समीक्षात्मक टिप्पणी (Constitutional Rights in Reference of women: Analysis)

1.4 सारांश (Summing -up)

1.5 अभ्यास के प्रश्न (Question for Excercise)

1.6 प्रस्तावित पाठ (Suggested Reading)

1.1 परिचय (Introduction)

भारत का संविधान समता एवं समानता के मूल सिद्धांत पर विकसित है । यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है । इसमें 395 अनुच्छेद एवं 9 अनुसूचियां हैं, जिनमें महिलाओं को विशेष रूप से अधिकार प्राप्त है । वैसे, नागरिकों को नैसर्गिक रूप से, स्वतंत्र रूप से स्वयं को विकसित करने के प्रावधान हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं । परन्तु महिलाओं की दयनीय. स्थिति को ध्यान में रखते. हु ए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं ।

नागरिकों के अधिकारों और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास की नीतियों की व्याख्या, भारत के संविधान में क्रमश: अध्याय तीन जिसमें राज्य की नीति-निर्देशक तत्व शीर्षक में की गई है ।

इनमें उन शोषित व्यक्तियों और समूहों के निजी, संस्थागत तथा सामाजिक व्यवस्थागत भेद-भावों को मिटाने के यथोचित प्रयास किए गए हैं । इसमें भिन्नता या अभिन्नता के अलावा प्रतिकूल परिस्थितियों की विवेचना की गई हैं और उन्हें दूर करने के उपायों पर बल दिया गया है ।

महिलाएं शोषित और वंचित रही है । उन्हें समाज में सामान्यतया विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है । चाहे महिला घर की चारदीवारी में बन्द हो; चाहे महिला घर से बाहर काम करने जाती हो; उन्हें पग-पग पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सजग रहना पड़ता है ।

पुरूष सत्तात्मक समाज होने के नाते उनकी स्थिति दोयम दर्जे की हैं । यह सर्वविदित है । सर्वमान्य है । स्व प्रजातांत्रिक नागरिक होने के नाते उन्हें समता-समानता के आधार पर अलग से सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है ।

भारत की संस्कृति में महिला का सम्मान सर्वोपरि है । कहा जाता है कि नारी की पूजा जिस समाज में की जाती है । उस समाज में, उस स्थान पर देवता का वास होता है । महिलाओं को मां के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है । लेकिन अपसंस्कृति के कारण आज महिलाएं दोयम दर्जे की होकर जीवनयापन कर रही हैं । महिलाओं की इस स्थिति को रेखांकित करते हु ए उन्हें यथोचित न्याय, जीवन

जीने का अधिकार, उनके अस्तित्व की रक्षा तथा स्मिता को सुरक्षा प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है ।

भारतीय संविधान में आप अध्ययन करेंगे कि महिलाओं को किस प्रकार के अधिकार और उनकी सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं ।

आइए! हम अध्ययन करें इस इकाई में, भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित प्रावधान।

1.2 भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित प्रावधान (Provision Related with Women in Indian Constitution)

भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान हैं ।

संविधान के भाग-3 मूल अधिकार शीर्षक में, समता का अधिकार उपशीर्षक में, अनुच्छेद-14 का अवलोकन किया जा सकता है, जिसमें विधि के समक्ष समता की व्याख्या की गई है । उसमें उद्धृत पंक्तियां इस प्रकार हैं- राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा ।

ठीक उसके आगे अनुच्छेद- 15 में वर्णित है कि "धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध उपशीर्षक में उद्धृत हैं-

1. राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

2. कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या

(ख) पूर्णत : या भागत: राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुंओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता दायित्व निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा ।

3. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों को लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

अनुच्छेद - 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता शीर्षक में उद्धृत हैं -

(क) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी ।

(ख) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उनसे विभेद किया जाएगा ।

4. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है; नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगा ।

शोषण के विरूद्ध अधिकार के उप शीर्षक में उद्धृत है - अनुच्छेद- 23 मानव के दुर्व्यापार या बलात् श्रम का प्रतिषेध -

(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी । ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म ,मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

संविधान के भाग- 4 'राज्य की नीति के निदेशक तत्व " शीर्षक में अनुच्छेद - 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों का अवलोकन किया जा सकता है । ये उद्धृत हैं-

(क) पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो, जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम
रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण हो.

(घ) पुरुषों और स्त्रियों, दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;

(ङ) पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;

(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए ।

अनुच्छेद- 39 क. सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता- राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करें कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए । उपयुक्त विधान या स्कीम या किसी रीति से नि :शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा ।

अनुच्छेद- 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध- राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा ।

अनुच्छेद- 51 क का (ड) में उद्धृत है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो संविधान में 73वां संशोधन अनुच्छेद 243 डी (3) के तहत जिसमें यह

प्रावधान है कि पंचायतों में कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये बारी बारी से पंचायत के विभिन्न वार्डों में महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती है ।

इसके साथ -साथ अनुच्छेद 243 डी (2) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि 243 डी (1) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों 7 जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें उस श्रेणी की महिला के लिए आरक्षित रहेंगी।

अनुच्छेद 243 डी (4) के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी ।

संविधान के 74 वें संशोधन (1992) में अनुच्छेद 243 टी (3) के अन्तर्गत नगरपालिका की कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, जो विभिन्न वार्डों में बारी-बारी से आरक्षित की जा सकती हैं ।

अनुच्छेद 243 टी (2) के अनुसार अनुसूचित जातियों 7 जनजातियों के लिए आरक्षित सीटो में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी ।

अनुच्छेद 243 टी (4) के अंतर्गत नगरपालिका के अध्यक्षों का पद राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार आरक्षित किया जा सकता है ।

1.3 महिलाओं के संवैधानिक अधिकार: एक समीक्षात्मक टिप्पणी (Constitutional Right Reference of Women: Analysis)

भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार-और सुरक्षा का प्रावधान जिन अनुच्छेदों में किया गया है, उनमें संविधान का अनुच्छेद- 14 समता का अधिकार है ।

अनुच्छेद- 14 की समीक्षात्मक टिप्पणी इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है । श्री सुभाष शर्मा इस सन्दर्भ में कहते ई कि

1. विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत इंग्लैण्ड से लिया गया है । यह एक नकारात्मक सिद्धांत है जहां इसे विधि का शासन कहा जाता है । अर्थात सभी व्यक्तियों पर समान रूप से राष्ट्र का कानून लागू होगा और इसके प्रयोग में किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नही प्राप्त होगा ।
2. कानूनों की समान सुरक्षा अमेरिकी सकारात्मक अवधारणा है, जिसके अनुसार समान प्रस्थितियों में सभी व्यक्तियों को कानून की समान सुरक्षा मिलेगी ।
3. यह अधिकार सभी भारतीय नागरिकों के अलावा भारत में रह रहे विदेशियों को भी मिला है।
4. यह राज्य (विधायिका एवं कार्यपालिका) का दायित्व है, स्वविवेक नहीं ।
5. सिद्धान्त न केवल दो व्यक्तियों के बीच बल्कि व्यक्ति और निगम या राज्य के बीच भी लागू होगा ।
6. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन (कोई व्यक्ति बिना सुनवाई किए दंडित नहीं होगा) समता के अधिकार के तहत आता है।
7. यदि खुद संविधान में कोई विभेद किया गया हो, तो वहां अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा।

अनुच्छेद 15 (1) राज्य किसी नागरिक के साथ मात्र धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा । इस सन्दर्भ में श्री सुभाष शर्मा कहते हैं ।

1. संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 एक दूसरे के पूरक हैं, पर जहां अनुच्छेद 14 सामान्य प्रकृति का है, वहा अनुच्छेद 15 विशिष्ट प्रकृति का है ।

2. अनुसूचित जाति 7जनजाति एवं सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है।

अनुच्छेद 15 (2) के सन्दर्भ में श्री सुभाष शर्मा कहते हैं कि-

निजी संस्थाओं में अनुच्छेद 15 लागू नहीं होगा : -

3. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 और 17 जिसमें एक पति-पत्नी विवाह के प्रावधान हैं, धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह अधिनियम उन गैर हिन्दुओं पर भी लागू होता है, जिन्होंने हिन्दुओं के निजी कानून अपनाए हैं ।

4. बहु पति-पत्नी विवाह की छूट वाले निजी कानूनों के प्रावधान लिंग के आधार पर महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव नहीं है । (ए.आई.आर आर. 1952, पृ. 84)

5. 5 15 (1) वैधिक समानता है जबकि अनुच्छेद 15 (3) वास्तविकता समानता है ।

अनुच्छेद 16 (1) के सन्दर्भ में श्री सुभाष शर्मा की टिप्पणी है कि-

1. संविधान में वर्णित किसी विभेद के प्रावधान इस अनुच्छेद के उल्लंघन नहीं होंगे ।

2. अनुच्छेद 16 (1) वैधानिक समानता है, जबकि अनुच्छेद 16 (4) वास्तविक समानता है ।

3. अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 एक दूसरे के पूरक है, जहां अनुच्छेद 14 सामान्य प्रकृति का हैं, वहीं अनुच्छेद 16 विशिष्ट प्रकृति का है ।

4. इनमें राज्य के संवैधानिक दायित्व पर ज्यादा बल है जबकि अनुच्छेद 31 में व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार पर ज्यादा बल है । (ए.आई.आर. 1968 पटना पृ.3)

5. मेडिकल कॉलेज में भर्ती हेतु राज्य का भूभागीय विभाजन अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नही है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 (1) के सन्दर्भ में श्री सुभाष शर्मा की टिप्पणी इस प्रकार है-

1. मानव व्यापार में महिला का अनैतिक देह व्यापार भी शामिल है । (सन्दर्भ ए.आई.आर. 1953 कलकत्ता पृ. 522 एवं ए.आई.आर. 1990 एस.सी. पृ. 412)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 (क) सन्दर्भ में, भी सुभाष शर्मा, भाप्रसे. अपनी पुस्तक 'भारतीय महिलाएं दशा एवं दिशा' में समीक्षात्मक टिप्पणी इस प्रकार देते हैं कि ये प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अन्तर्गत हैं । जिन्हें लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, जबकि धाराएं 14-30 मूलाधिकार होने के नाते राज्य के लिए बाध्यकारी हैं ।

39 (ख) - यद्यपि हॉकरों को गालियों में व्यवसाय करने का अधिकार नहीं है, परन्तु यह राज्य का दायित्व है कि उन्हें वैकल्पिक जगह मुहैया कराए, जिससे वे अपना कारोबार कर सकें । (ए.आई.आर- 1084 मद्रास पृ. 292)

(ग) भौतिक संसाधनों में प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ चल एवं अचल सम्पत्तियां भी शामिल है । (ए.आइ.आर. 1984 सुप्रीम कोर्ट पृ. 292)

(घ) आकस्मिक या अस्थाई कर्मचारी को भी वही वेतन/मजदूरी पाने का हक है, जो स्थाई कर्मचारी को मिलता है, बशर्तें दोनों स्व तरह का काम करते हों ।

(ङ) कैदी कामगार भी उचित मजदूरी के हकदार हैं (ए.आई.आर. 1 1983, केरल पृ. 261)

अनुच्छेद-39-ए के सन्दर्भ में श्री सुभाष शर्मा की समीक्षात्मक टिप्पणी इस प्रकार है- बचाव के अधिकार का मतलब विचारण (ट्रायल) के दौरान प्रभावकारी एवं समर्थक बचाव हो, इसलिए यह राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि यह जरूरतमन्द अभियुक्त को प्रभावकारी बचाव के लिए मुक्त वैधिक सदस्यता मुहैया कराए (ए.आई.आर. 1981 सुप्रीम कोर्ट पृ. 928)

(ख) न्याय तक प्रभावकारी पहुंच महत्वपूर्ण मानवाधिकार है ।

अनुच्छेद 42 के सन्दर्भ में श्री सुभाष शर्मा की समीक्षात्मक टिप्पणी इस प्रकार है-

काम करने के लिए समुचित सुविधाएं यथा पीने का पानी, शौचालय, कैंटिन, सफाई, चिकित्सा, आदि उपलब्ध कराई जानी चाहिए । अनुच्छेद 51 -ए के सन्दर्भ में टिप्पणी इस प्रकार है-

(क) मौलिक कर्तव्य समादेश के जरिए लागू नहीं किए जा सकते ।

(ख) कोई नागरिक मौलिक कर्तव्यों के लिए दावा नहीं कर सकता कि उसे राज्य द्वारा ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिससे वह उन मौलिक कर्तव्यों का पालन कर सके ।

1 .4 सारांश (Summing- up)

भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने का प्रावधान है । स्पष्ट है कि ये सब महिलाओं के लिए भी समान रूप से लागू हैं ।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद - 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद- 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध, अनुच्छेद- 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता; अनुच्छेद-23 में मानव के दुव्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध; अनुच्छेद-39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व; विधिक सहायता; अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध 51क (ड़) मूलकर्तव्य के तहत महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध अधिकार; 73वे एवं 74वे संशोधन में ग्राम पंचायतों/नगरपालिका में कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं । उपर्युक्त प्रावधानों में महिलाओं को सम्मानपूर्वक, अपने नैसर्गिक गुणों के विकास के साथ-साथ समता, समानता के अधिकार के अलावा विशेष रूप से उनके संरक्षण का अधिकार प्राप्त है । मुख्य रूप से महिलाओं को मानवी समझा जाए ।

1.5 अभ्यास के प्रश्न (Question for Excercise)

प्रश्न 1. भारतीय संविधान में महिलाओं के कौन-कौन प्रावधान है? विवेचना करें ।

2. भारतीय संविधान में महिलाओं के सन्दर्भ में मूल कर्तव्य के रूप में क्या प्रावधान है? विवेचना करें।

3. भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता का अधिकार क्या है? विवेचना करें ।

4. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता का उपबंध है? विवेचना करें ।

5. भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में महिलाओं के संदर्भ में किस विषयगत आरक्षण नीति का प्रावधान है? विवेचना करें।

1.6 प्रस्तावित पाठ (Suggested Reading)

1.	भारतीय महिलाएं	:	दशा एवं दिशा
	लेखक	:	श्री सुभाष शर्मा, भाप्रसे
	प्रकाशक	:	शताब्दी प्रकाशन, 2 सूर्या विहार, आशियाना नगर,पटना 800 025
2.	स्रोत	:	भारतीय संविधान, 'कुरुक्षेत्र' एवं 'योजना' पत्रिकाएं

इकाई-2 पुलिस एवं न्यायिक हिरासत में महिलाओं के सम्बन्ध में कानूनी प्रावधान

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

2.0 उद्देश्य (Objective)
2.1 परिचय (Introduction)
2.2 पुलिस एवं न्यायिक हिरासत संबंधी संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provision Related with Police & Justice custody)
2.3 पुलिस एवं न्यायिक हिरासत में महिलाओं के संबंध में कानूनी प्रावधान (Legal Provision Related with Police & Justice custody)
2.4 सारांश (summing-up)
2.5 अभ्यास के प्रश्न (Question for Excercise)
2.6 प्रस्तावित पाठ (suggested reading)

2.0 उद्देश्य (Objective)

महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराना; उन्हें जागरूक बनाना; आत्म निर्भरता के साथ जीना सीखाना; कुल मिलाकर उन्हें सशक्त बनाना, ताकि महिलाएं अपनी दयनीय स्थिति से उबर सकें । पुरुषों से प्रताड़ित न हों और समाज में दोयम दर्जे की स्थिति से निबट सकें । इसके लिए अपने अधिकारों के प्रति उनमें स्पष्ट समझ विकसित करने के लिए इस इकाई में पुलिस एवं न्यायिक हिरासत में महिलाओं के सम्बन्ध में कानूनी प्रावधान क्या हैं, इनकी व्याख्या की गई है । इन प्रावधानों के मूल में हमारे संवैधानिक उपबंध क्या हैं, इसकी भी व्याख्या की गई है । मुख्यत: निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- संवैधानिक प्रावधानों के प्रति सजग होना ।
- उन प्रावधानों के अनुपालन में बने कानूनों की स्पष्ट समझ विकसित करना ।
- कानून की स्पष्ट समझ से जीवन को बेहतर ढ़ंग से जीना, अपनी सुरक्षा, स्मिता की रक्षा करने के प्रति सजग रहना ।

2.1 परिचय (Introduction)

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है । इसके संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता मूल मंत्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं । प्रत्येक नागरिक को K अधिकार के रूप में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है ।

समता का अधिकार शीर्षक के तहत अनुच्छेद- 14 में "विधि के समक्ष समता' ' के अधिकार का प्रावधान है । अनुच्छेद 20 में "अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबध में संरक्षण अनुच्छेद-22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है।

इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कानून बनाए गए है, जिनमें महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा गया है ।

आइए, इस इकाई में हम अध्ययन करें कि पुलिस एवं न्यायिक हिरासत में महिलाओं के सन्दर्भ में कानूनी प्रावधान क्या है ।

पुलिस और न्यायिक हिरासत में महिलाओं के सम्बन्ध में कानूनी प्रावधान का आधार संविधान का उपर्युक्त वर्णित उपबंध है ।

2.2 पुलिस एवं न्यायिक हिरासत संबंधी संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provision Related with Police & Justice Custody)

पुलिस एवं न्यायिक हिरासत संबंधित निम्नलिखित उपबंध संविधान में उल्लिखित हैं । इस सन्दर्भ में मौलिक अधिकार के तहत 'समता का अधिकार' शीर्षक का अध्ययन किया जा सकता है । समता का अधिकार शीर्षक के तहत अनुच्छेद- 14 'विधि के समक्ष समता' में स्पष्ट उल्लिखित है कि - राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा । अनुच्छेद-20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में उल्लिखित है

(1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित हैं, किसी प्रवृत विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शस्ति का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी ।

(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा ।

(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरूद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं करेगा ।

अनुच्छेद-21 में "प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण' में उल्लिखित है कि - किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

अनुच्छेद-22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण शीर्षक में उल्लिखित है कि

(1) किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ़्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रूचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित रखा जाएगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरूद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और

ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रखा जाएगा ।

2.3 पुलिस एवं न्यायिक हिरासत में महिलाओं के संबंध में कानूनी प्रावधान (Legal Provision Related with Police & Justice Custody)

भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों/उपबंधों के आलोक में भारत सरकार ने कई तरह के कानून बनाए हैं, जिनमें महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के सन्दर्भ में निम्नलिखित कानून हैं ।

(1) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 47(2) के अनुसार यदि पुलिस किसी ऐसे घर की तलाशी वारंट के तहत ले रही हो, जहां कोई अभियुक्त रहता हो, किन्तु उस घर में कोई महिला भी रहती हो, जो रीति-रिवाज के अनुसार आम लोगों के बीच न जाती हो (और वह स्वयं अभियुक्त न हो) तो पुलिस ऐसे घर में घुसने के पूर्व उस महिला को सूचित करेगी कि वह महिला अलग हट जाने के लिए स्वतंत्र है और उसे अलग हटने के लिए पुलिस उचित सुविधा देगी । उसके बाद ही पुलिस उस घर को खोलकर अन्दर घुस सकेगी ।

(2) धारा 51 (2) के अनुसार किसी महिला अभियुक्त की तलाशी सिर्फ किसी महिला द्वारा ही ली जा सकती है, जो शिष्टता का पूरा ख्याल रखेगी। (इसका यह भी आशय है कि महिला अभियुक्त की महिला द्वारा तलाशी के दौरान पुरूष मौजूद न हो- (मोतीलाल बनाम स्टेट 1958, 24 cut एल.ओ. पृ. 445) ।

(3) धारा 53 (2) के अनुसार यदि किसी महिला अभियुक्त के शरीर की मेडिकल जांच की जरूरत हो तो उसकी जांच सिर्फ चिकित्सक द्वारा या महिला चिकित्सक के पर्यवेक्षण में ही की जा सकती है ।

(4) धारा 98 के अनुसार यदि अवैध उद्देश्य हेतु किसी महिला या 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के अपहरण या अवैध नजरबन्दी की शिकायत शपथ के साथ प्राप्त हो, तो जिला मजिस्ट्रेट, अनुमंडल मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट उस महिला को तत्काल छोड़ने या वैध प्रभारी को सौंपने का आदेश दे सकता है और उस आदेश के अनुपालन हेतु वह आवश्यक बल का प्रयोग करा सकता है ।

(5) धारा 100(3) के अनुसार यदि किसी ऐसे बन्द स्थल पर ऐसी महिला की तलाशी ली जानी हो, जिस पर कोई सामान छिपाने की समुचित संदेह हो, तो उसकी तलाशी किसी दूसरी महिला के द्वारा ही ली जाएगी और वह शिष्टता का पूरा ख्याल रखेगी।

(6) धारा 160 (1) के अनुसार किसी अपराध का अनुसंधान करने वाला पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपने समक्ष हाजिर होने का लिखित आदेश दे सकता है यदि वह व्यक्ति उस मामले में तथ्यों व परिस्थितियों से अवगत हो और उस व्यक्ति को वहां हाजिर होना पड़ेगा, किन्तु 15 वर्ष से कम उम्र के पुरूष या किसी भी उम्र की स्त्री को उसके निवास के सिवा दूसरे स्थान पर नहीं बुलाया जा सकता ।

(7) धारा- 416 के अनुसार यदि मृत्युदंड की सजायाप्ता औरत गर्भवती हो, तो उच्च न्यायालय उस सजा को स्थगित कर सकता है अथवा यदि उचित समझे तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास की सजा में बदल सकता है ।

बिहार पुलिस मैनुअल 1978 (जिल्द1)

(8) नियम 214 के अनुसार यदि कोई घाव या चोट खतरनाक हो तो, अनुसंधान अधिकारी उस चोट लगे व्यक्ति का बयान एक मजिस्ट्रेट से दर्ज कराने के लिए तत्काल उपाय करेगा । (इसका उपयोग दहेज आदि के लिए ससुराल में मारी पीटी जाती महिलाओं के बारे में किया जा सकता है । हर राज्य के पुलिस मैनुअल में ऐसा प्रावधान है ।

(9) नियम 215 (बी) के अनुसार किसी भी व्यक्ति, महिला या पुरूष की चिकित्सा जांच उसकी सहमति प्राप्त किए बिना नहीं की जाएगी । (यौनाचार के मामले में इसका उपयोग किया जा सकता है ।)

(10) नियम 216 (8) के अनुसार जिन चीजों की रासायनिक जांच की जरूरत हो तो उन्हें. बिहार विधि विज्ञान प्रयोग शाला, पटना में भेज दिया जाएगा । इन्हें न्यायिक दण्डाधिकारी की मार्फत पूरी विवरणी के साथ भेजा जाएगा ।

(11) नियम 216 (6) के अनुसार इस रासायनिक जांच का फलाफल थाना प्रभारी को तुरंत भेज दिया जाएगा और मूल प्रतिवेदन न्यायिक दंडाधिकारी के अभिलेख में लगा दिया जाएगा । (इसका उपयोग के मामले में पीड़ित महिला के अन्दरूनी वस्त्रों पर वीर्य की जांच, अवैध गर्भ के बच्चे की पैतृकता के निर्धारण में डी.एन.ए. टेस्ट आदि हेतु किया जाना है ।)

(12) नियम 219 (1) के अनुसार खून और वीर्य के धब्बों की जांच हेतु अग्रसारण -पत्र भेजने के समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(क) पी.एस. फार्म नं. 46 में स्व प्रमाण-पत्र संलग्न हो ।

(ख) यह भी लिखा जाए कि क्या उनमें से किसी मरीज में वीर्य के धब्बे या मानव रक्त की बजाए पशुरक्त उस संदेह वाले पशु का नाम - का धब्बा तो नहीं मिला है?

(ग) भारतीय दंड संहिता की सम्बन्धित धाराओं का उल्लेख हो, जिनके तहत उक्त कोड दर्ज किया गया हो और पुलिस प्रतिवेदन की स्व प्रति भी उनके साथ दी जाएगी ।

(घ) मामले के विभिन्न आयामों का पूरा चिकित्सकीय वैधिक विवरण दिया जाए ।

(दहेज, हत्या, बलात्कार, व्यभिचार आदि के मामलों में इसका उपयोग किया जा सकता है । प्राय: अनुसंधान अधिकारी इस संबंध में लापरवाही बरतते हैं ।)

(13) नियम 20 के अनुसार चिकित्सा अधिकारी और रासायनिक जांचकर्ता को अप्राकृतिक मृत्यु, जिसमें शव परीक्षण जरूरी हो अथवा किया गया हो, के मामले में पुलिस द्वारा हर संभव पूरी सूचनाएं दी जानी चाहिए । (औरतों को बदनीयति से पानी में डुबाकर उसे अप्राकृतिक मौत का रूप दिए जाने के मामले में इसका उपयोग किया जा सकता है ।)

2.4 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

धारा 55 (1) के तहत न्ययालय के आदेश से कोई कर्जदार सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच गिरफ्तार किया जा सकता है और यदि वह किसी आवासीय मकान में छिपा हो और न निकलता हो, तो उसके आवास का दरवाजा तोड़कर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है । परन्तु यदि उस आवासीय कमरे में कोई महिला रह रही हो जो रीति-रिवाज के मुताबिक सार्वजनिक रूप से बाहर न निकलती हो, तो गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी उस महिला को सूचित करेगा कि वह स्वयं को वहा से अलग कर ले तथा उसके लिए उचित समय एवं सुविधा देने के बाद ही वह अधिकारी कर्जदार को गिरफ्तार करने के लिए उस कमरे में प्रवेश कर सकता है ।

धारा 56 के अनुसार रूपये के भुगतान सम्बन्धी न्यायालय आदेश के कार्यान्वयन के लिए कोई न्यायालय किसी सिविल कारागार में किसी महिला की गिरफ्तारी या नजरबन्दी का आदेश नहीं देगा ।

धारा 60 (1) के अनुसार किसी न्यायालय आदेश के अन्तर्गत कई प्रकार की सम्पत्तियों की कुर्की जब्ती की जा सकती है (जमीन, घर, समान, रूपया, सरकारी प्रतिभूति, बन्ध -पत्र, निगम के शेयर आदि) किन्तु 60 (1) (ब) के अनुसार कर्जदार, उसकी पत्नी एवं बच्चों को जरूरी पोशाकें, खाना बनाने के बर्तन, बिस्तर एवं बिछौने की कुर्की जब्ती नही की जा सकती तथा औरतों के निजी गहने भी, जो धार्मिक, रीति रिवाज के मुताबिक उससे उतारे नहीं जा सकते, कुर्की जब्ती नहीं किए जा सकते।

2.5 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

1. भारतीय संविधान में समता के अधिकार संबंधी क्या उपबंध है? व्याख्या करें ।
2. संविधान में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबध में संरक्षण के उपबंध क्या है? व्याख्या करें ।
3. भारतीय संविधान के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित उपबंध क्या है? व्याख्या करें ।
4. भारतीय संविधान में कुछ दशाओं में गिरफ़्तारी और निरोध से संरक्षण संबंधित क्या उपबंध है? व्याख्या करें ।
5. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 47(2) में क्या प्रावधान हैं?
6. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 98 में क्या प्रावधान है?
7. पुलिस मैनुअल 1978 जिल्द में नियम 214 में क्या प्रावधान है?
8. 216 (बी) में क्या' प्रावधान है?
9. सिविल प्रक्रिया संहिता 1988 के अनुसार कर्जदार को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में क्या 'प्रावधान है?

2.6 प्रस्तावित पाठ (Suggested Reading)

1. भारतीय महिलाएं : दशा एवं दिशा
   लेखक : श्री सुभाष शर्मा, भाप्रसे

प्रकाशक	:	शताब्दी प्रकाशन, 2 सूर्या विहार, आशियाना नगर, पटना-800 025
2. स्रोत	:	भारतीय संविधान, 'कुरूक्षेत्र' 'योजना' पत्रिकाएं

इकाई-3 महिला तथा पारिवारिक कानून, विशेष विवाह अधिनियम, तलाक, भरण-पोषण, महिला एवं स्वास्थ्य कानून (गर्भपात सहित) इत्यादि में महिलाओं से संबंधित प्रावधान ।

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

3.0 उद्देश्य (Objective)

3.1 परिचय (Introduction)

3.2 विशेष विवाह अधिनियम 1954 (Special Marriage Act, 1954)

3.3 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 (Hindu marriage Act, 1955)

3.4 हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956

3.5 मुस्लिम महिला (तलाक होने पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986

3.6 गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम 1971

3.7 सारांश (Summing-up)

3.8 अभ्यास के प्रश्न (Question for Excercise)

3.9 प्रस्तावित पाठ (Suggested Reading)

3.0 उद्देश्य (Objective)

परिवार की सरंचना में महिला की भूमिका महत्वपूर्ण है । वस्तुतः महिला परिवार-संस्था की आधारशिला है । दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिला ही परिवार को बसाती है ।

परिवार-परिवार मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। फिर समाज से देश बनता है। महिलाओं के अस्तित्व के बगैर मानव समाज का निर्माण असंभव है। महिला मुख्यत: मां की भूमिका का निर्वहन करती है । इसलिए महिला की गरिमा- महिमा भारतीय समाज में अद्‌वितीय है । भारतीय सभ्यता-संस्कृति में 'मातृ देव भवः' की परिकल्पना और संकल्पना की गई है । मनु ने तो यहां तक कहा है कि-

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रकला: क्रिया: ।।

अर्थ है- जहां स्त्रियों का आदर किया जाता है, वहां देवता रमण करते हैं और जहां इनका अनादर होता है, वहां सब कार्य निष्फल होते हैं । ऐसी मान्यता जिस राष्ट्र की संस्कृति में है, वहां महिलाओं को प्रताड़ना क्यों मिलती हे? वहां महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों होता है? भेदभाव क्यों? वहां की महिलाएं अबला क्यों?

शायद, अपसंस्कृति के प्रादुर्भाव के कारण आज महिलाओं की स्थिति दयनीय है। भारत आजाद हुआ। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित हुआ और स्व नए भारत की परिकल्पनासंकल्पना की गई । अपना संविधान रचा गया, जिसमे हमारे राष्ट्रनायकों भारत की मौलिक संस्कृति की पुनः

स्थापना की शिफारिश की । फलस्वरूप भारत के संविधान की आत्मा बनी- सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता - इन्हें प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता ।

इन्हीं अवधारणाओं को मूर्त रूप देने के लिए संविधान में महिलाओं के लिए विशेष उपबंध प्रावधान किए गए और इन्हीं प्रावधानों और उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम- अधिनियम पारित किए गए । उनके लिए योजनाएं-परियोजनाएं संचालित की गयी ।

आइए, इस इकाई में हम अध्ययन करें- महिला तथा पारिवारिक कानून, विशेष रूप से विवाह अधिनियम, तलाक

की स्थिति में महिलाओं का भरण-पोषण, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधित कानून (गर्भपात सहित) ।

3.1 परिचय (Introduction)

भारतीय संविधान के भाग 4 'क ' में मूल कर्तव्य के तहत अनुच्छेद 51क के (ड़) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है - भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है ।

राज्य की नीति के निर्देशक तत्व शीर्षक के तहत अनुच्छेद 42- काम की न्याय-संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध- राज्य काम की न्याय-संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा ।

महिला तथा पारिवारिक कानून, विशेष विवाह अधिनियम, तलाक, भरण -पोषण, महिला एवं स्वास्थ्य कानून (गर्भपात सहित) इत्यादि में महिलाओं से संबंधित प्रावधान ।

3.2 विशेष विवाह अधिनियम 1954 (Special Marriage act 1954)

यदि पुरूष 21 वर्ष का और स्त्री 18 वर्ष की हो, तो भारत का कोई भी नागरिक, वह चाहे जिस धर्म का हो,किसी भी ढंग से, जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करें (जैसे जयमाला पहनाकर, किसी पूजास्थल में या अन्य तरीके से) विवाह कर सकते है और पूर्व में दूसरे कानून के तहत विवाह किए व्यक्ति भी इस कानून के तहत अपना विवाह पंजीकृत करा सकते हैं । इसमें शर्तें यही हैं कि विवाह पंजीकरण उस जिले के विवाह निबंधक (पंजीकार) के समक्ष होगा, जिसके अन्दर दोनों में से रझ पक्ष निवास करता हो, दोनों में किसी एक का पति -पत्नी जीवित न हो तथा उस समय तीन गवाह मौजूद हों, तथा दोनों पक्ष किसी भी भाषा में (जो दूसरा पक्ष समझता हो) यह कहें - 'मैं तुम्हें अपनी 7 अपना वैध पत्नी /पति के रूप में स्वीकार करता /करती हूँ ।"

3.3 हिन्दू विवाह अधिनियम 1954 (Hindu Marriage act 1954)

धारा 21 के अनुसार यह अधिनियम ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू हैं -

(क) जो हिन्दू धर्म के किसी रूप या विकास के अनुसार धर्मतः हिन्दू हो-वीर शैव, लिंगायत, अथवा ब्रह्म समाज,

प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं ।

(ख) जो धर्मतः जैन, बौद्ध या सिख हों; तथा

(ग) जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है यानि जम्मू कश्मीर को छोड़कर अधिवासित हो और धर्मत मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी न हो, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न कर दिया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति इसमें उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिन्दू विधि या उस विधि के भागरूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित न होता हो ।

स्पष्टीकरण

निम्नलिखित व्यक्ति धर्मत: यथास्थिति हिन्दू बौद्ध, जैन या सिख है:

(क) कोई भी अपत्य (संतान) धर्मज या अधर्मज जिसके माता-पिता दोनों ही धर्मत: हिन्दू बौद्ध, जैन या सिख हों;

(ख) कोई भी (संतान) धर्मज या अधर्मज, जिसके माता-पिता में से कोई एक धर्मत: हिन्दू बौद्ध, जैन या सिख हों और जो उस जनजाति, समुदाय समूह या कुटुम्ब के सदस्य के रूप में पला हो, जिसका वह माता-पिता सदस्य है या था; तथा

(ग) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिन्दू बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित प्रतिसंपरिवर्तित हों गया हो ।

धारा 5 के अनुसार दो बिन्दुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया डा सकेगा, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं-

(1) विवाह के समय दोनों पक्षों में से न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न वधू का कोई जीवित पति हो; (यानि स्व पति-पत्नी विवाह)

(2) विवाह के समय दोनों पक्षों में से कोई पक्ष

(क) चित्त विकृति के फलस्वरूप विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ न हो; या

(ख) विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह और सन्तानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो; या पड़ता हो

(ग) उसे उन्मत्तता या मिरगी के बार-बार दौर न पड़ता हो ।

(3) विवाह के समय वर ने 21 वर्ष और कन्या ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो ।

(4) जब तक कि दोनों पक्षों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे दूसरे के सपिंड न हों (यानि मां के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर की परम्परा में तीसरी पीढ़ी तक, पिता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर की परम्परा में पांचवीं पीढ़ी तक सपिंडता मानी गई है ।)

धारा 8 के अनुसार जब पति या पत्नी ने अपने को दूसरे पक्ष के साहचर्य से किसी युक्तिसंगत कारण के बिना अलग कर लिया हो - यानि संग छोड़ दिया हो तो व्यथित पक्ष अपने दाम्पत्य अधिकारों को पुर्नस्थापित करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दे सकता है,जिसकी सत्यता का समाधान हो

जाने पर तथा अर्जी मंजूर करने के विरूद्ध कोई वैध आधार न होने पर न्यायालय दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापित डिक्री कर सकेगा ।

धारा 10 (1) के अनुसार विवाह का कोई पक्ष धारा 13 (1) में निर्दिष्ट किसी आधार पर पत्नी की दशा में 13(2) में निर्दिष्ट किसी आधार पर भी जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती हो, न्यायिक पृथक्करण (अलग- अलग रहने) डिक्री के लिए अर्जी दे सकेगा ।

धारा 10(2) के अनुसार जहां न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो गई हो, वहां अर्जीदार पर इस बात की बाध्यता न होगी कि वह प्रत्यर्थी विपक्षी के साथ सहवास करे, परन्तु दोनों पक्षों में से किसी के भी अर्जी देने तथा उस अर्जी के कथनों की सत्यता के बारे में समाधान हो जाने पर न्यायालय, यदि ऐसा करना न्याय संगत रथ युक्तियुक्त समझे, डिक्री को विखंडित कर सकेगा। धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् अनुष्ठापित कोई भी विवाह यदि उस अधिनियम, की धारा (I) ए (IV) ए (V) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता हो तो वह अकृत एवं शून्य - (अस्तित्वहीन) हो जाएगा तथा -उस विवाह के किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के विरूद्ध उपस्थापित अर्जी पर अकृतता की कानून डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा ।

धारा 12 (1) के अनुसार कोई भी विवाह, चाहे इस अधिनियम के शुरू होने के पूर्व या बाद में अनुष्ठापित हो, निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी शून्यकरणीय होगा और अकृतता की डिक्री द्वारा घोषित किया जा सकेगा-

(क) प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाह के बाद संभोग नहीं हुआ, या

(ख) विवाह धारा 5(2) में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है; या

(ग) अर्जीदार की सम्पत्ति या जहां धारा 5 जिस रूप में बाल विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम 1978 के शुरू होने के ठीक पहले मौजूद थी, उस रूप में उसके अधीन अर्जीदार के विवाहार्थ संरक्षक की सम्मति अपेक्षित हो, वहां ऐसे संरक्षक की सम्मति, बल प्रयोग द्वारा या कर्मकांड की प्रकृति के बारे में या प्रत्यर्थी से संबंधित किसी तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई थी; या

(घ) प्रत्यर्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी पुरूष द्वारा गर्भवती थी ।

धारा 13 (1) के अनुसार कोई भी विवाह इस अधिनियम के लागू होने के पहले या बाद में किया गया । पति

अथवा. पत्नी द्वारा पेश की गई अर्जी पर विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि-

(1) दूसरे पक्ष ने विवाह के अनुष्ठान के बाद अपने पति या पत्नी से भिन्न किस। व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से मैथुन

किया हे; या

1. क दूसरे पक्ष ने विवाह के अनुष्ठान के बाद अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है; या

1. ख दूसरे पक्ष ने अर्जी पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम दो वर्ष की निरंतर अवधि तक अर्जीदार को छोड़ रखा है; या

(2) दूसरा पक्ष अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाने के कारण हिन्दू नहीं रह गया है; या

(3) दूसरा पक्ष असाध्य रूप से विकृत चित्त चल रहा है अथवा निरंतर या आंतीरक रूप से इस प्रकार के और

इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहता है कि अर्जीदार से युक्तियुक्त रूप से यह आशा नहीं की जा

सकती है कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे ।

स्पष्टीकरण

(क) 'मानसिक विकार ' का अभिप्राय मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या निःशक्तता है और इसके तहत विखंडित मनस्कता (Schizophrenia) भी है ।

(ख) मनोविकृति का अर्थ मस्तिष्क का दीर्घ स्थाई विकार या निःशक्तता है, जिसके फलस्वरूप दूसरे पक्ष का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गम्भीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है और चाहे उसके लिए चिकित्सकीय उपचार अपेक्षित हो या नहीं अथवा ऐसा उपचार किया जा सकता है या नहीं ।

(4) दूसरा पक्ष उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा है; या

(5) दूसरा पक्ष संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित रहा है; या

(6) दूसरा पक्ष किसी धार्मिक पंथ के अनुसार सन्यास ग्रहण कर चुका है । दूसरा पक्ष जीवित है या नहीं, इसके बारे में सात वर्ष या उससे अधिक कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह पक्ष जीवित रहता, तो स्वाभाविक रूप से सुना होता ।

धारा 1 3(2) के अनुसार कोई पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी दे सकेगी-

(i) कि इस अधिनियम के शुरू होने के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में पति ने ऐसे कानून के प्रारंभ के पूर्व विवाह कर लिया था या अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठापन के समय पति की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी जिसके साथ उसके विवाह ऐसे कानून के प्रारंभ से पूर्व हुआ था, परन्तु यह तब लागू होगा जब दोनों दशाओं में दूसरी पत्नी अर्जी के पेश करने के समय जीवित हो, या

(ii) कि पति विवाह के अनुष्ठापन के बाद बलात्संग (इच्छा या सहमति के बिना संभोग) गुदामैथुन या पशुगमन का दोषी रहा है; या

(iii) कि हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन बाद में या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन (या दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की तत्समान धारा 488 के अधीन) कार्यवाही में पत्नी को भरण-पोषण दिलवाने के लिए पति के विरूद्ध, यथास्थिति डिक्री या आदेश के पारित किए हुए भी पारित किया गया हो कि वह अलग रहती थी और ऐसी डिक्री या आदेश पारित किए जाने के समय से एक वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर पक्षों के बीच सहवास या पुनरागम्य नहीं हुआ है;

(iv) कि उसका विवाह (चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या न्हीं) उसकी 15 वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है ।

स्पष्टीकरण

यह खण्ड उस विवाह पर भी लागू होगा, जो विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम 1976 के शुरू होने के पूर्व या उसके बाद अनुष्ठापित किया गया है ।

धारा 13 (ख) (1) के अनुसार विवाह के दोनों पक्ष मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटन के लिए अर्जी जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए ।

धारा 14(1) के अनुसार इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन की कोई अर्जी ग्रहण करने के लिए तब तक सक्षम न होगा जब तक कि विवाह की तारीख उस अर्जी के पेश किए जाने तक एक वर्ष बीत चुका हो (परन्तु न्यायालय उन नियमों के अनुसार किए गए आवेदन पर, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, किसी अर्जी का विवाह की तारीख से एक वर्ष बीतने के पूर्व भी इस आधार पर उपस्थापित किया जाना मान लेगा कि मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्टप्रद है या प्रत्यर्थी की असाधारण दुराचारिता से युक्त है ।)

धारा 15 के अनुसार यदि विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर किया गया हो ओर या तो डिक्री के विरूद्ध अपील करने का कोई अधिकार ही न हो या यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने का समय, कोई अपील पेश किए बिना, बीत गया हो, या अपील की गई है, किन्तु खारिज कर दी गई हो, तो विवाह के किसी पक्ष के लिए पुन: विवाह करना विधिपूर्ण होगा ।

धारा 17 के अनुसार यदि इस अधिनियम के शुरू होने के बाद दो हिन्दुओं के बीच अनुष्ठापित किसी विवाह की तारीख पर विवाह के किसी पक्ष का पति या पत्नी जीवित था/ थी तो ऐसा विवाह शून्य होगा और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 और 495 के अधीन दोषी को दंड मिलेगा।

धारा 18 (क) के अनुसार यदि कोई हिन्दू अपना विवाह इस अधिनियम की धारा 5 के खंड (।।।), (छ) और (४)

में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करेगा, तो धारा 5 के खण्ड (।।।) की शर्तों अल्पायु में विवाह के उल्लंघन की दशा में

अधिकतम 15 दिनों तक के साधारण कारावास या एक हजार रूपया जुर्माना या दोनों की सजा का भागी होगा ।

धारा 18 (ख) के अनुसार धारा 5 के खण्ड (।४) (प्रतिषिद्ध नातेदारी) या (अ) सपिंड विवाह में निर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन की दशा में अधिकतम स्व माह तक के साधारण कारावास या स्व हजार रूपया तक जुर्माना या दोनों की सजा का भागी होगा ।

भरण-पोषण

3.4 हिन्दू दत्तक एवं भरण -पोषण अधिनियम 1956

धारा 18 (1) के तहत हिन्दू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के शुरू होने के पूर्व या बाद में विवाहित हो, अपने जीवनकाल में पति से भरण-पोषण पाने की हकदार होगी ।

धारा 18(2) के अनुसार हिन्दू पत्नी अपने भरण-पोषण के दावे को समर्पित किए बिना अपने पति से पृथक रहने के लिए निम्नलिखित किसी भी दशा में हकदार होगी-

(क) यदि उसका पति युक्तियुक्त कारण के बिना और उसकी सम्मत्ति के बिना या उसकी इच्छा के विरूद्ध उसका परित्याग करने का या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करने का दोषी है ।

(ख) यदि उसका पति उसके साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार करे, जिससे उसके अपने मन में इस बात की युक्तियुक्त आशंका पैदा हो कि उसके लिए पति के साथ रहना अपहानिकारक या क्षतिकारक होगा ।

(ग) यदि उसका पति उग्र कुष्ठ से पीड़ित है;

(घ) यदि उसके पति की अन्य पत्नी जीवित है;

(ङ) यदि उसका पति उसी घर में, जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है, कोई उप पत्नी (रखैल) रखता है या किसी उप पत्नी के साथ अन्य किसी स्थान में अभ्यासतः निवास करता है;

(च) यदि उसका पति किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिन्दू नहीं रह गया है; और

(छ) यदि उसके पृथक होकर रहने का कोई अन्य न्यायोचित कारण है (जैसे रजित रणे, विकृत चित्त, वेश्यागामी, बलात्संग, गुदामैथुन, पशुगमन, नपुंसक होना आदि को विभिन्न न्यायालयों ने न्यायोचित कारण माना है) । धारा 18(3) के अनुसार यदि कोई हिन्दू पत्नी पर पुरूष गामिनी (जारता) है या किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिन्दू नहीं रह गई है, तो वह अपने पति से पृथक निवास करने तथा भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी ।

धारा 19 (1) के अनुसार कोई हिन्दू पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर से भरण-पोषण पाने की हकदार होगी । परन्तु यह तभी और वहीं तक मिल सकेगा जहां तक वह स्वयं अपने अर्जन से अन्य सम्पत्ति से अपना भरण- पोषण करने में असमर्थ हो या उस दशा में जहां उसके पास अपनी स्वयं की कोई भी सम्पत्ति नहीं है, या वह निम्नलिखित में से किसी से अपना भरण-पोषण' प्राप्त करने में असमर्थ हो;

(क) अपने पति या पिता या माता की सम्पदा से या

(ख) अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई हो, या उसकी सम्पदा से ।

धारा 19 (2) के अनुसार यदि ससुर के अपने कब्जे में ऐसी सहदायिकी (संयुक्त पारिवारिक) सम्पत्ति से, जिसमें पुत्रवधु को कोई अंश प्राप्त नहीं हुआ है, ससुर के लिए एसा करना साध्य नहीं है तो उपधारा (1) के अधीन किसी बाध्यता का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकेगा । और ऐसी बाध्यता का पुत्रवधु के पुनर्विवाह पर अन्त हो जाएगा ।

धारा 20 (1) के अनुसार कोई हिन्दू अपने जीवनकाल के दौरान अपने धर्मज या अधर्मज अपत्यों और वश; या शिथिलांग जनकों (मां-बाप) का भरण-पोषण करने के लिए आबद्ध है ।

धारा 20 (2) के अनुसार जब तक कि कोई धर्मज या अधर्मज अपत्य अवयस्क रहे, वह अपने पिता या माता से भरण -पोषण पाने के लिए दावा कर सकेगा ।

धारा 20 (3) के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने वश; या शिथिलांग जनकों का या पुत्री का जो अविवाहित हो, भरण-पोषण करने की बाध्यता का विस्तार वहा तक होगा, जहां तक कि जनक

या अविवाहिता यथास्थिति, स्वयं अपने उपार्जनों या अन्य सम्पत्ति से अपना भरण-पोषण करने में समर्थ हो ।

स्पष्टीकरण : जनक के अन्तर्गत निःसंतान सौतेली मां भी आती है ।

3.5 मुस्लिम महिला (तलाक होने पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986

धारा 2(a) के तहत तलाकशुदा महिला से आशय ऐसी मुस्लिम महिला से है, जिसने मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह किया था और मुस्लिम विधि के अनुसार उसने अपने आप से तलाक ले ली है, अथवा उसके पति ने उसे तलाक दे दी है ।

धारा 2(b) के तहत 'इद्दत काल' से आशय निम्न हैं;

(i) यदि उस महिला को माहवारी होती है, तो तलाक की तिथि से तीन माहवारी काल तक;

(ii) यदि उसे माहवारी नहीं होती है तो तलाक के बाद तीन चन्द्रमास तक;

(iii) यदि वह तलाक के समय गर्भवती हो तो तलाक की तिथि से बच्चा जनने की तिथि तक के बीच का समय, अथवा तलाक की तिथि से गर्भपात कराने तक का समय, दोनों में जो पहले हो ।

धारा 3 (1) के अनुसार किसी अन्य कानून के लागू होते हुए भी तलाकशुदा औरत निम्नलिखित चीजें पाने की हकदार होगी-

(क) उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत काल में उचित एवं न्यायपरक निर्वाह भत्ता (भरण-पोषण) उसे दिया जाएगा ।

(ख) जहां वह स्त्री तलाक के पूर्व या बाद में पैदा हुए अपने बच्चों का निर्वाह करती हो, तो ऐसे बच्चों के जन्म की तिथि से दो वर्ष तक उन्हें उचित रख न्यायपरक निर्वाह भत्ता पूर्व पति द्वारा दिया जाएगा ।

(ग) विवाह के समय अथवा उसके बाद मुस्लिम विधि के तहत परस्पर हुई सहमति के अनुसार मेहर या दहेज के बराबर की राशि एवं

(घ) शादी के समय या बाद में उस महिला के रिश्तेदारों या दोस्तों या पति या पति के रिश्तेदारों, दोस्तों द्वारा दी, गई सारी सम्पत्तियां।

धारा 3 (2) के तहत प्रावधान है कि यदि तलाकशुदा औरत को उचित एवं न्यायपरक निर्वाह भत्ता न दिया गया कानून, या वाजिब (देय) मेहर/दहेज नहीं दिया गया हो या धारा 3 (1) क के तहत देय सम्पत्तियां नहीं दी गई है तो वह औरत अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष उक्त निर्वाह भत्ता या मेहर /दहेज या सम्पत्ति प्रावधान के भुगतान करने हेतु अर्जी दे सकता है ।

धारा 3 (3) के अनुसार यदि ऐसी अर्जी दी जाती है और मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि उसका पति पर्याप्त साधनों के बावजूद इद्दत काल में उसे एवं उसके बच्चों को उचित एवं न्याय परक निर्वाह भत्ता देने में विफल रहा है अथवा नजरअंदाज कर रहा है अथवा मेहर/दहेज की समतुल्य राशि नहीं दी है अथवा धारा 3 (1) क के तहत वर्णित सम्पत्तियां नहीं दी है तो वह मजिस्ट्रेट उस अर्जी के दायर करने की तिथि से एक माह के अंदर उसके पूर्व पति को उक्त चीजें भुगतान करने का आदेश दे सकता है

। ऐसे समय वह मजिस्ट्रेट उक्त महिला की जरूरत उसके विवाह काल के जीवन स्तर तथा पूर्व पति के विवाह काल के जीवन स्तर तथा पूर्व पति के आर्थिक साधनों पर ध्यान देकर निर्णय देगा । परन्तु यदि वह मजिस्ट्रेट उस अर्जी को एक माह में निष्पादित करने में असमर्थ हो, तो उसका कारण दर्ज कर उस अवधि के बाद भी उसका निष्पादन कर सकता है ।

धारा 3 (4) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के बाद भी बिना पर्याप्त कारण के उनका पालन करने में विफल होता है जो वह मजिस्ट्रेट निर्वाह भत्ता वसूलने हेतु (दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत) वांरट निर्गत कर सकता है और उसे सजा दे सकता है । उक्त राशि के न भुगतान करने पर उसे एक वर्ष तक कैद की सजा दी जा सकती है अथवा उक्त राशि के भुगतान करने की तिथि तक कैद की सजा दी जा सकती है ।

धारा 4 के अनुसार उपरोक्त धाराओं तथा अन्य कानून के लागू रहते हुए भी यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि किसी तलाकशुदा औरत ने दुबारा शादी नहीं की है और इद्दत काल के बाद खुद भरण -पोषण करने में असमर्थ है तो वह उस महिला के उन रिश्तेदारों को, जो उसकी मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी मुस्लिम विधि के अनुसार होंगे, उसे भरण - पोषण करने के लिए आदेश दे सकेगा । उस समय वह मजिस्ट्रेट उस तलाकशुदा औरत की जरूरत,उसके विवाह काल के जीवन स्तर तथा उन रिश्तेदारों के आर्थिक संसाधनों तथा उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली सम्पत्ति को ध्यान में रखकर निर्वाह भत्ता की रकम निर्धारित करेगा ।

परन्तु यदि उस तलाकशुदा औरत के बच्चे हों, तो मजिस्ट्रेट उन बच्चों को उसे निर्वाह भत्ता देने का आदेश देगा और यदि वे बच्चे निर्वाह भत्ता देने में असमर्थ हों, तो मजिस्ट्रेट उस तलाकशुदा महिला के मां-बाप को आदेश देगा कि वे उसे निर्वाह भत्ता दें । परन्तु यदि मां-बाप में से कोई अपना हिस्सा (मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार) देने में (साधनों के अभाव में) असमर्थ हों, तो मजिस्ट्रेट साधनों के अभाव के सबूत के आधार. पर दूसरे समर्थ रिश्तेदार द्वारा उक्त हिस्सा के भुगतान करने का आदेश दे सकता है । धारा 4 (2) के अनुसार यदि कोई तलाकशुदा औरत अपना जीवन निर्वाह करने में असमर्थ हो, और 4 (1) के आलोक में उसके रिश्तेदार न हों, अथवा उसके रिश्तेदार उसका भरण-पोषण करने में आर्थिक रूप से सक्षम न हों, अथवा. दूसरे रिश्तेदार 4 (1) पर तुक के अनुसार कोई हिस्सा भुगतान करने में असमर्थ हों, तो मजिस्ट्रेट राज्य वक्फ बोर्ड को उस महिला को भरण-पोषण भत्ता भुगतान करने का आदेश दे सकता है । धारा 5 के अनुसार यदि इस अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत दायर अर्जी की सुनवाई के पहले दिन एक तलाकशुदा औरत और उसके पति घोषणा करें । (शपथ पत्र या अन्य घोषणा पत्र द्वारा) संयुक्त रूप से या अकेले कि वे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराओं 125 से 128 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करना पसंद करेंगे, तथा इस आशय का हलफनामा या घोषणा-पत्र सुनवाई करने वाले न्यायालय में दाखिल करें तो उक्त मजिस्ट्रेट इस अर्जी का निष्पादन तदनुसार करेगा।

3.6 गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम 1971

धारा 3 (1) के अनुसार किसी निबंधित चिकित्सक द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में कोई गर्भ गिराने पर भारतीय दंड संहिता या अन्य कानून के तहत उसे दोषी नहीं माना जाएगा ।

धारा 3 (2) के अनुसार 3 (4) की शर्त के अधीन किसी चिकित्सक द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में गर्भ गिराए जा सकते हैं -

(क) यदि गर्भ 12 सप्ताह से अधिक का नहीं है और चिकित्सक का मत है कि, या

(ख) यदि गर्भ 12 सप्ताह से अधिक किन्तु 20 सप्ताह से कम है और दो चिकित्सकों का मत है कि

(i) उक्त गर्भ तक गर्भवती स्त्री की जिन्दगी को खतरा हो या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा हो; या

(ii) यह गम्भीर खतरा हो कि जन्म लेने पर बच्चे को शारीरिक या मानसिक विकलांगता का शिकार होना पड़ेगा ।

स्पष्टीकरण

1. यदि गर्भवती महिला के अनुसार उसे बलात्कार से गर्भ ठहर गया हो तो उस गर्भ से होने वाली चिन्ता उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए गम्भीर रूप से खतरनाक मानी जाएगी ।
2. यदि किसी विवाहिता स्त्री या उसके पति द्वारा बच्चों की संख्या सीमित करने के लिए अपनाई गई कोई पद्धति या उपाय असफल हो जाए और उससे गर्भ ठहर जाए तो उस अवांछित गर्भ से होने वाली चिन्ता को उस गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा माना जाएगा।

धारा 3 (4) (a) के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की महिला या पागल महिला का गर्भ उसके संरक्षक की लिखित सहमति के बिना नहीं गिराया जाएगा ।

धारा 3(4)(6) के अनुसार उपरोक्त को छोड़कर अन्य गर्भ को गर्भवती महिला की सहमति के बिना नहीं गिराया जाएगा ।

3.7 सारांश (Summing up)

महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उनके नैसर्गिक रूप से विकास के अवसर, समता एवं समानता का अधिकार, अपनी स्मिता बचाने का अधिकार, आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करने हेतु संविधान में उपबंध किए गए हैं । मूल कर्तव्य शीर्षक में उल्लिखित है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं । मतलब, ऐसी किसी भी प्रथा, व्यवहार का आचरण वर्जित है जिनसे स्त्रियां असम्मानित होती हैं । यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है । महिलाओं की प्राकृतिक संरचना, उनकी जैविक प्रक्रियाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का विशेष दायित्व है । वह काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता संबंधित उपबंध है । मुख्य रूप से कर्तव्य के तहत स्त्रियों का सम्मान ऐसे दायित्व के निर्वहन में, जीवन में सम्भावित सभी समस्याओं के समाधान के लिए नियम अधिनियम पारित किए गए, जिसमें विवाह का मामला हो, तलाक का मामला हो या गर्भपात का मामला हो । इन सभी विषयों में महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान सर्वोपरि है ।

महिलाओं के सन्दर्भ में विभिन्न विषयों (जैसे विवाह, तलाक, भरण-पोषण एवं गर्भपात संबंधित कानूनी प्रावधान की जानकारी इस इकाई में दी गई है । विशेष विवाह अधिनियम 1954 क्या है? हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में क्या क्या प्रावधान है? भरण पोषण के संबंध में 'हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 में क्या-क्या सुविधाएं है? तलाक के संबंध में मुस्लिम महिला (तलाक

होने पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 में महिलाओं को कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं? तथा गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम 1971 में क्या प्रावधान है? इन सबका विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है । ये सभी प्रावधान हमारे संविधान के आलोक में नियमन किए गए हैं।

3.8 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

1. विशेष विवाह अधिनियम क्या है? विवेचना करें ।
2. तलाक के कानूनी प्रावधान क्या हैं? विवेचना करें ।
3. तलाक की अवस्था में भरण-पोषण के क्या कानूनी प्रावधान हैं? विवेचना करें ।
4. गर्भपात के कानूनी प्रावधान क्या हैं? विवेचना करें ।
5. भारतीय संस्कृति में नारी की गरिमा-महिमा के प्रति क्या अवधारण हे? विवेचना करें ।

3.9 प्रस्तावित पाठ (Suggested Reading)

1. भारतीय महिलाएं : दशा एवं दिशा
   लेखक : श्री सुभाष शर्मा, भा.प्र.से
   प्रकाशक : शताब्दी प्रकाशन, 2 सूर्या विहार, आशियाना नगर,पटना -800 025
2. स्रोत : भारतीय संविधान

इकाई-4 फौजदारी कानून: महिलाओं से संबंधित प्रावधान (जैसे बलात्कार छेड़-छाड़, बालिका बलात्कार इत्यादि से संबंधित कानूनी प्रावधान)

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

4.0 उद्देश्य (objective)

4.1 परिचय (Introduction)

4.2 महिलाओं के उत्पीड़न की दास्तान छेड़-छाड़ और बलात्कार

4.3 महिलाओं के साथ बलात्कार एवं छेड़-छाड़ के सम्बन्ध में संवैधानिक उपबंध

4.4 महिलाओं के साथ बलात्कार एवं छेड़-छाड़ सम्बन्धी कानूनी प्रावधान

4.5 सारांश (Summing-up)

4.6 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

4.7 प्रस्तावित पाठ (Suggested Reading)

4.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई का उद्देश्य है कि महिलाएं अपनी स्मिता की रक्षा के लिए अपना मौन भंग करें; अपने अधिकारों को जानें; समय पर उनका उपयोग करें; और सबला बनकर समाज के सामने खड़ी हो सकें। इसके लिए महिलाओं से संबंधित फौजदारी कानूनों के प्रति जिनमें मुख्य रूप से बलात्कार, छेड़छाड़, बालिका-बलात्कार से संबंधित प्रावधान हैं, की स्पष्ट समझ विकसित करना । महिलाओं की समस्याओं, उनकी दयनीय स्थिति के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना तथा समाज में उनके प्रति सम्मान की भावना विकसित करना।

4.1 परिचय (Introduction)

"जब तक नारी की दशा को सुधारा नहीं जाता, तब तक विश्व का कल्याण संभव नहीं है ।" यह कथन है कि स्वामी विवेकानन्द का । उन्होंने परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के कल्याण में नारी की भूमिका को सर्वोपरि माना है । और उनकी दयनीय स्थिति, दुर्दशा को देखकर ही चेतावनी दी है । यह निर्विवाद रूप से सत्य है । आज यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित भी हो रहा है । आश्चर्य इस बात का है कि जिस भारत की संस्कृति में खुले दिल से नारी की गरिमा- महिमा को स्वीकार किया गया है और बहुत गहरे रूप से स्थापित भी है, उसी भारत में आज महिलाएं शोषित, उत्पीड़ित उपेक्षित एवं दलित क्यों? समाज में वह अबला क्यों? घर-परिवार से समाज-राष्ट्र तक उसका दूसरा स्थान क्यों? प्रताड़ना क्यों?

संविधान के अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित है, फिर महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-23 में यह प्रावधान है कि मानव के दुव्यवहार और बलात् श्रम अपराध है । वहा महिलाओं का अनैतिक व्यापार क्यों? बलात्कार क्यों?

शायद अपसंस्कृति ही इसकी जड़ में है और पुरूष सत्तात्मक समाज घिनौना हरकत से बाज नहीं आ रहा है । इसलिए भारत की मूल संस्कृति की संकल्पना ध्यान में रखकर आजाद भारत में, गणतंत्रात्मक गणराज्य घोषित होने के बाद, भारतीय संविधान में महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा के प्रावधान किए गए । भारतीय संविधान की संकल्पनाओं, प्रावधानों और उपबंधों के आलोक के कानून बने, जिनमें महिलाओं से संबंधित फौजदारी कानून, जिसके तहत बलात्कार छेड़छाड़, बालिका बलात्कार के प्रावधान किए गए । इसके लिए योजनाएं परियोजनाएं संचालित की गई ।

आइए! इस इकाई में हम अध्ययन करें, महिलाओं से संबंधित फौजदारी कानूनों का । बलात्कार, छेड़-छाड़, बालिका बलात्कार के कानूनों के संबंध में स्पष्ट समझ और अवधारणा विकसित करें । महिलाओं से संबंधित इन कानूनों के प्रति ही नहीं भारतीय संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए भारतीय संस्कृति को स्वीकार करें ।

4.2 महिलाओं के उत्पीड़न की दास्तान छेड़ -छाड़ और बलात्कार

भारत में किसी भी उम्र की कोई बालिका, युवती अथवा प्रौढ़ा छेड़-छाड़ और बलात्कार की शिकार बन जाती है । इसके पीछे मानसिकता सिर्फ इतनी ही है कि हम पुरूष है; बलवान हैं और औरतें अबला हैं । वैसे, बलात्कार महज मानसिक रोग या जुनून ही नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित, सोची-समझी घिनौना अपराध है । अखबार हर रोज ऐसी खबरों को छापता है, जिनमें कहीं छेड़-छाड़ तो कहीं बलात्कार तो कहीं अत्याचार घटना रहती है । आश्चर्य तब होता है जब ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती है, जिनमें यह समाचार रहता है कि पिताओं द्वारा बलात्कार किया गया । सचमुच । यह खबर सोचने के लिए बाध्य करती है? आखिर हम कहा जा रहे हैं? क्या हो गया है हमें और, हमारी संस्कृति को? कहां खो गया है हमारा विवेक? क्या कर रहे हैं हम? इतनी पशुता? शर्म की बात है ।

मानवता और नैतिकता की नजर में बलात्कार तो एक जघन्य और अक्षम्य अपराध है ही मानवता के नाम पर कलंक भी है । बच्चियों और वह भी बेटियों के साथ बलात्कार निःसन्देह पशुता और नीचता है । कहा जाए कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । यह गम्भीर मुद्दा है । जरा सोचिये! जिस बच्ची का बलात्कारी उसका पिता ही हो, वह बच्ची कहां संरक्षण पाएगी और जिस समाज का रक्षक ही भक्षक हो जाए, उस समाज के लोग कहा संरक्षण पाएंगे?

प्रति दिन अखबार में छपता है कि पुलिस की हिरासत मे औरतों का बलात्कार हुआ । वैसे भी समाज के दशा और मजबूत लोग ही बलात्कारी होते हैं । इसके अलावा वैवाहिक जीवन मे पत्नी के साथ किया गया बलात्कार, परिवार के सदस्यों के द्वारा किया गया बलात्कार, नाबालिग मासूम बच्चियों का बलात्कार, वेश्याओं का बलात्कार! कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि महिलाओं पर पुरुषों का अत्याचार है । महिलाओं और पुरुषों के बीच संघर्ष है । बलात्कार नगरों, महानगरों की अपेक्षा गांवों में ज्यादा हो रहे हैं ।

एक और विडम्बना है कि बलात्कार के अधिकार मामले पुलिस में दर्ज नहीं हो पाते । वजह, बलात्कारित औरतें अधिकांशत: गरीब और असहाय होती है । आकड़े के आईने में यदि बलात्कार को

देखा जाए तो देश में 1972 में 2, 562 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे तो 1975 में 3, 283 और 1978 में 3, 899 और 1 व 86 में बलात्कारी की संख्या दोगुनी हो गई है । मतलब हो 1986 में 7, 645 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए । 1987 में 7, 645 । ऐसी दर्दनाक स्थिति है महिलाओं की । ऐसी स्थिति में महिलाओं को जगना होगा । अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और बलात्कार, छेड़-छाड़ जैसे कानूनी प्रावधानों से अवगत होना पड़ेगा । स्वयं को सबल और अधिकारों से लैस करना पड़ेगा । अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी ।

4.3 महिलाओं के साथ बलात्कार एवं छेड़छाड़ के संबंध में संवैधानिक उपबंध

भारतीय संविधान में भाग 4 (क) मूल कर्तव्य के तहत अनुच्छेद- 51 (क) का (ड) में स्पष्ट उल्लिखित है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण हो, तो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो ।

संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित है कि ' 'समस्त नागरिकों : सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता का प्रावधान है । "

अनुच्छेद- 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध में उल्लिखित है कि-

(1) राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15 3 में उल्लिखित है कि- अनुच्छेद की कोई बात राज्य के स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

संविधान के शोषण के विरूद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद- 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध में स्पष्ट उल्लिखित है कि (1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलातश्रम प्रतिषिद्धित किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।

4.4 बलात्कार एवं छेड़छाड़ संबंधी कानूनी प्रावधान

भारतीय संविधान में दिए गए उपबंधों और प्रावधानों के आलोक में कानून बनाए गए हैं । भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का बलात्कार करने के इरादे से उस पर हमला करे, तो उस स्त्री को अपने शरीर के बचाव में हमलावर को जान से मारने का अधिकार है ।

धारा 228 ए के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बलात्कार, सम्बन्ध-विच्छेद के दौरान पति के द्वारा पत्नी के साथ संभोग, अधिकारी द्वारा हवालात में रहती महिला को संभोग हेतु प्रलोभन (बलात्कार से इतर), जेल/रिमांड होम के अधीक्षक द्वारा उसके संरक्षण में रहती महिला को संभोग हेतु प्रलोभन

(बलात्कार नहीं) या अस्पताल के प्रबंधक /स्टाफ द्वारा वहां मौजूद महिला को संभोग हेतु प्रलोभन (बलात्कार नही) देने की घटना को कोई अखबार इस प्रकार छापता है कि उस पीड़ित महिला की पहचान जाहिर हो जाए तो वह व्यक्ति दो वर्ष तक की सजा और जुर्माना का भागी होगा । (थाना प्रभारी या अनुसंधान द्वारा सच्ची नीयत से अनुसंधान के उद्देश्य से दिए गए आदेश से ऐसा छापना दंडनीय नहीं है; दूसरे, पीड़िता द्वारा छापने की लिखित अनुमति देने पर वह दंडनीय नहीं है; तीसरे, पीड़िता के मरने या अवयस्क होने या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की स्थिति में उसके निकटतम सम्बन्धी द्वारा लिखित रूप से अनुमति देने पर ऐसा छापना दंडनीय नहीं है ।

धारा 354 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल इस्तेमाल करता है तथा उसकी नीयत उस महिला का शील भंग करने की हो, उसे दो वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा मिलेगी ।

धारा 361/363 के तहत यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़की या 16 वर्ष तक के लड़का का अपहरण (उसके वैध अभिभावक से) करता है तो ऐसे व्यक्ति को सात वर्ष तक की कैद और जुर्माना की सजा मिलेगी ।

धारा 366 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का अपहरण, उसकी इच्छा के विरूद्ध उससे विवाह करने के लिए मजबूर करने हेतु करता है अथवा उसके साथ जबरन संभोग के लिए पहल करता है । तो उसे दस वर्ष तक की कैद या जुर्माना की सजा दी जाएगी । जो व्यक्ति अपने प्राधिकार का दुरूपयोग कर किसी स्त्री को किसी स्थान से अवैध संबंधित - (जैसे संभोग करने हेतु मजबूर करने के लिए फुसलाता है तो उसे भी उपरोक्त सजा मिलेगी ।

धारा 366 ए के तहत यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़की को किसी स्थान से ले जाने या ऐसा कार्य करने के लिए फुसलाए और वहां उसे अवैध संभोग या प्रलोभन के लिए बाध्य होना पड़े तो उसे दस वर्ष तक की कैद और जुर्माना की सजा मिलेगी। कानून प्रावधान)

धारा 376 (1) के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्कार करता है, तो उसे कम से कम / वर्ष तक की कैद की सजा दी जाएगी और अधिकतम यह सजा आजीवन कारावास की हो सकती है अथवा दस वर्ष की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकता है । किन्तु उचित एवं विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए कोई न्यायालय सात वर्ष से कम की कैद की सजा दे सकता है ।

धारा 376 (2) के तहत यदि कोई पुलिस अधिकारी अपने पदस्थापन थाना के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत अथवा किसी थाना परिसर में या अपने या अपने अधीनस्थ की हवालात की महिला के साथ बलात्कार करे; अथवा कोई सरकारी सेवक अपने पद का दुरूपयोग कर अपने अधीनस्थ के संरक्षण की महिला के साथ बलात्कार करे; अथवा जेल/रिमांड/होम /महिला संस्था बाल संस्था का प्रबंधक /स्टाफ वहां की महिला के साथ बलात्कार करे; अथवा कोई व्यक्ति किसी गर्भवती महिला के साथ बलात्कार करे; अथवा कोई बारह वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करे अथवा कोई सामूहिक बलात्कार करे तो उसे कम से कम दस वर्ष सश्रम कैद और अधिकतम आजीवन कारावास या जुर्माना की सजा दी जाएगी । किन्तु न्यायालय उचित रख विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए दस वर्ष से कम की साधारण या सश्रम कैद की सजा दे सकता है ।

धारा 376 ए के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ. उसकी सहमति के बिना संभोग करे जो किसी न्यायालय के आदेश या रीति-रिवाज के तहत सम्बन्ध विच्छेद कर अलग रह रही हो, तो उस पति को दो वर्ष की कैद और जुर्माना की सजा दी जाएगी ।

धारा 376 सी के तहत यदि जेल अधीक्षक या रिमांड होम प्रबन्धक या महिला संस्था/बाल संस्था का प्रबंधक अपने पद का दुरुपयोग कर अपने संरक्षण की किसी महिला को यौन सम्बन्ध हेतु फुसलाए और वह बलात्कार की श्रेणी में नहीं हो तो उसे पांच वर्ष की कैद और जुर्माना की सजा दी जाएगी ।

धारा 376 डी के तहत यदि किसी अस्पताल के प्रबंधक/स्टाफ के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अस्पताल में मौजूद किसी के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित किया जाए, जो बलात्कार की श्रेणी में न हो, तो उसे पांच वर्ष की कैद और जुर्माना की सजा दी जाएगी।

धारा 493 के तहत यदि कोई व्यक्ति धोखा देकर किसी ऐसी स्त्री के साथ संभोग करे, जिसके साथ उसकी शादी नहीं हुई तो, उसे दस वर्ष तक की कैद या जुर्माना की सजा दी जा सकती है ।

धारा 494 के तहत यदि किसी पुरूष की पत्नी जीवित हो अथवा किसी स्त्री का पति जीवित हो और वह दूसरा विवाह करे तो उसे सात वर्ष तक की कैद और जुर्माना की सजा दी जाएगी । लेकिन किसी न्यायालय द्वारा पहली शादी अमान्य करने पर अथवा पति या पत्नी के सात वर्ष तक लापता रहने की स्थिति में दुबारा शादी करने पर सजा नहीं दी जायेगी ।

धारा 497 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री से यौन सम्बन्ध स्थापित करे, जिसे वह दूसरे की पत्नी के रूप में जानता है, और उसके पति की सहमति /मिलीभगत न हो, और ऐसा सम्बन्ध बलात्कार की श्रेणी मैं न है।, तो उसे पांच वर्ष की कद तथा ज़ुर्माना, अथवा दोनों ही सजा दी जाएगी । ऐसे मामलों में वह स्त्री शह देने के लिए दंडनीय नहीं होगी ।

धारा 529 के तहत यदि कोई व्यक्ति दिसी महिला के शील का अपमान करने के इरादे से ऐसा शब्द बोलता है, ऐसी आवाज करता है या ऐसा हाव भाव करता है अथवा उसे ऐसी कोई चीज दिखाता है अथवा उस स्त्री की गोपनीयता (छिपाव) में हस्तक्षेप करता है, तो उसे एक वर्ष की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो होती है ।

धारा 294 में यह उपबंध है कि जो भी व्यक्ति किसी नारी को क्षोभित करते हुए (अ) किसी सार्वजनिक स्थान में कोई अश्लील कर्म करता है या (ख) किसी सार्वजनिक स्थान में या उसके निकट कोई अश्लील गाना, गीत या शब्द गाता या उच्चारित करता है, उसे तीन महीने तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों प्रकार से दंड्ति किया जाएगा ।

4.5 सारांश (Summing -up)

फौजदारी कानून -महिलाओं से संबंधित कानून जिनमें बलात्कार, छेड़-छाड़ एवं बालिका बलात्कार के संबध में संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 51 क तथा अनुच्छेद 15, एवं अनुच्छेद 23 और 23 (3) उल्लेखनीय हैं । संविधान के इन प्रावधानों के आलोक में कानून पारित किए गए हैं । फिर भी महिलाओं की स्थिति घर-परिवार से समाज राष्ट्र तक दोयम दर्जे की क्यों है? जबकि संविधान के अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित है, फिर भी महिलाओं के साथ भेद-भाव क्यों?

और संविधान के अनुच्छेद 23 में जहां यह प्रावधान है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम अपराध हैं । वहां महिलाओं का अनैतिक व्यापार क्यों? बलात्कार क्यों? शायद । अपसंस्कृति ही इसके मूल में है ।उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधान के आलोक में छेड़-छाड़ एवं बलात्कार से संबंधित कानून बनाए गए हैं । ताकि महिलाएं अपनी मर्यादा के साथ जीवन- यापन कर सकें ।

4.6 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

1. भारतीय संविधान में महिलाओं के सम्मान की बात किस अनुच्छेद में की गई है? विवेचना करें।
2. भारतीय संविधान की संकल्पना क्या है? विवेचना करें ।
3. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 में महिलाओं की सुरक्षा का क्या प्रावधान है? विवेचना करें ।
4. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 509 में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित क्या प्रावधान है? विवेचना करें ।
5. भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं में महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या-क्या प्रावधान हैं?

4.7 प्रस्तावित पाठ (Suggested Reading)

1.	भारतीय महिलाएं	:	दशा एवं दिशा
	लेखक	:	श्री सुभाष शर्मा, भा.प्र.से.
	प्रकाशक	:	शताब्दी प्रकाशन, 2 सूर्या विहार, आशियाना नगर,पटना - 800 025
2.	स्रोत	:	भारतीय संविधान

इकाई-5 कार्यरत महिलाएं एवं उद्यमी महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधान

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

5.0 उद्देश्य (Objective)
5.1 परिचय (Introduction)
5.2 कानूनी प्रावधान की अवधारणा (Concept of Legal Provisions)
5.3 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (Maternity Benefit Act 1961)
5.4 कारखाना अधिनियम 1948 (Factory Act 1948)
5.5 ए. बोनस भुगतान अधिनियम 1965 (Payment of Bonus Act 1965)
बी. महिलाओं की सम्पत्ति का अधिकार (Women's Right to Property)
5.6 महिलाओं की + (Female's Property)
5.7 नारी का सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार संबंधित नियम (Role of Succession of the Property of Female)
5.8 सारांश (Summing up)
5.9 प्रश्नावली (Exercise)
5.10 प्रस्तावित पाठ (Suggested Reading)

5.0 उद्देश्य (Objective)

सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रो. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण भारतीय समाज के केवल एक वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा अपितु उसने गुणात्मक रूप से भी भारतीय जनंसख्या को प्रभावित किया है । कुछ समाजशास्त्री भारत में होने वाले परिवर्तन का कारण वैज्ञानिक अनुसंधान एवं औद्योगीकरण को बताते हैं, जिसने परम्परागत सामाजिक नियमों एवं जीवन शैली को प्रभावित किया है । तो कुछ का कहना है कि किसी काल विशेष में महिलाओं की परिस्थिति या उनका सामाजिक दर्जा उस काल विशेष में प्रचलित संस्कृति का मापदण्ड होता हैं ।

भारतीय संविधान की धारा 16 के अन्तर्गत महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है । फिर भी वर्षो से चली आ रही सामाजिक, सांस्कृतिक असमानता, आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से महिलाएं पुरुषों के समान देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकी है । भारत में कामकाज ' महिलाओं की भागीदारी केवल 18 प्रतिशत ही हैं । खेतों, फैक्ट्रियों और विभिन्न दफ्तरों में काम कर रही महिलाओं को सामाजिक सहायता तो दी जाती हैं । समानता के अधिकर, संसाधनों ' पहुंच और देश में उपलब्ध अवसरों के बारे में उनकी जानकारी बहु त कम है । अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उनके पास न के बराबर साधन हैं इसी कारण जीवन के हर क्षेत्र में वे पीछे है । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं का स्तर

ऊँचा उठाना तथा कानून के द्वारा उन्हें दिए गए सभी अधिकार उपलब्ध करवाना प्रमुख उद्देश्यों में एक हो सकता हैं ।

कई प्रकार के सामाजिक कानून बनाकर प्रयास किए गए जिससे महिलाओं की प्रगति में आने वाली बाधाओं को हटाया जा सके, महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समान न्याय मिल सके और समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त किया जा सके । इसके लिए समय-समय पर कानूनों के निर्माण तथा उनमें सामयिक मांग के अनुसार संशोधन करके अधिक प्रभावशाली बनाने के प्रयास किए जाते रहे है ।

आवश्यकता है सामाजिक चेतना लाने की, शिक्षा की, आवश्यकता और उपयोगिता को प्रचारित करने की । शिक्षा प्रणाली को सुलभ, सुयोग्य और व्यापक बनाने की । शिक्षा और सामाजिक प्रणाली के बीच सामंजस्य स्थापित करने की और शिक्षा को व्यावहारिक रूप से उपयोगी और लाभप्रद बनाने की । वैधानिक दृष्टि से स्त्री और पुरूष दोनों समान हैं और समान अवसर और रक्षा के लिए विभिन्न अधिनियम बनाए गए हैं । शिक्षा, रोजगार व व्यवसायों में महिलाओं के लिए आरक्षण, प्रोत्साहन तथा विशेष सहयोग की नीतियों को अपनाया गया है । दुर्भाग्यवश, इन तमाम वैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बावजूद आज हम महिलाओं को बराबर का स्थान दिलाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाए हैं । इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं की स्थिति आजादी के पश्चात काफी सुधरी हैं परन्तु सदियों से चली आ रही यह जटिल सामाजिक कुरीति कहीं-कहीं पर फिर से उभरती दिखाई दे जाती हैं ।

धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है । गांव का खेत खलिहान हो, निजी तथा सरकारी फैक्ट्रियां हों अथवा प्रशासनिक विभाग ही क्यों न हों लेकिन महिलाओं का योगदान बढ़ता जा रहा है । इन विभिन्न क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा तथा स्थायित्वता बरकरार रखने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए हैं । चाहे वह निजी उद्योग हो अथवा सरकारी, मगर ये तमाम कानून दोनों जगह समान रूप से इस्तेमाल किए जायेंगे ।

किसी भी कानून का सबसे सबल पक्ष होता है कि उसका कार्य उसके अनुरूप होना । उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है वह कितना व्यावहारिक है । जबकि किसी कानून का उद्देश्य होता है उसका सही कार्यान्वयन तथा अपेक्षित प्रतिफल । मसलन अगर किसी कंपनी में काम करने वाली महिलाओं के लिए कोई कानून बनाया गया है तो उस कानून का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उस कानून के अंतर्गत आने वाली महिलाएं उस कानून से लाभान्वित हो रही हैं अथवा नहीं । कानून के द्वारा उसे जो अधिकार दिए गए हैं । वे मिल रहे हैं अथवा नहीं । इन्हीं सभी बातों पर कानून की सफलता तथा प्रासंगिकता निर्भर करती है । इसके लिए सामाजिक तथा व्यक्तिगत सचेतता की बहुत आवश्यकता है । अत : अधिकार लेने के लिए अधिकार के बारे में समग्र जानकारियां होनी चाहिए । वे अपने अधिकारों को किन परिस्थितियों में गिरवी रखने से बचा सकते हैं । अत: उन्हें इन सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए ।

5.1 परिचय (Introduction)

किसी भी देश की प्रगति एवं सम्पन्न पुरुषों और महिलाओं की समानता पर निर्भर करती हैं। अगर महिलाओं और पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं है । तो वह देश अनेक दृष्टि से पिछड़ा ही रहेगा। भारत में इस दिशा में स्वतंत्रता के बाद अनेक प्रयास किए गए हैं और तब वे अब तक महिलाओं की

सामाजिक स्थिति में काफी परिवर्तन हुए हैं । राष्ट्र में धीमी गति से विकास का एक मुख्य कारण है । उसकी नारी शक्ति का विकास की प्रक्रिया में अपूर्ण योगदान । नारी के पूर्ण सहयोग के बिना पुरूष गरीबी, बेरोजगारी, असमानता एवं जनसंख्या विस्फोट रूपी दुश्चक्र जंजीर को कदापि नहीं तोड़ सकता।

एक अविकसित या पिछड़े राष्ट्र में ही सामाजिक व लैंगिक भेदभाव प्रणाली निहित होती है । जैसे-जैसे ये राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर रहते हैं, इस प्रकार के भेदभाव और अमानवीय व्यवहार सामान्य क्रम में लुप्त हो जाते हैं । परन्तु अगर राष्ट्र तीव्र गति से विकसित होने को इच्छुक हैं तो इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों रण अत्याचारों को जल्द से बन्द करने की चेष्टा करनी होगी । नारी शक्ति राष्ट्र की वह अद्भुत शक्ति है जिसके मनोबल और कार्यक्षमता को अगर सही मायने में उपयोग में लाया जाए तो वह विकास की धारा को नया रूप, नई शक्ति और नई दिशा दे सकती है जो राष्ट्र को विकासशील नहीं अपितु खुशहाल अखण्ड और शान्तिपूर्ण बनाएगी ।

सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए महिलाओं को गैर कृषि गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना संबंधित कानूनी आवश्यक है । इससे भूमि पर जनसंख्या का दबाव भी कम होगा । महिलाओं को अपने घरों से बाहर भी काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । इसके साथ ही उनके बाहरी क्षेत्र में काम करने पर सामाजिक और पारम्परिक बन्धनों पर भी विचार करना चाहिए । उन समस्याओं का पता लगाना भी आवश्यक है जिससे महिलाएं या तो नौकरी पेशा में कम जाती है या जाने के बाद किसी कारणवश नौकरी छोड़ देती हैं । शिक्षा और आर्थिक स्तर में कमी आने के कारण महिलाओं में ग्रहणशीलता कम होती है । विकास में महिलाओं को व्यापक और अधिक प्रभावी भूमिका निभाने में अपने अधिकार के प्रति जागृत करना निर्णायक भूमिका है । प्रायः देखा जाता है कि विकास परियोजनाएं मुख्यत : पुरुषों पर और सामाजिक कल्याण की परियोजनाएं महिलाओं पर केन्द्रित हैं । किसी भी विकास का लाभ महिला और पुरुषों दोनों को होगा, अगर उसका क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाए ।

स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में महिलाओं को अधिक प्रोत्साहित किया जाता है और आर्थिक विकास तथा संस्थागत ढाँचे के निर्माण में आमतौर पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है । वे हमारी विकास प्रक्रिया में आम तौर पर निष्क्रिय लाभ भोगी मानी जाती है । सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत महिलाओं के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए परिवर्तन की प्रक्रिया में दीर्घकालीन प्रयास करने हैं ।

असंगठित क्षेत्रों में महिला श्रमिकों को पुरूष श्रमिकों की तुलना में निरंतर कम वेतन प्राप्त हो रहा है । वास्तव में सामाजिक बेरोजगारी कृषि में तकनीकी परिवर्तन और गैर कृषि गतिविधियों में कमी का प्रतिकूल असर सबसे पहले महिलाओं पर ही पड़ता है ।

कानून दारा महिला श्रमिकों को जो विभिन्न प्रकार के हित संरक्षण प्रदान किए गए हैं । उन कानूनों की धज्जियां भवन निर्माता, ईंटों के भटटे के मालिक या सरकारी कार्यों के निर्माता स्वयं ही उड़ा देते है । स्थिति यहां तक है कि अधिकांश महिलाएं अपने इस शोषण के कारण काम करना ही नहीं चाहतीं परन्तु पेट की मजबूरी के कारण वे अपनी अनिच्छा के बावजूद काम करती हैं ।

महिला श्रमिकों के अत्यधिक शोषित होने के कारण उनका असंगठित होना है । पुरूष श्रमिकों ने तो जगह -जगह पर अपने श्रम संघ बनाए हैं, परन्तु महिला श्रमिकों में इस प्रकार के श्रम संघ नगण्य है । महिलाओं द्वारा असंगठित होने के कारण भी उनका शोषण कई प्रकार से होता है । इस कारण

वे अपने हितों के लिए आवाज भी नहीं उठा पाती हैं ।महिला श्रमिकों के शोषित होने में उनका अशिक्षित होना भी कम कारण नहीं है । कम शिक्षित या सर्वथा अशिक्षित होने के कारण कई-कई स्थानों पर तो यहां तक देखने को मिलता है कि महिला श्रमिकों से अधिक परिश्रम के भुगतान पर अंगूठा लगाकर कम पारिश्रमिक दिया जाता रहा है और इस कारण अगर वे चाहें भी तो कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर पाएंगी ।

अत : विभिन्न उद्यमों में कार्यरत महिलाओं को अपने अधिकार तथा प्रदत्त कानूनों के प्रति जागरूक होना होगा । कानून ने लगभग सभी ढंगों से महिलाओं को सुरक्षा देने का प्रयास किया है । चाहे वह सरकारी हो अथवा गैर सरकारीसंस्था, प्रत्येक जगह कार्य की प्रकृति के अनुसार महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं ।

5.2 कानूनी प्रावधान की अवधारणा (Concept of Legal Provision)

किसी भी क्षेत्र में जब किसी के अधिकार का हनन हो रहा होता है अथवा किसी न किसी रूप से वह शोषण व दोहन का शिकार हो रहा तो है तो हमें उससे उसकी सुरक्षा हेतु कानून की आवश्यकता होती है । समाज में प्रचलित सामाजिक मूल्यों, सामाजिक नैतिकता और इनकी सही पहचान करने में शासक वर्ग का विवेक सम्मिलित रूप से कानून और न्याय के आधार बनते हैं ।

इस संदर्भ में हॉब्स ने कहा है कि राज्य अपने निर्णयों या नीतियों को कानून बनाकर उद्घोषित करता है । पर कानून के उचित पालन के लिए आवश्यक है कि जनता कानून को राज्य या संप्रभु का आदेश भर न माने बल्कि उसके औचित्य में विश्वास करे और उस कानून के क्रियान्वयन को भी ठीक माने । जब हम कानून और न्याय की अवधारण की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ मौलिक बातें उभरकर सामने आती है । मसलन, हरेक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता तथा सुरक्षा जैसी आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति हो । ज्योंही कानून और न्याय की सही अवधारण की बात होती है वहां विषमता, विशेषाधिकार, सम्पत्ति तथा शक्ति का केन्द्रीकरण खत्म सा हो जाता है।

विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए कार्य की प्रकृति के आधार पर कार्य के घंटे वेतन आदि निर्धारित किए जाते हैं । इन नियमों तथा कानूनों को बनाते समय महिलाओं की समस्या पर विशेष रूप से गौर करनी पड़ी होगी । क्योंकि, महिला के संदर्भ में जो कानून बनाए गए होंगे उनमें से अधिक का केन्द्र बिन्दु हैं महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएं । अत: कानून. समाज की सुरक्षा प्रहरी का काम करता है ।

भारत सरकार द्वारा कार्यरत एवं उद्यमी महिलाओं के लिए कई अधिनियम बनाए गए । जिनमें महिलाओं की प्राकृतिक संरचना, कार्यक्षमता तथा आय आधारभूत बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है । इन कानूनी प्रावधानों के द्वारा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव तथा अत्याचार को हर संभव रोकने का प्रयास किया है । कुछ कानूनों की चर्चा नीचे किए जा रहे हैं ।

5.3 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (Maternity Benefit Act 1961)

भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 अधिनियम द्वारा महिला श्रमिकों को उनकी प्रसूति की दशा में चिकित्सा एवं अन्य लाभ उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस जोखिम के विरूद्ध महिला श्रमिकों को सुरक्षा रख लाभ पहुंचाया जा सके ।किन्तु जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 लागू है । वहां मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू नहीं होता है और यदि किसी कारणवश दोनों ही अधिनियम

किसी संस्था में लागू है तो प्रसूति लाभ किसी एक ही अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किया जा सकता है । क्योंकि जहां मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 सामाजिक सुरक्षा के सामाजिक सहायता निधि के अन्तर्गत शामिल हैं, वहीं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 सामाजिक बीमा के निधि के अन्तर्गत लागू किया गया ।

भारतीय मातृत्व लाभ अधिनियम प्रत्येक कारखाने के रूप में कार्यरत संस्थान, खदान, बगान तथा संस्थानों पर लागू होता है । मातृत्व लाभ अधिनियम ऐसे कारखानों पर लागू होता है जहां कार्य शक्ति के द्वारा होता है तथा दस या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हों । इसके अतिरिक्त यह अधिनियम उन कारखानों पर भी लागू होता है जहां कार्य बिना शक्ति की सहायता से हो रहा हो लेकिन 20 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हों ।

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अन्तर्गत प्रत्येक महिला श्रमिक की उसकी प्रसूति की तिथि के पूर्व अनुपस्थिति की वास्तविक अवधि तथा प्रसूति की तिथि के बाद के सप्ताह की अवधि के लिए प्रसूति लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है । नियोजक उसे औसत दैनिक मजदूरी के हिसाब से लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है । औसत दैनिक मजदूरी का आशय संबंधित स्त्री के ऐसे तीन कैलेन्डर माह के मजदूरी के औसत से हैं तो उसके मातृत्व के कारण अनुपस्थिति की तिथि के पूर्व की हों ।

मातृत्व लाभ अधिक से अधिक 12 सप्ताह के लिए प्रदान किया जाता है जिसमें, 6 सप्ताह प्रसूति के पहले तथा 6 सप्ताह प्रसूति के बाद दिया जाता है । किन्तु अगर इस अवधि के अन्तर्गत किसी स्त्री कीं' मृत्यु हो जाए तो मातृत्व लाभ उसे मृत्यु के दिन तक ही मिलता है । परन्तु जब किसी स्त्री की मृत्यु बच्चे को जन्म देने के समय तथा बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह के अंदर होती है तो इस दिशा में नियोजक बच्चे के जन्म के बाद संपूर्ण 6 सप्ताह की अवधि के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम देने का उत्तरदायी होगा । किन्तु अगर बच्चा भी उस अवधि में मर जाता है तो बच्चे की मृत्यु के दिन तक की अवधि में मातृत्व लाभ प्रदान किया जा सकेगा ।

इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई बीमित स्त्री प्रसव अवस्था या अकाल प्रसव अवस्था में हो अथवा गर्भावस्था, प्रसव पीड़ा, बच्चों का असामयिक जन्म या अकाल पीड़ित अवस्था में हो तो उसे मातृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा । प्रसूति लाभ अनुसूची के सारणी के पांचवें स्तम्भ में दर्शाए गए दर से दुगुनी दर पर अर्थात स्टैण्डर्ड दैनिक लाभ की मजदूरी पर किया जाता है । किन्तु प्रथम लाभावधि से संबंधित अंशदान अवधि में यदि कुल साप्ताहिक अंशदानों के आधे साप्ताहिक अंशदान देय हो गए हैं तो बीमित स्त्री को प्रसूति लाभ की पात्रता प्राप्त 'हो जाती है ।

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता महिला श्रमिक को उक्त संस्थान में उसकी प्रसूति के समीपवर्त तिथि के ठीक पूर्व 12 माह की अवधि में कम से कम 160 दिनों का कार्य का दिन रहा हो ।

मातृत्व लाभ अधिनियम में यह लाभ तब प्राप्त होता है जब लाभावधि से संबंधित अंशदान अवधि में कम से कम 13 सप्ताह अंशदान देय हो गए हों तो किन्तु प्रथम लाभावधि से संबंधित अंशदान अवधि में यदि कुल साप्ताहिक अंशदान देय हो गए हैं तो बीमित स्त्री को लाभ मिलता है ।

इस अधिनियम में महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ के अतिरिक्त मेडिकल बोनस के रूप में 25 रू. मिलता है और 15 - 45 मिनट का दो शिशु पोषण मध्यान्तर भी मिलता हैं इन श्रमिकों

को चिकित्सा लाभ भी मिलता है । गर्भावस्था, प्रसव पीड़ा, बच्चे का असामयिक जन्म या अकाल प्रसव के कारण होने वाली बीमारियों के लिए विशेष अंशदान किया जाता है बशर्ते कि वह उसके प्रमाण -पत्र पेश कर सकें ।

यह लाभ प्रसूति लाभ की अवधि के अतिरिक्त एक माह तक के लिए प्रदान किया जाता है । किन्तु बीमारी लाभ तथा प्रसूति लाभ एक साथ प्रदान नहीं किया जाता है । इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी महिला श्रमिक को उसकी प्रसूति या अकाल प्रसव की तिथि के बाद के 6 सप्ताह की अवधि में न तो काम दिया जाएगा और न ही. काम करने दिया जाएगा । लेकिन यदि कोई गर्भवती स्त्री अपने नियोजक को ऐसा लिखित आवेदन करे कि उसे काम करने दिया जाए तो उसे कुछ खास अवधि में कठिन काम या ऐसा काम या ऐसा काम नहीं लिया जाएगा जिससे की गर्भावस्था में किसी प्रकार की हानि उत्पन्न हो या होने की आशंका हो ।

इस प्रकार भारत में महिला श्रमिकों के प्रसूति लाभ में सामाजिक सहायता एवं सामाजिक बीमा दोनों शामिल किया जाता है । कामकाजी रख उद्‌यमी महिलाओं के लिए इस प्रकार के कानूनी प्रावधान प्रदान कर दिए जाने से उनमें निहित असुरक्षा की भावना तथा आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाती हैं । यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है ।

इस अधिनियम के उपबंधों या अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए नियोजक को रझ वर्ष का कारावास या 5,000/- रू. तक का जुर्माना या दोनों रूप से दंडित किया जा सकता है । निरीक्षक के सामने रजिस्टर या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने या व्यक्तियों की उपस्थिति में बाधा पहुंचाने के लिए भी उसे एक वर्ष का कारावास या 5,000/ - रू तक का जुर्माना या दोनों रूप से दंडित किया जा सकता है ।

इस कानून के आने से महिला श्रमिकों को बहुत सुविधाएं मिली हैं । अब इस कानून के अन्तर्गत नियोजक से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का प्रमाण हो गया है ।

5.4 कारखाना अधिनियम 1948 (Factory Act 1948)

भारत की स्वतंत्रता के उपरान्त श्रम अन्वेषण समिति (Labour Investigation Committee 1944) की सिफारिश तथा Standing Labour Committee की नौवीं बैठक एवं मुख्य कारखाना निरीक्षकों के सम्मेलन में कई बार विचार विमर्श के पश्चात् पूर्व के सभी कारखाना अधिनियमों के सुदृढ़ तथ्यों एवं महत्वपूर्ण तथ्यों के मद्देनजर भारत सरकार ने एक विस्तृत विधेयक तैयार किया, जिसे अप्रैल 1948 को डोमिनिम सभा में पेश किया गया था । परिणामस्वरूप भारतीय कारखाना मजदूरों के संरक्षता प्रदान करने के लिए एक वृहद भारतीय कारखाना अधिनियम विधेयक 23 सितम्बर 1948 को पारित हो गया, जिसे कारखाना अधिनियम कहा गया । यह कानून 1 अप्रैल 1949 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया ।

यह भारत के श्रमिकों हेतु एक वृहद कानून है, जिसमें पिछले सभी कारखाना अधिनियमों की कमियों को दूर करने के साथ ही साथ स्त्री श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान में स्वास्थ्य (Health) सुरक्षा (Safty), कल्याण (Walfare), कार्य के घंटे (Working Hour), मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी (Annual Leave With Wages) इत्यादि का प्रावधान किया गया है ।

इस अधिनियम के तहत कारखाना के उस परिसर को सम्मिलित किया गया है । जहां 10 या उसे अधिक व्यक्ति शक्ति की सहायता से कार्य कर रहे हों या 20 या उससे अधिक व्यक्ति बिना शक्ति के काम कर रहे हों, एवं पिछले 12 महीनों में एक दिन भी कार्य हुए हों तथा जहां उत्पादन कार्य (manufacturing process) चल रहा हो । परन्तु इस परिभाषा के दायरा में खान, रेलवे, रनिंग शेड, होटल (mines, railway, running shade, hotels) तथा संघ के सशस्त्र बल की चलती-फिरती इकाई सम्मिलित नहीं होते हैं ।

यह अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा पारित किया गया है इसलिए सच भारतवर्ष में लागू होता है।

2. अधिनियम को प्रत्येक राज्य में लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है ।
3. इस अधिनियम के माध्यम से कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिकों के working condition किया जाता है । इसी कारण से इसे Labour protective legislation in India के नाम के साथ ही साथ working legislation in India के नाम से भी जाना जाता है ।

कार्यक्षेत्र एवं विस्तार (Scope & Coverage):

1. यह अधिनियम समूचे भारत में केवल कारखानों में ही लागू होता है ।

2. यह कानून भारत के उन्हीं कारखानों में लागू होता है जिस कारखाने के परिसर में कम से कम 10 या उससे अधिक व्यक्ति ऊर्जा शक्ति से संचालित उत्पादन कार्य करते हों अथवा 20 या उससे अधिक व्यक्ति बिना शक्ति के उत्पादन कर रहे हों, एवं 12 महीने में एक दिन भी उस जगह पर कार्य हुआ हो तथा कोई अभी निर्माण कार्य चल रहा हो ।

3. इस अधिनियम के अन्तर्गत mines, railway, running shade, hotels, canteen तथा संघ के सशस्त्र बल की चलती-फिरती इकाई नहीं आती है ।

4. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी खास तथ्यों को उल्लेखित करते हुए कारखाने हेतु प्रमाण दे सकती है ।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान (main provision of this act)

इस अधिनियम के तहत मुख्यत: 6 प्रावधानों की महत्ता पर बल दिया गया है, जो इस प्रकार है-

1. स्वास्थ्य (Health)
2. सुरक्षा (Safety)
3. कल्याण (Welfare)
4. कार्य के घंटे (Working Hour)
5. युवक एवं बच्चों के लिए रोजगार (Employment of Young Persons and Children)
6. मजदूरी सहित छुट्टी (Leave with Wages)

इन सभी प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न सेक्शन के तहत श्रमिकों के लिए विशेष सुविधाओं की चर्चा की गई है । इसके अन्तर्गत अनुच्छेद (Section) 11 से 20 तक स्वास्थ्य, section, 21 से या तक सुरक्षा, section, 42 से 0० तक कल्याण, section 51 से 66 तक कार्य के घंटे, section 67 से 77 तक युवा तथा बच्चों के लिए रोजगार तथा section 78 से 84 तक मजदूरी सहित छुट्टियों सहित छुट्टियों की चर्चा की गई है ।

इन सभी प्रावधानों में महिला श्रमिकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है । जिनमें कल्याण के लिए प्रावधान (provision for welfare) तथा काम के घंटों का प्रावधान (Provision for Hours of Works) उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है । इन प्रावधानों के अन्तर्गत उनके स्वास्थ्य, उनकी शारीरिक स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है ।

section 42 में Washing Facilities (धुलाई की व्यवस्था) की चर्चा की गई है जिनके अन्तर्गत महिलाओं को विशेष सुविधा प्रदान की गई है । अर्थात इनके अन्तर्गत दी गई सुविधाएं बिल्कुल ही पर्दायुक्त होगा । इसके अलावा अन्य सुविधाएं मसलन, मध्यातंर के दौरान बैठने की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, कैन्टीन, आराम करने तथा भोजन करने के लिए कमरे की व्यवस्था पुरूष से बिल्कुल अलग होगा ।

यहां एक बात उल्लेखनीय है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों में महिला श्रमिकों के बारे में विशेष ध्यान दिया गया है । लगभग सभी प्रावधानों में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है । उनके कल्याण तथा कार्य स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है ।

इनमें एक प्रावधान जिसमें कार्य के घंटे निर्धारित किए गए हैं, महिलाओं के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इसके अन्तर्गत section, 51 में बताया गया है कि किसी भी श्रमिक से एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिए जाएंगे । पुरूष के लिए अतिरिक्त कार्य (overtime) करने की छूट है लेकिन महिलाओं से किसी भी स्थिति में अतिरिक्त कार्य (overtime) नहीं करवाया जा सकता है । इसके लिए एक दिन का साप्ताहिक अवकाश, कार्य के बीच मध्यातंर की व्यवस्था (लगातार 5 घंटे कार्य करने के उपरान्त आधा घटा का अवकाश), किसी भी परिस्थिति में रात्रि (रात्रि 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक) में महिला से कार्य नहीं लेने की व्यवस्था की गई है ।

इस धारा में स्पष्टत: कहा गया है कि धारा 51 एवं 54 में उल्लेखित नियोजन के घंटे के संदर्भ में महिला श्रमिकों को किसी प्रकार की छूट किसी भी कारखाने में प्रदान नहीं की जा सकती है । महिला श्रमिकों से कार्य हर स्थिति में सवेरे 6 से शाम 7 बजे के बीच ही लिया जा सकता है । इसके अलावा महिला श्रमिकों के साप्ताहिक अवकाश या अन्य अवकाश के अलावा पाली (shift) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

अगर नियोजक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे आर्थिक दण्ड के साथ-साथ कैद की सजा भी हो सकती है । अत: इन नियमों के सख्ती से पालन होने के कारण ही विभिन्न कंपनियों में महिला श्रमिकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है ।

5.5 ए. बोनस भुगतान अधिनियम 1965 (Payment of Bonus Act 1975)

भारत में कार्यरत उद्यमियों को बोनस देने की शुरूआत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध बोनस (War Bonus) के रूप में मुंबई तथा अहमदाबाद के सूती वस्त्र उद्योग (cotton textile industry) के मालिकों द्वारा दी गई, क्योंकि वे युद्ध के दौरान अधिक मुनाफे प्राप्त किए गए और दूसरी तरफ

श्रमिकों को खुश रखने के लिए बोनस (bonus) की शुरूआत की गई । लेकिन अब श्रमिक, बोनस को मालिक द्वारा दिया जाने वाला उपहार नहीं वरन अधिकार के रूप में प्राप्त करने लगे हैं ।

इस संदर्भ में अन्य संगठनों द्वारा बार-बार प्रयास किया जा रहा कि इसे कानूनी रूप में परिणित कर दिया जाए । अतः श्रमिक, श्रम संघ तथा श्रम नेताओं द्वारा भारत सरकार पर दबाव दिया जाने लगा कि सरकार श्रमिकों को बोनस दिलाने संबंधी कोई कानून पारित कर दे । भारत सरकार ने सितम्बर 1961 में बोनस आयोग (bonus commission) का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1964 में भारत सरकार को सौंपी । अंततः केन्द्र सरकार ने मई 1965 में बोनस (bonus) से संबंधित एक अध्यादेश (ordinance) लाया जिसे विधेयक (Bill) के रूप में पारित कर दिया । यह विधेयक (bill) सितम्बर 1965 को बोनस भुगतान अधिनियम 1965 (payment of bonus act 1965) के रूप में देश में लागू किया गया ।

कार्य क्षेत्र एवं विस्तार (scope & coverage) :

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातें कही गई है ।

1. यह कानून देश के सभी कारखानों में लागू होता है जो factory act 1948 के अन्तर्गत आता है ।
2. अन्य establishment (स्थापना) की स्थिति में अगर 20 या अधिक श्रमिक accounting year (लेखा वर्ष) में किसी भी दिन एक दिन काम किए हों ।
3. appropriate Govt.(उपयुक्त सरकार) उसे उन संस्थानों में भी लागू (कर सकती है, जहां 20 से कम श्रमिक नियोजित हों लेकिन श्रमिकों की संख्या 10 से कम नहीं होना चाहिए ।
4. बोनस skilled, unskilled, managerial, supervisory, manual (दक्ष,अदक्ष, व्यवस्था, निरीक्षण संकाय) में नियोजित सभी व्यक्तियों को दिया जाता है, अगर वे विगत accounting year (लेखा वर्ष) में कम से कम 30 दिन काम किए हों ।

कानून के मुख्य प्रावधान

a. **न्यूनतम बोनस (minimum bonus)**- कानून में कहा गया है कि प्रत्येक संस्थान अपने कर्मचारियों को कम से कम 8.33 प्रतिशत बोनस के रूप में राशि प्रदान करेंगे । चाहे उनके पास आवंटनीय अधिशेष (Allotable surplus) नहीं हो या पिछले लेखा वर्ष (accounting year) में घाटा में गए हों ।

b. **अधिकतम बोनस (maximum bonus)**- कानून में कहा गया है कि किसी भी श्रमिक को अधिकतम बोनस उसकी आय (salary) के 20 प्रतिशत के बराबरी दी जाएगी ।

c. **बोनस की गणना (calculation of bonus)-** बोनस के अधिकारी वे सभी कर्मचारी होते है जिनका मासिक वेतन 3,500 रू. तक हो लेकिन बोनस की गणना अधिकतम 2,500 रू. पर ही की जाती है ।

d. **बोनस की समय सीमा और प्रणाली (mode & time limit for bonus)** - मालिक को बोनस भुगतान account year समाप्त होने के 8 माह के अंदर करना पड़ेगा, अगर settlement हुआ तो उस स्थिति में एक माह के अंदर ही बोनस दिया जाएगा । इस अधिनियम में इस बात की

चर्चा भी की गई है कि विशेष परिस्थिति में इस अवधि को 8 माह से बढ़ाकर 2 साल तक किया जा सकता है ।

नियोजक के द्वारा अगर किसी भी ढंग से इनमें से किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया तो उन्हें दण्डस्वरूप स्व माह का जेल अथवा 1,000 रू. देना पड़ सकता है ।

इस प्रकार यह बोनस अधिनियम उद्यमियों को कार्य के प्रति प्रेरित करता है । यह लागू होने से महिलाओं में कार्य के प्रति रूझान बढ़ा है एक विशेषज्ञ के अनुसार जिन कंपनियों में इस अधिनियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है । महिला कर्मचारियों की संख्या अधिक देखी गई । साथ ही साथ उस कंपनी से मजदूरों का पलायन भी कम रहा है ।

इसके अलावा भी कार्यरत महिलाओं के लिए कई अन्य कानून बनाए गए हैं । इन कानूनों के द्वारा किसी संस्थान या कारखाना में काम कर रही महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है । इन कानूनों में इनकी समस्याओं से संबंधित प्रावधान किए ही गए है । साथ ही साथ इनके अंदर के सभी पक्षों को भी ध्यान में रखने का प्रयास किया गया है । यू तो महिलाओं के अधिकार से संबंधित कई कानून अलग बनाए गए हैं । जबकि लगभग सभी कानूनों में पुरूष और महिला को समान अधिकार मिला हुआ है । अत: कानून में दिया गया समानता का अधिकार प्रत्येक अधिनियम के तहत लिया जा सकता है ।

बी. महिलाओं की सम्पत्ति का अधिकार (women's right to property)

5.6 महिलाओं की सम्पत्ति (Female's Property)

नारी की सम्पत्ति के उत्तराधिकार का विवेचन करने के पूर्व नारी की सम्पत्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी नहीं होता है तब तक वह सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त नहीं होता है । किसी सम्पत्ति के पूर्ण स्वामी होने की स्थिति में तीन मुख्य बातें हैं -

1. सम्पत्ति पर कब्जा रखने का अधिकार तथा उसका पूर्णरूपेण उपयोग ।
2. जीवन काल में सम्पत्ति का हस्तांतरण ।
3. मृत्यु के उपरान्त सम्पत्ति स्वामी के अपने उत्तराधिकारियों को प्राप्त होता है ।

इस प्रकार सम्पत्ति नारी को अपने उत्तराधिकारियों से तभी प्राप्त होगा जब वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी हो । उत्तराधिकार अधिनियम के पारित होने के पूर्व किसी नारी के पास की सम्पत्ति दो प्रकारों में से किसी प्रकार की हो सकती थी ' 'नारी संपदा " अथवा ' 'स्त्री धन " । नारी संपदा की वह पूर्ण स्वामिनी नहीं होती थी, क्योंकि इसके संबंध में वह वे अधिकार नही रखती थी जो सम्पत्ति में उसके पूर्ण स्वामी के होते हैं । ' 'नारी संपदा " में मुख्य रूप से नारी द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त की हुई सम्पत्ति होती थी । 'नारी संपदा ' का नारी जीवन भर उपयोग कर सकती थी । केवल तीन परिस्थितियों को छोड़कर किसी अन्य परिस्थितियों में वह सम्पत्ति का अन्य संक्रमण नहीं कर सकती थी । वह तीन परिस्थितियां थी-

1. कानूनी आवश्यकताएं (Legal necessity)
2. संपदा के लाभ के लिए (For the benefit of the estate)
3. उत्तरभोगियों की सहमति (Consent of the reversioners)

स्त्रीधन की सम्पत्ति हर नारी का पूर्ण स्वामित्व होता था । यद्यपि स्त्रीधन के विस्तार क्षेत्र में आने वाली कुछ प्रकारों की सम्पत्ति के व्ययन के नारी के अधिकार पर पति का नियंत्रण होता था । किन्तु स्त्रीधन के रूप में नारी को प्राप्त होने वाली सम्पत्ति बहुत सीमित प्रकार की होती थी । नारी के स्त्रीधन की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के क्रम स्वरूप नहीं थे । वह उसके विवाहित अथवा अविवाहित होने और विवाह को मान्य अथवा अमान्य प्रकार के होने तथा सम्पत्ति के प्राप्त करने के साधन के आधार पर भिन्न-भिन्न होता था । सबके ऊपर इसके न्यागमन के नियम शाखाओं में भिन्न- भिन्न थे । इस प्रकार नारी को सम्पत्ति प्राप्त करने और सम्पत्ति में उसके अधिकार अति दयनीय थे । इसने उसकी सामाजिक हैसियत को दयनीय बनाकर उसे पिछड़ेपन की कठोर श्रृंखला में जकड़ रखा था ।

उत्तराधिकार की धारा 14 'नारी संपदा ' तथा 'स्त्रीधन' को समाप्त कर नारी को सम्पत्ति के संबंध में पूर्ण स्वामित्व प्रदान करती है । इसके अनुसार नारी अपने कब्जे में होने वाली किसी भी सम्पत्ति को चाहे वह उत्तराधिकार अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अर्जित की गई हो या इसके पश्चात जिसे वह सीमित स्वामिनी के रूप में धारण करती थी, अब पूर्ण स्वामिनी के रूप में धारण करेगी । धारा 14 (1) के लागू होने के लिए संबंधित हिन्दू नारी में सीमित स्वामित्व का होना एक पूर्व शर्त है । यह धारा बड़े ही स्पष्ट शब्दों में नारी के अपने कब्जे में रहने वाली सम्पत्ति के पूर्ण स्वामी हो जाने की घोषणा करती है । इस प्रकार अब नारी संपदा पूर्णतया समाप्त हो गई है, तो स्त्रीधन भी अपने पारिभाषिक रूप में समाप्त हो गया है । नारी द्वारा धारण की जाने वाली समस्त सम्पत्ति अब उसके द्वारा पूर्ण स्वामिनी के रूप में धारण की जाएगी ।

नारी के पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करने का उपबंध प्राय : प्रत्येक परिवार की सम्पत्ति और प्रत्येक साधन से आई हुई सम्पत्ति के संबध में है । धारा 14 में स्व स्पष्टीकरण जोड़कर इसे पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया है । इसके अनुसार सम्पत्ति के अन्तर्गत वह चल और अंचल (Movable and unmovable) सम्पत्ति आती है जो कि हिन्दू नारी ने दाय द्वारा अथवा बिल द्वारा अथवा बंटवारा में अथवा भरण पोषण के या भरण-पोषण के बकाया के बदले में अथवा दान में किसी व्यक्ति से चाहे वह संबंधी हो अथवा नहीं, अपने विवाह के पूर्व या विवाह के समय या इसके पश्चात या अपने skill या labour द्वारा अर्जित की हो और कोई ऐसी सम्पत्ति भी जो उत्तराधिकार अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी । इस प्रकार नारी ने सम्पत्ति चाहे जिस किसी भी प्रकार से अर्जित क्यों न किया हो और सम्पत्ति चाहे जिस प्रकार भी प्रकार का क्यों न हो धारा 14 का उपबंध 'सभी में लागू होता है ।

यदि विधवा ने 1937 के अधिनियम के अधीन अपने पति के हित को विरासत में पाया है और अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में उसके अंश को आवंटित करते हुए पंचाट दिया जाता है जिसमें उसके अधिकार को विधवा की सम्पत्ति के रूप में वर्णित किया जाता है तो वह उत्तराधिकार अधिनियम के प्रवृत होने के बाद उस सम्पत्ति की स्वामिनी बन जाएगी । यदि पति और पत्नी के बीच हुए करार के अधीन पत्नी द्वारा सम्पत्ति प्राप्त की गई तो अधिनियम के लागू होने के पश्चात वह हित पूर्ण हो जाएगा । इसी प्रकार किसी नारी को किसी वसीयत में अपने जीवन भर के लिए मिली सम्पदा अधिनियम लागू होने के पश्चात उसकी पूर्ण सम्पदा हो जाएगी ।

5.7 नारी का सम्पत्ति का उत्तराधिकार संबंधित नियम (Role of Succession of the Property of Female)

नारी के दायाद उत्तराधिकारी (Heirs of Females)

उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 में नारी के दायादों का उल्लेख किया गया है। वस्तुत : नारी दायादों को सम्पत्ति के स्रोत पर आधारित किया गया है। इस दृष्टि से नारी की सम्पत्ति को तीन वर्गों में रखा गया है।

1. पिता अथवा माता से उत्तराधिकार में प्राप्त की गई सम्पत्ति।
2. पति तथा श्वसुर से प्राप्त की गई सम्पत्ति।
3. अन्य सम्पत्ति।

1. **पिता अथवा माता से उत्तराधिकार में प्राप्त की गई सम्पत्ति-** नारी द्वारा पिता अथवा माता से उत्तराधिकार में प्राप्त की गई सम्पत्ति के निम्नलिखित दायाद हैं।

(क) पुत्र और पुत्रियाँ- जिनके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की संतानें भी हैं।

(ख) पिता के दायाद।

2. पति अथवा श्वसुर से दान में प्राप्त की गई सम्पत्ति-

(क) पुत्र और पुत्रियों- जिनके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की संतानें भी हैं।

(ख) पिता के दायाद।

3. अन्य सम्पत्ति-

(क) पुत्र और पुत्रियाँ- जिनके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की संतानें भी हैं, और पति।

(ख) पति के दायाद।

(ग) माता और पिता।

(घ) पिता के दायाद।

(ङ) माता के दायाद।

इनके अलावा कुछ इस प्रकार के स्वामित्व भी हैं जिसकी वह पूर्णत : स्वामिनी होती है।

1. **पति-** पति से तात्पर्य विवाह -विच्छेद हो गए पति अथवा शून्य विवाह के पति से नहीं है। पति को नारी के विधिवत विवाह का होना चाहिए और नारी की मृत्यु के समय विवाह का बंधन बना हुआ होना चाहिए। जिस पति के विरूद्ध दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री अथवा न्यायिक पृथक्करण की डिक्री हो चुकी है, वह पति बना ही रहता है, इस स्थिति में उसके सम्पत्ति का पहला उत्तराधिकार वही होगी। यदि पति धर्म परिवर्तन कर किसी अन्य धर्म में चला गया है, किन्तु इस आधार पर पत्नी ने उसके विरूद्ध विवाह -विच्छेद की डिक्री प्राप्त नहीं की थी तो वह दाय प्राप्त करेगा।

2. **माता**- माता से तात्पर्य नैसर्गिक अथवा दत्तकग्रहीता माता से है। इसमें सौतेली माता नहीं है। माता और जारज दोनों प्रकार की पुत्रियों से दाय प्राप्त करती है। माता का अस्तित्व अथवा पुनर्विवाह अथवा धर्म परिवर्तन उसे सम्पत्ति पर अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। पति अथवा श्वसुर से दाय प्राप्त की गई सम्पत्ति माता को नहीं प्राप्त होती। माता और पिता साथ ही दाय प्राप्त करते हैं।

3. **पिता के दायाद-** उपर्युक्त विवेचनाओं से स्पष्ट हो गया है कि पिता की सम्पत्ति पर पुत्र हो अथवा पुत्री समान अधिकार है । यह अवधारित करने के लिए कि पिता के वारिस कौन-कौन से होते हैं, धारा 15 और 16 के अधिनियम की धारा 10 के साथ-साथ वर्णित हैं । यदि पिता के वारिसों की अवधारणा करने के इस सिद्धांत को प्रभावी बनाना आवश्यक हो जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण रक्त से संबंधित है, उनको उन व्यक्तियों पर अधिमान प्राप्त होना चाहिए जो कि अर्धरक्त से संबंधित है तो इस सिद्धांत को प्रभावी बना दिया जाएगा । किन्तु यदि पिता के वारिसों की अवधारण करने में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है, तो ऐसा कारण नहीं है जिससे उक्त सिद्धांत का सहारा लिया जाना चाहिए । नारी द्वारा माता -पिता से दाय में प्राप्त की हुई सम्पत्ति नारी के पुत्र और पुत्रियों, जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र अथवा पुत्री की संतानें भी हैं ।

इसके अलावा कुछ अन्य उपबंधों में महिला को सम्पत्ति पर अधिकार दिया गया है । यह अधिकार अथवा कानून महिला को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है तथा अपनी जिंदगी की किसी भी आपात समस्या से निपटने के लिए भी अधिकृत करता है ।

5.8 सारांश (Summary)

संवैधानिक दृष्टि से तो हमारे समाज में महिला और पुरूष को समान अधिकार दिया गया है । कानून के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार महिला का भी वही स्थान है जो पुरूष का । उन प्रावधानों में हर संभव कोशिश की गई है कि किसी भी मायने में महिला अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करे तथा कहीं से भी उसे एहसास नहीं हो कि समाज में पुरूष का वर्चस्व है ।

वक्त के साथ-साथ स्थितियां बदली और महिला भी समाज तथा देश को सुदृढ़ बनाने में अपना भरपूर योगदान देते हुए घर से निकलकर विभिन्न संस्थानों तथा कल-कारखानों में अपना योगदान देने लगीं । प्राकृतिक तौर पर उनके शरीर की बनावट ऐसी है कि वे कुछ खतरनाक कार्यों में संलग्न नहीं की जा सकती है । साथ ही उन कारखानों की कार्यप्रणाली के अनुसार अपने आप नहीं ढाल सकती है । इन्हीं बातों के मद्देनजर कुछ खास क्षेत्रों में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है तथा रात्रि में भी उनसे काम नहीं लिया जा सकता है । इसके अलावा विशेषकर कार्यरत एवं उद्यमी महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं । इन कानूनों में इनकी सुरक्षा संबंधी विशेष उपाय किए गए हैं । अगर नियोजकों द्वारा इन कानूनों का उल्लंघन किया जाता है अथवा किसी भी प्रकार के शोषण की बात आती है तो इन लोगों पर तुरंत कानूनी कारवाई की जाती है तथा इन्हें दंडित किया जाता है । इस प्रकार के कानूनों का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि अब विभिन्न कारखानों तथा संस्थानों में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है ।

हमारे संविधान में महिलाओं के सम्पत्ति पर अधिकार के बारे में विशेष चर्चा की गई है । किसी आपात समस्या में मसलन किसी महिला का विधवा हो जाना, पति द्वारा गैर कानूनी रूप से परित्याग कर देना, सामाजिक तथा परिवार अथवा पति अथवा पुत्र द्वारा उपेक्षा की शिकार होने की अवस्था में वे इन कानूनों का सहारा लेकर अपनी जिन्दगी मर्यादित ढंग से जी सकती है । इन कानूनों के सही कार्यान्वयन से समाज में व्याप्त महिला की दुर्दशा में आमूल-चूल परिवर्तन हो सकता है ।

5.9 अभ्यास के प्रश्न (Exercise)

1. कार्यरत महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधान के महत्व पर प्रकाश डालें ।

2. मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की उपयोगिता पर अपना विचार व्यक्त करें ।

3. कारखाना अधिनियम 1948, वर्ममान समय में कितना प्रासंगिक है? समालोचनात्मक निबंध लिखें ।

4. बोनस संदाय अधिनियम 1965 किस प्रकार महिलाओं को कार्य करने में प्रेरणा का काम करती है? वर्णन करें

5. कार्यरत महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियमों की चर्चा संक्षिप्त में करें ।

6. महिलाओं का सम्पत्ति पर अधिकार किस प्रकार उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है?

7. हाल में भारत सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

8. कार्यरत महिलाओं के लिए अब तक बनाए गए कानूनों में किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है? अगर है तो कैसे?

5.10 प्रस्तावित पुस्तकें (Suggested Reading)

भारत का संविधान, कानूनी अधिनियम- एक नजर में उद्यमी महिलाएं और कानून (प्रकाशन विभाग) हिन्दू विधि PERSONNEL MANAGEMENT (C.B MEMORIA) योजना ।

इकाई- 6 महिलाओं के द्‌वारा थाना, अदालत, लोक अदालत इत्यादि में प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध में विशेष प्रावधान

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

6.0 उद्देश्य (Objective)

6.1 परिचय (Introduction)

6.2 प्राथमिकी क्या है? (What if F.I.R)

6.3 महिलाएं और सामाजिक प्रथाएं

6.4 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

6.5 प्रस्तावित पाठ (Suggested Reading)

6.0 उद्देश्य (Objective)

महिलाओं को उनके अधिकारों से लैस करने के लिए तथा उन्हें शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए इस इकाई में हम अध्ययन करेंगे। महिलाओं के द्‌वारा थाना, अदालत, लोक अदालत इत्यादि में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में विशेष प्रावधान

मुख्य रूप से महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति स्पष्ट अवधारणा विकसित करना ।

उन्हें अपने अधिकार के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना ।

उन्हें संवेदनशील करना, प्रेरित करना और अन्ततः जाग्रत करना ।

6.1 परिचय (Introduction)

पुरूष सत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है, जबकि महिलाओं की भूमिका परिवार, समाज और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में मुक्त कंठ से सराही गई है। हर पुरूष महिलाओं की महत्ता को हृदय से स्वीकार करता है, परन्तु जैविक मांग की महत्वाकांक्षा या सेक्स की विकृति या बदलते परिवेश में अपसंस्कृति के कारण महिलाएं पुरूष के लिए वस्तु मात्र बन कर रह जाती हैं और पुरूष अपना वर्चस्व कायम रखने के उद्देश्य से महिलाओं को प्रताड़ित करता है । यातनाएं देता है । इस मनोवृत्ति का सिलसिला जारी है ।

हालांकि, महिलाओं को इस यातना और प्रताड़ना से मुक्त करने के लिए संविधान में भी प्रावधान किए गए हैं। संविधान के प्रावधानों, उपबंधों के आलोक में कानून बनाए गए हैं और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए योजनाएं, परियोजनाएं संचालित की गई हैं। फिर भी महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ नजर नहीं आती है। इसके लिए सभी स्तर पर प्रयास जारी है, जिसमें यह मुख्य रुप से स्वीकार किया गया है कि महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित किया जाए। उनमें उनके अधिकारों के सन्दर्भ में स्पष्ट अवधारण विकसित किया जाए। यदि महिलाएं साक्षर नहीं भी है तो उन्हें उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए। अधिकारों की स्पष्ट अवधारणा उनमें विकसित की जाए। अधिकारों का उपयोग-प्रयोग समझाया जाए और महिलाएं आत्म विश्वास के साथ, अपनी अस्मिता सुरक्षित रखते

हुए, निर्भय होकर समाज में जीएं और राष्ट्र-विकास की मुख्य धारा से जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें । महिलाओं के संदर्भ में संविधान में विशेष उपबंध किए गए हैं ताकि उनकी स्थिति सुदृढ़ की जा सके । इसलिए सभी नियमों में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं । महिलाओं की सामाजिक स्थिति उनकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भी विशेष प्रावधान है, जैसे महिलाओं की पर्दाप्रथा जिसके कारण वे खुलकर समाज में विचरण नहीं कर पाती हैं और कई ऐसे अवसरों से, सुविधाओं से च्युत हो जाती हैं । इस व्यावहारिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए विशेष सुविधा लाजमी हैं । यही कारण है कि थाना, अदालत, लोक अदालत में प्राथमिकी दर्ज करने के संदर्भ में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं । आइए इस इकाई में हम अध्ययन करें कि महिलाओं के लिए प्राथमिकी दर्ज करवाने के संदर्भ में क्या कुछ प्रावधान हैं ।

6.2 प्राथमिकी क्या है (What is F.I.R)

किसी भी घटना, दुर्घटना के संदर्भ में प्रथम सूचना प्रतिवेदन जब थाना, अदालत या लोक अदालत में दिया जाता है तो उसे प्राथमिकी कहते हैं । अंग्रेजी में इसे एफ आई. आर. कहते हैं । मतलब फर्स्ट इन्फॉरमेशन रिपोर्ट । यह इस बात का सूचक है कि आपके साथ दुर्घटना हुई और उसका लिखित दस्तावेज है । यह आगे की कानूनी कारवाई में मूलभूत आधार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है । इस प्राथमिकी से ही पूरी घटना का रहस्य उद्घाटित होता है या यों कहें की घटना-दुर्घटना के निर्णयात्मक स्थिति में पहुंचने में सहायक होता है । यह प्राथमिकी जिसके साथ दुर्घटना हुई है वह अपने बयान द्वारा तैयार करवाता है । प्राथमिकी का महत्व इसलिए कानूनी कारवाई में अधिक है । कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्राथमिकी किसी भी घटना-दुर्घटना का. मूल आधार है । यह कानूनी प्रक्रिया का प्रस्थान बिन्दु है ।

6.3 महिलाएं और सामाजिक प्रथाएं (Women and Social Custom)

महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर दृष्टि डालते हैं तो लगता है कि समाज में महिलाओं के बीच कई ऐसी प्रथाएं है जो पुरूष की अपेक्षा नारी को गुलाम या परतंत्रता की स्थिति में जीवन यापन के लिए बाध्य करती हैं । उन्हें कहीं न कहीं किसी न किसी विधि से लक्ष्मण रेखा के अन्दर ही जीना पड़ता है । यह सब पुरूष सत्तात्मक समाज की देन है । जैसे पर्दा प्रथा । इस प्रथा में हमारी माताएं, बहनें एक तरह से दम घोट कर जीवन जीती हैं । हालांकि पर्दा पुरुषों के दिमाग में हो, न कि महिलाओं के चेहरे पर या बंधन पुरुषों के व्यवहार में हो, न कि महिलाओं को चारदीवारी में कैद रखने में । परन्तु ठीक उल्टा, महिलाएं की कैद है । उन पर ही बंधन है और नतीजन वे स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से समाज में विचरण नहीं कर पाती है । परिणाम सामने है कि वे घुट-घुट कर जीवन -यापन के लिए बाध्य है और अपना अधिकार रहते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं । लोकलाज की अवधारणा भी महिलाओं को समाज में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए रोकती है । हर व्यवहार के लिए महिलाओं को ही सतर्क और सजग रहना है । बिना पुरूष के साथ वह बाहर नहीं जा सकती, अपनी बात नहीं कह सकती ।

6.4 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

1. प्राथमिकी किसे कहते है? व्याख्या करें ।
2. महिलाओं के संदर्भ में सामाजिक प्रथाओं की व्याख्या करें ।
3. प्राथमिकी दर्ज कराने के संदर्भ में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान क्या हैं?

6.5 प्रस्तावित पाठ (Suggested Reading)

भारतीय महिलाएं	:	दशा एवं दिशा
लेखक	:	श्री सुभाष शर्मा, भाप्रसे
प्रकाशक	:	शताब्दी 'प्रकाशन, 2 सूर्या विहार, आशियाना नगर,पटना-800 025
स्रोत	:	भारतीय संविधान

इकाई-7 महिलाओं से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का घोषणा-पत्र (चार्टर) वैधानिक दृष्टिकोण से

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

7.0 उद्देश्य (Objective)
7.1 परिचय (Introduction)
7.2 महिलाओं के प्रति समझौता
7.3 सारांश (Summary- up)
7.4 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)
7.5 प्रस्तावित पाठ (Suggested Reading)

7.0 उद्देश्य (Objective)

महिलाओं से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का घोषणा-पत्र (चार्टर) पर आधारित भारतीय संविधान में प्रावधान एवं भारतीय कानून से अवगत कराकर महिला समाज को लाभान्वित करना ताकि भारतीय समाज को विश्व स्तर पर तैयार किया जा सके ।

7.1 परिचय (Introduction)

महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा स्वीकृत समझौता 3 सितम्बर, 1981 लागू किया गया जिसे महिलाओं के प्रति सभी होने वाले भेदभाव की समाप्ति हेतु समझौता (convention on elimination of all discrimination against women) CEDAW के नाम से जाना जाता है । CEDAW को अपनाए जाने के साथ ही महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने हुए विश्वव्यापी सहमति बनी है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के इस घोषणा-पत्र के द्वारा स्त्री-पुरूष के अधिकारों की समानता पर बल दिया है । संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने पाया कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर कम मिलते है जो उचित नहीं है । महिलाओं से भेदभाव कम होने के लिए महिला राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 में लाया गया । इसे पूरे देश में 31 जनवरी, 1992 में लागू किया गया ।

7.2 महिला के प्रति समझौता (Women Conventions)

स्त्री का महत्व समय के अनुसार समाज में बदलता रहा है । विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार जिस प्रकार उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता रहा है, ठीक वैसे ही परिवार में भी परिवर्तन होता रहा है । मानव सभ्यता के प्रारम्भिक चरणों में उत्पादन के साधन समुदाय के अन्तर्गत था इसीलिए परिवार नामक संस्था का अस्तित्व ही नहीं था । मानव सभ्यता के प्रारम्भिक चरणों में बन्धनमुक्त स्वछन्द यौन-सम्बन्ध था । धीरे-धीरे समाज विकसित होता गया, यौन सम्बन्धों पर प्रतिबन्ध बढ़ता गया । अन्ततः विवाह और परिवार नामक संस्था का उदय हुआ । विवाह और परिवार ने निजी सम्पत्ति को जन्म दिया, जिसमें पुरूष सम्पत्ति के स्वामी होते थे और सम्पत्ति के उत्तराधिकार का सवाल लाजिमी

था ऐसी स्थिति में स्व पत्नी-एक पति विवाह इस समस्या को सुलझाने का कारगर उपाय था । निजी सम्पत्ति ने स्त्री को दोयम दर्जे की स्थिति में कायम कर दी जो कमोबेश अभी तक चल रही है ।

बदलती परिस्थितियों में सभी को पुरूष के समान ही अधिकार देने की सामाजिक बाध्यता है । महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति हेतु समझौता 18 दिसम्बर, 1979 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आमसभा के द्वारा स्वीकृत किया गया । इसे 3 सितम्बर, 1981 को लागू किया गया । इसे संक्षिप्त में CEDAW कहते है । जिसका मतलब होता है- (Convention on Elimination of All Discrimination Against Women).

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा CEDAW को अपनाए जाने के बाद महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु विश्वव्यापी सहमति बनी है । सदस्य राष्ट्रों को अधिकार है कि अपनी संस्कृति तथा परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए सभी तीस धाराओं या किसी एक धारा को मान सकते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ अपने इस घोषणा-पत्र द्वारा मानव के सम्मान और योग्यता तथा स्त्री-पुरुषों की समानता पर बल दिया है ।

संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं से संबंधित घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 1 के अनुसार महिलाओं के प्रति भेदभाव का अर्थ लिंग पर आधारित अंतर, अपेक्षा या रोक है, जिससे महिलाओं के जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले मूल अधिकारों का हनन होता है ।

भारतीय संविधान की धारा 15 के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक में धर्म, जाति सम्प्रदाय, जन्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है । भारतीय संविधान की धारा 16 के अनुसार सरकारी नौकरी में भारतीय नागरिक को बराबर का अवसर मिलता रहेगा ।

घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 2 में महिलाओं के भेदभाव को रोकने हेतु नीति-निर्धारण की नीतियां तय की गई हैं ।

(क) राष्ट्रीय संविधान के अनुसार स्त्री-पुरूष समानता के सिद्धांत को ठोस रूप देंगे तथा कानून एवं अन्य उचित साधनों के द्वारा सिद्धांत को व्यावहारिक बनाएंगे ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के लिए तथा समान रक्षा के लिए भारतीय भूमि पर वचनबद्ध है ।

भारत में दो दर्जन से अधिक कानून बने हैं जो महिला से भेदभाव, समानता के सिद्धांत, उत्पीड़न के खिलाफ रण कल्याणार्थ हैं । जैसे- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 47 (2), 51(2), 53 (2), 98,100 018(3), 125. 327(2), 347,354,361,363,377,376,493 से 497,498 और 509 दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1986, अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1956 आदि ।

CEDAW के अनुच्छेद 3 के मुताबिक समझौते में शामिल राष्ट्र यह देखेंगे कि महिलाओं का पूर्ण विकास हो, ताकि वे पुरुषों के समान मानव-अधिकारों रण मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग कर सकें । भारतीय परम्पराओं रण प्रथाओं की सीमा में औपचारिक रूप से समस्त अधिकारों की हकदार हैं ।

इसके अलावा इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के 73वे एवं 74वें का उल्लेख आवश्यक है तो महिलाओं के लिए ग्रामीण शहरी रम्य स्थानीय निकायों में 173 हिस्सा सुरक्षित करना है । सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है ।

अनुच्छेद 4 के अनुसार सदस्य राष्ट्र स्त्री-पुरूष के बीच वास्तविक समानता को लक्ष्य मानकर महिलाओं के लिए अस्थाई विशेष उपाय करेंगे तथा अवसर एवं व्यवहार की समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने की इन उपायों को समाप्त कर देंगे । इन विशेष उपायों के तहत प्रसूति सुरक्षा को भेदभाव पूर्ण नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद 5 के अनुसार (क) समझौते में शामिल राष्ट्र यह देखेंगे की सांस्कृतिक एवं सामाजिक अवधारणाओं अनुरूप महिलाओं की भागीदारी तथा भेदभाव मूलक स्वरूप को समाप्त किया जाए, ताकि उनके प्रति हो रहे पक्षपातों या उन अन्य रिवाजों को मिटाया जा सके, जिनके तहत उनकी घिसी-पिटी भूमिका निर्धारित की गई है ।

(ख) प्रसूति-ज्ञान को सामाजिक कार्य के रूप में देखने तथा अपने बच्चों को भरण -पोषण एवं विकास की सामान्य जिम्मेदारी की मान्यता देने के लिए राज्य पारिवारिक शिक्षा को सुनिश्चित करता है ।

भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है । ऐसा पाठ्यक्रम रहे जिसमें शिक्षा की योजना एवं प्रबंध लिंगभेद से रहित एवं उचित हो ।

अनुच्छेद 6 - राज्य ऐसे सभी उपाय करेगा तथा नियम बनाएगा, जिनसे महिलाओं को वेश्यावृत्ति एवं अवैध व्यापार से रोका जा सके।

भारत में अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम 1956 लागू है जिससे अवैध व्यापार पर रोक है । लेकिन वेश्या न रहे, इसके लिए कानून नहीं बना है ।

अनुच्छेद- 7 - सदस्य राष्ट्र राजनैतिक एवं सामान्य जीवन में स्त्री-पुरूष भेदभाव को दूर करेंगे-

(क) वोट देने का अधिकार एवं चुनाव में खड़े होने का अधिकार ।

(ख) सरकार की नीति-निर्धारण प्रक्रियाओं में भाग लेना तथा सरकारी स्तर पर सभी कार्यालयों में अपनी भागीदारी दर्ज कराना ।

(ग) गैर सरकारी संगठनों (NGO'S) में भाग लेने का अधिकार । भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इन सभी अधिकारों का अस्तित्व है।

चुनाव, नीति-निर्धारण एवं गैर सरकारी संगठनों के आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने के लिए सतत् प्रयास किया जा रहा है ।

अनुच्छेद- 8 - सदस्य राष्ट्र महिलाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कामकाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे ।

भारतीय महिलाएं बीजिंग में हुए चौथे विश्व महिला सम्मेलन के समान्तर और गैर सरकारी संगठनों की बैठक में 53 सरकारी प्रतिनिधियों एवं लगभग 500 महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अनुच्छेद- 9 - सक्षम राज्य पुरुषों की बराबरी में महिलाओं को राष्ट्रीयता प्राप्त करने, बदलने या बनाए रखने का अधिकार देता है । एक विदेशी से शादी करने या पति के द्वारा राष्ट्रीयता बदलने से ही पत्नी की राष्ट्रीयता नहीं बदल जाती है । उन्हें नागरिकता से वंचित रखने या पति से राष्ट्रीयता को ही ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता भारतीय कानून में महिलाओं के इन अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करेगा ।

अनुच्छेद - 10 - सदस्य राष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के प्रति कोई भेदभाव नहीं करेगा।

(क) शहरी रख ग्रामीण क्षेत्रों में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए जीविका रण व्यवसाय की जानकारी देगा । तथा सामान्य स्कूली तकनीकी शिक्षा के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुनिश्चित करेगा ।

(ख) परीक्षाओं के लिए सामान्य पाठ्यक्रम एवं सामग्री प्रदान करेगा ।

(ग) सह-शिक्षा को प्रोत्साहन देगा ।

(घ) छात्रवृत्तियों एवं अध्ययन के अन्य अनुदानों के लाभ का समान अवसर देगा ।

(ङ) वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के समान लगातार शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा ताकि, स्त्री-पुरूष में शिक्षा-भेद को दूर किया जा सके।

(च) राज्य छात्रा छीजन (dropout) की संख्या को रोकने का प्रयास करेगा और जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है उनके लिए विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था करेगा ।

(छ) खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा में भाग लेने का समान अवसर देगा ।

(ज) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की जानकारी के लिए अवसर एवं सूचना प्रदान करेगा ।

भारत में सभी प्रकार की शिक्षा, सभी स्तरों पर मुफ्त दी जाएगी, ऐसी कोशिश की जाएगी ताकि उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार हो सके।

भारत स्त्री-पुरूष दोनों -के लिए स्व समान पाठ्यक्रम की नीति का अनुसरण करता है । सह -शिक्षा की नीति निर्धारित की गई है । छात्रवृत्तियां एवं अनुदान सभी लड़कियों एवं लड़कों के लिए अनुपलब्ध है, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में सुविधारहित समूह से आने वाली लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है । लड़कियों एवं महिलाओं के विशेष समूह में सीखने की स्कूली व्यवस्था है ।

भारत में निरक्षरता उन्मूलन के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अधिकांशत: प्रशिक्षु उत्साही महिलाएं हैं । लड़कियों को खेलकूद और शारीरिक शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर देकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में तैयार करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं ।

अनुच्छेद- ।।

सदस्य राज्य रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करेगा ।

(क) काम का अधिकार सभी के लिए अपरिवर्तनशील अधिकार है ।

(ख) रोजगार के समान अवसर देने तथा इसके चयन में समान मापदण्ड अपनाए जाएंगे ।

(ग) रोजगार एवं व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार तथा पदोन्नति, नौकरी सुरक्षा, सेवा-लाभ और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाने का अधिकार देगा ।

(घ) समान मजदूरी रथ लाभ तथा कार्य की गुणवत्ता के मूल्यांकन में समानता का व्यवहार होगा।

(ङ) सेनानिवृत्ति, बेरोजगारी, बीमारी, असमर्थता रख बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त वेतन सहित छुट्टी का अधिकार मिलेगा।

(च) कार्य करते समय वक्त स्वास्थ्य सुरक्षा तथा प्रजनन की सुरक्षा का अधिकार होगा ।

2. विवाह एवं प्रसूति के आधार पर महिलाओं के प्रति भेदभाव को रोकने के लिए राज्य उचित कदम उठाएगा ।

(क) गर्भधारण या प्रसूति के समय छुट्टी मिलेगी तथा वैवाहिक स्थिति के आधार पर बर्खास्तगी रोकी जाएगी ।

(ख) वरीयता एवं सेवा संबंधी अन्य लाभों को सुरक्षित रखते हु ए सवैतनिक मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।

(ग) माता-पिता के पारिवारिक कर्तव्यों को काम की जिम्मेवारी से जोड़ते हु ए सामान्य जीवन में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी ।

भारतवर्ष में रोजगार में भेद-भाव नहीं है । कहीं-कहीं महिला को प्रोत्साहित करने के लिए आरक्षण है। प्रसूति लाभों, वेतन सहित छुट्टी, गर्भधारण के दौरान छुट्टी आदि सम्मिलित है ।

अनुच्छेद 12

1. राज्य महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए स्वास्थ्य की देखभाल एवं परिवार नियोजन के उचित उपाय करेगा ।
2. राज्य महिलाओं के लिए गर्भधारण, प्रसूति और प्रसूति के बाद के समय के लिए मुफ्त एवं समुचित सेवाएं सुनिश्चित करेगा ।

भारत में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा समान रूप से उपलब्ध है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों की संख्या इतनी बड़ी आबादी के लिहाज से अपर्याप्त है, क्योंकि यहां स्वास्थ्य के प्रति उदासीन मनोवृत्ति से निपटने का कोई साधन नही है । प्रसूति के दौरान समुचित देखभाल के अभाव मात्र से मृत्यु दर अधिक है ।

अनुच्छेद - 13

1. सदस्य राष्ट्र पारिवारिक सुविधाओं के लिए महिलाओं को कर्ज रण उधार लेने के समान अवसर उपलब्ध कराएंगे ।
2. खेलकूद, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों में महिलाओं की समान भागीदारी सदस्य राष्ट्र सुनिश्चित करेंगे । भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की है ।

अनुच्छेद - 14

1. राज्य ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक मजबूती को सुनिश्चित करेगा ।
2. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण विकास के लाभों में महिलाओं का हिस्सा हो ।

(क) सभी स्तर पर विकास-योजनाओं के विस्तार एवं क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी होगी।

(ख) परिवार नियोजन की सूचना, सलाह एवं सेवा के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी ।

(ग) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा ।

(घ) रोजगार एवं स्वरोजगार में वृद्धि एवं आर्थिक अवसरों के लिए स्वयंसेवी संगठन तथा सहकारी समितियों का गठन होगा ।

(ङ) सामुदायिक क्रियाकलापों में भागीदारी होगी ।

भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है । जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास के तहत महिलाओं को आय में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण तथा वित्तीय एवं

अन्य सहायता दी जाती है । सरकार महिला मंडल योजना के लिए पहल कर रही है । इसके अलावा लघु बचत, निवेश तथा सहकारी समिति की कई योजनाएं भी हे ।

ग्राम, प्रखण्ड रख जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित है । ग्रामीण क्षेत्रों में असुविधाजनक समूहों के लड़कियों एवं अन्य बच्चों के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल की गई है ।

सफाई, पानी, बिजली, परिवहन एवं दूर-संचार के न्यूनतम आधारभूत ढाँचे को विकसित कर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जीवन दशा सुधारने के प्रयास जारी है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्वरूप को बदलने तथा विकास की योजनाओं में महिलाओं को शामिल करने में मदद मिलती है ।

अनुच्छेद - 15

कानून ने महिलाओं को पुरुषों के अनुरूप समानता प्रदान की है । भारत में जाति,पंथ, प्रजाति, निवास या लिंग को ध्यान में रखे बिना समानता को एक मौलिक अधिकार माना गया है ।

अनुच्छेद - 16

विवाह एवं पारिवारिक मामलों में राज्य महिलाओं के प्रति भेदभाव नहीं बरतेगा ।

(क) विवाह करने का अधिकार ।

(ख) जीवन-साथी के चयन का अधिकार ।

(ग) वैवाहिक जिम्मेदारी तथा तलाक का अधिकार ।

(घ) बच्चों से संबंधित माता-पिता की जिम्मेवारियां ।

(ङ) बच्चों की संख्या एवं उनके बीच अंतराल रखने का अधिकार ।

(च) बच्चों को गोद लेने और अभिभावक का समान अधिकार तथा जिम्मेवारियां ।

(छ) पति-पत्नी के रूप में उनके व्यक्तिगत अधिकार, जिनके तहत उन्हें पारिवारिक नाम, पेशा या व्यवसाय चुनने का अधिकार है।

(ज) पति-पत्नी दोनों का सम्पत्ति के अर्जन, प्रबंधन, उसका उपभोग एवं निपटारा संबंधी समान अधिकार है, जो मुफ्त या क्षतिपूर्ति के आधार पर हो सकता है ।

2. सगाई या विवाह के लिए न्यूनतम उम्र का ध्यान नहीं रखे जाने पर इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा । विवाह का पंजीयन कराना अनिवार्य है ।

भारत में दहेज प्रतिबंध अधिनियम लागू है जिसमें दहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म है । भारत में विवाह एक व्यवस्थापक प्रबंध है जो टिकाऊ है । भारतीय महिलाओं को बहुत कम सम्पत्ति दी जाती है जबकि दुनिया के अन्य देशों में उन्हें सम्पत्ति रखने या अपनी इच्छा से उसे बेचने का अधिकार है । विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष है । 15 वर्ष की उम्र होने पर मुस्लिम लड़की अपने पति को छोड़ भी सकती है । पारसी में लड़के एवं लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है । ईसाइयों में बाल-विवाह पर प्रतिबंध है।

7.3 सारांश (summary up)

संयुक्त राष्ट्रसंघ घोषणा-पत्र द्वारा मानव के सम्मान और योग्यता तथा स्त्री-पुरूष के अधिकारों की समानता पर बल दिया गया है । मानवाधिकारों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र के प्रति राज्यों

की जिम्मेदारी है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों के लिए महिलाओं को समान अवसर मिले । देश के पूर्ण विकास, विश्व कल्याण एवं शांति के लिए सभी क्षेत्रों में समान शर्तों पर पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी हो ।

7.4 अभ्यास के प्रश्न (question for exercise)

(i) महिलाओं के प्रति मानवाधिकार का संक्षिप्त में वर्णन करें ।

(ii) भारत में मानवाधिकार को कितने हद तक अपने कानून में समावेश किया गया है, इसकी समीक्षा करें ।

(iii) (क) क्या भारतवर्ष में महिलाओं को वोट देने का अधिकार हैं?

(ख) क्या भारत की महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो सकती है?

(ग) क्या भारतीय महिला विदेश सेवा में जा सकती है?

(घ) क्या भारतीय महिला संसद की सदस्य हो सकती है?

(ङ) पंचायत में महिला के लिए कितना स्थान सुरक्षित किया गया है?

7.5 प्रस्तावित पाठ (suggested reading)

1. महिला के प्रति होने वाले भेद भाव की समाप्ति हेतु समझौता प्रस्ताव
2. भारतीय संविधान- डी.डी बसु ।

इकाई-8 महिलाओं से संबंधित मानवाधिकार प्रावधान

पाठ-संरचना (Lesson stucture)

8.0 उद्देश्य (Objective)

8.1 परिचय (Introduction)

8.2 महिलाओं के प्रति समझौता (Convention on Women)

8.3 सारांश (Summary up)

8.4 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

8.5 प्रस्तावित पाठ (Suggested Reading)

8.0 उद्देश्य (objective)

महिला के विषय में प्राप्त मानवाधिकार से विद्यार्थी को जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करना ताकि भारतीय समाज को विश्व स्तर पर तैयार किया जा सके ।

8.1 परिचय (introduction)

महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आमसभा द्वारा स्वीकृत समझौता 3 सितम्बर, 1981 से लागू किया जिसे "महिलाओं के प्रति होने वाले सभी भेदभावों की समाप्ति हेतु समझौता (convention on elimination of all discrimination against women) कहते हैं । संक्षिप्त रूप में हम CEDAW के नाम से जानते हैं । संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा CEDAW को अपनाए जाने के साथ ही महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु विश्वव्यापी सहमति बनी है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के इस घोषणा-पत्र के द्वारा सभी-पुरूष के अधिकारों की समानता पर बल दिया गया है । संयुक्त राष्ट्र के सदस्य यह चिन्ता व्यक्त करते हैं, कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर कम मिलते हैं जो उचित नहीं है । महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव कम करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रावधान किया जिसे महिला राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 कहते हैं तथा इसे पूरे देश में 31 जनवरी, 1992 में लागू किया गया । "

8.2 महिला के प्रति समझौता (convention on women)

महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आमसभा ने 18 सितम्बर 1979 को स्वीकृत किया जिसे 3 सितम्बर 1981 को लागू किया गया ।

25 जून, 1993 को भारत ने कुछ संशोधनों के साथ CEDAW का अनुमोदन किया । यह भारत के किसी समुदाय के निजी मामलों में दखल न देने की नीति से संबद्ध है ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा CEDAW को अपनाए जाने के साथ ही महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु विश्वव्यापी सहमति बनी है । यह समझौता महिला अधिकारों के लिए एक मात्र कानूनी बाध्यता है । सदस्य राष्ट्रों को यह अधिकार है कि अपनी संस्कृति तथा परंपराओं को ध्यान में रखते हुए तीस (30) धाराओं या किसी एक धारा को मान सकते है।

CEDAW के अनुसार अनुच्छेद 1 में महिलाओं के प्रति भेदभाव का अर्थ लिंग पर आधारित अंतर, उपेक्षा या रोक है। जिससे महिलाओं के जीवन के हर क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले मूल अधिकार का हनन होता है।

भारतीय संविधान में जाति, पंथ या प्रजाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न करने की नीति स्पष्ट है। राज्य को अधिकार है कि वह महिलाओं के पक्ष में रचनात्मक भेद कर सके, ताकि उनकी सभी असुविधाओं को दूर किया जा सके।

CEDAW के अनुच्छेद 2 में महिला के भेदभाव रोकने हेतु नीति-निर्धारण की नीतियाँ तय की गई हैं।

(क) राष्ट्रीय संविधान के अनुसार स्त्री-पुरूष समानता के सिद्धांत को ठोस रूप देंगे तथा कानून एवं अन्य उचित साधनों के द्वारा इस सिद्धांत को व्यावहारिक बनाएंगे।

(ख) उचित विधानों, उपायों रख दंड विधानों को अपनायेंगे ताकि महिलाओं के प्रति भेदभाव पर रोक लगा सके।

(ग) राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के द्वारा महिला-अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करेंगे।

(घ) ऐसे सभी उचित उपाय करेंगे जिनसे किसी भी व्यक्ति, संगठन या औद्योगिक इकाइयों के द्वारा हो रहे महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर किया जा सके।

(ङ) ऐसे सभी उपाय करेंगे जिनसे महिलाओं के प्रति भेदभाव को बढ़ाने वाले सभी कानूनों, विधानों एवं रिवाजों को खत्म किया जा सके या उनमें परिवर्तन हो सके।

(च) वैसे सभी राष्ट्रीय दंड विधानों को रह करेंगे जो महिलाओं के प्रति भेदभाव करते हैं।

भारत में दो दर्जन से अधिक कानून बने हैं जो महिला से भेदभाव, समानता के सिद्धांत, उत्पीड़न के खिलाफ एवं कल्याणार्थ हैं। जैसे- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 47 (2), 512), 53 (2), 98, 100(3), 125, 327(2), 416, 437 (2), भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100,228a,292,312,313,314, 327, 347, 354, 381/363, 366, 376,493 से 497, 498' और 509। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 महिलाओं की अशिष्ट प्रस्तुति (प्रतिषेध) अधिनियम 1986, अनैतिक व्यापार (प्रतिषेध) अधिनियम 1956 आदि।

CEDAW के अनुच्छेद 3 के मुताबिक "समझौते में शामिल राष्ट्र यह देखेंगे कि महिलाओं का पूर्ण विकास हो, ताकि वे पुरुषों के समान मानव-अधिकारों रम्य मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग कर सके।

भारतीय परम्पराओं एवं प्रथाओं की सीमा में महिलाएं औपचारिक रूप से समस्त अधिकारों की हकदार हैं।

इसके अलावा इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें का उल्लेख आवश्यक है जो महिलाओं के लिए ग्रामीण, शहरी एवं स्थानीय निकायों में 173 हिस्सा सुरक्षित करना है। सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

अनुच्छेद 4 के अनुसार सदस्य राष्ट्र स्त्री-पुरूष के बीच वास्तविक समानता को लक्ष्य मानकर महिलाओं के लिए अस्थाई विशेष उपाय करेंगे तथा अवसर एवं व्यवहार की समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने इन उपायों के तहत प्रसूति सुरक्षा को भेदभाव पूर्ण नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 5 के अनुसार (क) समझौते में शामिल राष्ट्र यह देखेंगे कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक अवधारणाओं के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी तथा भेदभावपूलक स्वरूप को समाप्त किया जाए, ताकि उनके प्रति हो रहे पक्षपातों या उन अन्य रिवाजों को मिटाया जा सके, जिनके तहत उनकी घिसी-पिटी भूमिका निर्धारित की गई है ।

(ख) प्रसूति-ज्ञान को सामाजिक कार्य के रूप में देखने तथा अपने बच्चों को भरण-पोषण एवं विकास की सामान्य जिम्मेदारी की मान्यता देने के लिए राज्य पारिवारिक शिक्षा को सुनिश्चित करता है ।

भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है । ऐसा पाठ्यक्रम रहे जिसमें शिक्षा की योजना एवं प्रबंध लिंगभेद से रहित एवं उचित हो ।

अनुच्छेद- 6 - राज्य ऐसे सभी उपाय करेगा तथा नियम बनाएगा, जिनसे महिलाओं को वेश्यावृत्ति एवं अवैध व्यापार से रोका जा सके।

भारत में अनैतिक व्यापार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1956 लागू है, जिससे अवैध व्यापार पर रोक है लेकिन वेश्या न रहे, इसके लिए कानून नहीं बना है ।

अनुच्छेद- 7 - सदस्य राष्ट्र राजनैतिक एवं सामान्य जीवन में स्त्री-पुरूष भेदभाव को दूर करेंगे-

(क) वोट देने का अधिकार रख चुनाव में खड़े होने का अधिकार ।

(ख) सरकार की नीति-निर्धारण प्रक्रियाओं में भाग लेना तथा सरकारी स्तर पर सभी कार्यालयों में अपनी भागीदारी दर्ज कराना ।

(ग) गैर सरकारी संगठनों (NGO&) में भाग लेने का अधिकार ।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इन सभी अधिकारों का अस्तित्व है । चुनाव, नीति-निर्धारण एवं गैर सरकारी संगठनों के आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने के लिए सतत् प्रयास किया जा रहा है ।

अनुच्छेद- 8 - सदस्य राष्ट्र महिलाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कामकाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे ।

भारतीय महिलाएं बेइजिंग में हुए चौथे विश्व महिला सम्मेलन के समान्तर और गैर सरकारी संगठनों की बैठक में 53 सरकारी प्रतिनिधियों एवं लगभग 500 महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अनुच्छेद-9 - सक्षम राज्य पुरुषों की बराबरी में महिलाओं को राष्ट्रीयता प्राप्त करने, बदलने या बनाए रखने का अधिकार देता है । एक विदेशी से शादी करने या पति के द्वारा राष्ट्रीयता बदलने से ही पत्नी की राष्ट्रीयता नहीं बदल जाती है । उन्हें राष्ट्रीयता से वंचित रखने या पति की राष्ट्रीयता को ही ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है । भारतीय कानून में महिलाओं के इन अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करेगा ।

अनुच्छेद - 10 - सदस्य राष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के प्रति कोई भेदभाव. नहीं करेगा।

(क) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए जीविका एवं व्यवसाय की जानकारी देगा । तथा सामान्य स्कूली, तकनीकी शिक्षा के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुनिश्चित करेगा ।

(ख) परीक्षाओं के लिए सामान्य पाठ्यक्रम एवं सामग्री प्रदान करेगा ।

(ग) सह-शिक्षा को प्रोत्साहन देगा ।

(घ) छात्रवृत्तियों रथ अध्ययन के अन्य अनुदानों के लाभ का मान अवसर देगा ।

(ङ) वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के समान लगातार शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा ताकि स्त्री पुरूष में शिक्षा-भेद को मानवाधिकार दूर किया जा सके ।

(च) राज्य छात्रा छीजन (dropout) की संख्या को रोकने का प्रयास करेगा और जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है उनके लिए विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था करेगा ।

(छ) खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा में भाग लेने के लिए समान अवसर देगा ।

(ज) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की जानकारी के लिए अवसर एवं सूचना प्रदान करेगा ।

भारत में सभी प्रकार की शिक्षा, सभी स्तरों पर मुफ्त दी जाएगी । ऐसी कोशिश की जाएगी ताकि उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार हो सके।

भारत स्त्री-पुरूष दोनों के लिए एक समान पाठ्यक्रम की नीति का अनुसरण करता है । सह-शिक्षा की नीति निर्धारित की गई है । छात्रवृत्तियां एवं अनुदान सभी लड़कियों एवं लड़कों के लिए उपलब्ध है, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में सुविधारहित समूह से आने वाली लड़कियों एवं महिलाओं के विशेष समूह में सीखने की खुली व्यवस्था है ।

भारत में निरक्षरता उन्मूलन के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है । जिसमें अधिकांशत: प्रशिक्षु उत्साही महिलाएं हैं । लड़कियों को खेलकूद और शारीरिक शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर देकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में तैयार करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं ।

अनुच्छेद- 11 सदस्य राज्य रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करेगा ।

(क) काम का अधिकार सभी के लिए अपरिवर्तनशील अधिकार है ।

(ख) रोजगार के समान अवसर देने तथा इसके चयन में समान मापदण्ड अपनाए जाएंगे ।

(ग) रोजगार एवं व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार तथा पदोन्नति, नौकरी की सुरक्षा, सेवा-लाभ और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाने का अधिकार देगा ।

(घ) समान मजदूरी एवं लाभ तथा कार्य की गुणवत्ता के मूल्यांकन में समानता का व्यवहार होगा।

(ङ) सेवानिवृत्ति, बेरोजगारी, बीमारी, असमर्थता एवं बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त वेतन सहित छुट्टी का अधिकार मिलेगा ।

(च) कार्य करते वक्त स्वास्थ्य सुरक्षा तथा प्रजनन की सुरक्षा का 'अधिकार होगा ।

2. विवाह एवं प्रसूति के आधार पर महिलाओं के प्रति भेदभाव को रोकने के लिए राज्य उचित कदम उठाएगा ।

(क) गर्भधारण या प्रसूति के समय छुट्टी मिलेगी तथा वैवाहिक स्थिति के आधार पर बर्खास्तगी रोकी जाएगी ।

(ख) वरीयता एवं सेवा संबंधी अन्य लाभों को सुरक्षित रखते हुए सवैतनिक मातृत्व अवकाश दिया जाएगा ।

(ग) माता-पिता के पारिवारिक कर्तव्यों को काम की जिम्मेवारी से जोड़ते हुए सामान्य जीवन में उनकी भागीदारी

(घ) बढ़ाई जाएगी ।

भारतवर्ष में रोजगार में कोई भेद-भाव नहीं है । कहीं-कहीं महिला को प्रोत्साहित करने के लिए आरक्षण हैं । प्रसूति लाभों, वेतन सहित छुट्टी, गर्भधारण के दौरान छुट्टी आदि सम्मिलित है ।

अनुच्छेद 12

1. राज्य महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए स्वास्थ्य की देखभाल एवं परिवार नियोजन के उचित उपाय करेगा ।
2. राज्य महिलाओं के लिए गर्भधारण, प्रसूति और प्रसूति के बाद के समय के लिए मुक्त एवं समुचित सेवाएं सुनिश्चित करेगा ।

भारत में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा समान रूप से उपलब्ध है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों की संख्या इतनी बड़ी आबादी के लिहाज से अपर्याप्त है, क्योंकि यहां स्वास्थ्य के प्रति उदासीन मनोवृत्ति से निबटने का कोई साधन नही है । प्रसूति के दौरान समुचित देखभाल के अभाव मात्र से मृत्यु दर अधिक है ।

अनुच्छेद - 13

1. सदस्य राष्ट्र पारिवारिक सुविधाओं के लिए महिलाओं को कर्ज एवं उधार लेने के समान अवसर उपलब्ध कराएंगे ।
2. खेलकूद, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों में महिलाओं की समान भागीदारी सदस्य राष्ट्र सुनिश्चित करेंगे । भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की है ।

अनुच्छेद - 14

1. राज्य ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक मजबूती को सुनिश्चित करेगा ।
2. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण विकास के लाभों में महिलाओं का हिस्सा हो ।

(क) सभी स्तरों पर विकास -योजनाओं के विस्तार एवं क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी होगी।

(ख) परिवार नियोजन की सूचना, सलाह एवं सेवा के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी ।

(ग) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा ।

(घ) राज्य सभी प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा उपलब्ध कराएगा ।

(ङ) रोजगार एवं स्वरोजगार में वृद्धि एवं आर्थिक अवसरों के लिए स्वयंसेवी संगठन तथा सहकारी समितियों का गठन होगा ।

(च) सामुदायिक क्रियाकलापों में भागीदारी होगी ।

भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में महिला रख बाल विकास के तहत महिलाओं को, आय में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण तथा वित्तीय एवं अन्य सहायता दी जाती है । सरकार महिला मंडल योजना के लिए पहल कर रही है । इसके अलावा लघु बचत, निवेश तथा सहकारी समिति की कई योजनाएं भी है।

ग्राम, प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 173 भाग आरक्षित है । ग्रामीण क्षेत्रों में असुविधाजनक समूह के लड़कियों रख अन्य बच्चों के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल की गई है ।

सफाई, पानी, बिजली, परिवहन एवं दूर-संचार के न्यूनतम आधारभूत ढाँचे को विकसित कर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जीवन दशा सुधारने के प्रयास जारी है इससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्वरूप को बदलने तथा विकास की योजनाओं में महिलाओं को शामिल करने में मदद मिल रही है ।

अनुच्छेद - 15

कानून में महिलाओं को पुरुषों के अनुरूप समानता प्रदान की है । भारत में जाति ,पंथ, प्रजाति, निवास या लिंग को ध्यान में रखे बिना समानता को एक मौलिक अधिकार माना गया है ।

अनुच्छेद - 16

विवाह एवं पारिवारिक मामलों में राज्य महिलाओं के प्रति भेदभाव नहीं बरतेगा ।

(क) विवाह करने का अधिकार ।

(ख) जीवन-साथी के चयन का अधिकार ।

(ग) वैवाहिक जिम्मेवारियों तथा तलाक का अधिकार ।

(घ) बच्चों से संबंधित माता-पिता की जिम्मेवारियां ।

(ङ) बच्चों की संख्या एवं उनके बीच अंतराल रखने का अधिकार ।

(च) बच्चों को गोद लेने और अभिभावक का समान अधिकार तथा जिम्मेवारियां ।

(छ) पति -पत्नी के रूप में उनके व्यक्तिगत अधिकार, जिनके तहत उन्हें पारिवारिक नाम, पेशा या व्यवसाय चुनने का अधिकार है।

(ज) पति -पत्नी दोनों का सम्पत्ति के अर्जन, प्रबंधन, उसका उपभोग एवं निपटारा संबंधी समान अधिकार है, जो मुफ्त या क्षतिपूर्ति के आधार पर हो सकता है ।

2. सगाई या विवाह के लिए न्यूनतम उम्र का ध्यान नहीं रखे जाने पर इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा । विवाह का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

भारत में दहेज प्रतिबंध अधिनियम लागू है जिसमें दहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म है । भारत में विवाह एक व्यवस्थापक प्रबंध है जो टिकाऊ है । भारतीय महिलाओं को बहुत कम सम्पत्ति दी जाती है । जबकि दुनिया के अन्य देशों में उन्हें सम्पत्ति रखने या अपनी इच्छा से उसे बेचने का अधिकार है । विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष है । 15 वर्ष की उम्र होने पर मुस्लिम लड़की अपने पति को छोड़ भी सकती है । पारसी में लड़के एवं लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है । ईसाइयों में बाल -विवाह पर प्रतिबंध है ।

8.3 सारांश (summary-up)

संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा-पत्र द्वारा मानव के सम्मान. और योग्यता तथा स्त्री पुरूष के अधिकारों की समानता पर बल दिया गया है । मानवाधिकारों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र के प्रति राज्यों की जिम्मेदारी है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों के लिए महिलाओं को समान अवसर मिले । देश के पूर्ण विकास में समान शर्तो पर पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी हो ।

8.4 अभ्यास के प्रश्न (question for exercise)

1. महिलाओं के प्रति मानवाधिकार का संक्षिप्त में वर्णन करें ।
2. भारत में मानवाधिकार को कितने हद तक अपने कानून में समावेश किया गया है, इसकी समीक्षा करें ।
3. (क) क्या भारतवर्ष में महिलाओं को वोट देने का अधिकार हैं?

   (ख) क्या भारत की महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो सकती है?

   (ग) क्या भारतीय महिला विदेश सेवा में जा सकती है?

   (घ) क्या भारतीय महिला संसद की सदस्य हो सकती है?

   (ङ) पंचायत में महिला के लिए कितना स्थान सुरक्षित किया गया है?

8.5 प्रस्तावित पाठ (suggested reading)

1. महिला के प्रति होने वाले भेद भाव की समाप्ति हेतु समझौता प्रस्ताव
2. भारतीय संविधान- डी.डी बसु ।

इकाई-9 महिलाओं से संबंधित विवाह संबंधी अधिकार

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

9.0 उद्देश्य (Objective)
9.1 परिचय (Introduction)
9.2 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 (Hindu Marriage Act 1955)
9.3 आनन्द विवाह अनियम 1909 (Anand Marriage Act 1909)
9.4 मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम-1939 (Dissolution of Muslim Marriage Act 1939)
9.5 मुस्लिम महिलाओं के तलाक के पश्चात प्राधिकार रक्षा अधिनियम-1986, धारा 3 एवं 5 (Muslim women protection of Right on divorce act, Section 3 &5)
9.6 भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम-1872 (Indian Christian Marriage Act 1872)
9.7 पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम-1939 (Parsi Marriage Act 1939)
9.8 विशेष विवाह अधिनियम-1954 (Special Marriage Act 1954)
9.9 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)
9.10 प्रस्तावित पाठ (suggested reading)

9.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई का उद्देश्य आपको महिलाओं से संबंधित विवाह सम्बन्धी अधिकारों से परिचित कराना है। अर्थात् 'भारतवासियों में हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसियों में विवाह संबंधी अधिकार क्या है?", इस बात की जानकारी देना हैं। साथ ही विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देना है। '

9.1 परिचय (Introduction)

भारतवर्ष के विवाह संबंधी कानून की एक मुख्य विशेषता इसकी विविधता हैं आज के भारत में कोई एक ऐसी संहिताबद्ध विधि नहीं है जो प्रत्येक भारतीयों पर एक समान लागू होती हो चाहे वे किसी भी धर्म के मानने वाले हों। मुस्लिमों के लिए असहिताबद्ध विधि है जो उनकी स्वीय विधि (Personal Law) का एक हिस्सा है। हाँ, 1939 एवं 1986 में मुस्लिम महिलाओं के तलाक संबंधी अधिकारों को प्रदत्त करते हुए दो अधिनियम पारित हुए पन्तु ये अधिनियम मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों के समकक्ष नहीं ला सके। हिन्दुओं के लिए "हिन्दू विवाह अधिनियम 1955' है जिसमें महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए है। यह अधिनियम बौद्ध, जैन, सिखों पर भी लागू हैं।

ईसाईयों एवं पारसियों के लिए भी अलग-अलग अधिनियम हैं । इनके अलावा विशेष विवाह अधिनियम 1955 है जिसका उपयोग कोई भी धर्मावलम्बी स्वेच्छा से कर सकता है । इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि पक्षकार भारत के नागरिक हों या उनमें से कोई विशेष धर्म के अनुयायी हों । यह अधिनियम नागरिक विवाह (Civil Marriage) को मान्यता देता है ।

वैवाहिक अधिनियमों में इस विविधता का कारण यह है कि यहां विभिन्न धर्मों को मानने वाले रहते हैं और वैवाहिक संबंधों के बारे में वे अपना धार्मिक दृष्टिकोण रखते हैं । भारत के प्रथम गर्वनर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने सन् 1772 में यह आज्ञा दी थी कि भारतवासी अपने वैवाहिक मामलों में अपनी स्वीय विधि का पालन करेंगे । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान कि ' 'राज्य भारत की सीमाओं के 'अंतर्गत नागरिकों के लिए एकरूप नागरिक संहिता बनाने की चेष्टा करेगा " परंतु संविधान निर्माण के 50 वर्षों बाद भी आज तक इसके कार्यरूप में परिणत नहीं किया जा सका है और न निकट भविष्य में किए जाने संभावना है । इसका मुख्य कारण यह है कि वैवाहिक संबंध धार्मिक मान्यताओं से जुड़े है और संसद अल्पसंख्यकों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने में हिचकिचाती है।

यहां इस इकाई में उपरोक्त सात अधिनियमों की अंतर्वस्तु का संक्षेप में वर्णन किया जाएगा ।

9.2 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 (Hindu Marriage Act 1955)

इस अधिनियम का परिचय आप विस्तार से द्वितीय पत्र की इकाई 2 की उप इकाई (1) में पा चुके हैं । इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व हिन्दू विवाह संहिताबद्ध नहीं था और वेद, स्मृति, टीकाओं तथा प्रथा और रीति -रिवाजों पर आधारित था । इस अधिनियम के पूर्व अन्तरजातीय विवाह, तलाक, न्यायिक पृथक्करण, विवाह की अकृतता, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना वगैरह मान्य नहीं था । एक पुरूष अपनी पत्नी जीवित रहते हुए दूसरा, तीसरा विवाह कर सकता था ।

परन्तु इस अधिनियम के पारित होने जाने के बाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत दो हिन्दू स्त्री-पुरुषों के बीच विवाह तभी वैध माना जाता है जबकि उन्होंने निम्नलिखित शर्तें पूरी की हो:-

(i) दोनों पक्षों में यदि वह ' पुरूष है तो उसकी कोई पूर्व पत्नी और यदि वह स्त्री है तो उसका कोई पूर्व पति जीवित नहीं हो और यदि जीवित हो तो उनका तलाक द्वारा विवाह-विच्छेद हो चुका हो अर्थात वे कुंवारे /कुंवारी या तलाकशुदा या विधवा /विधुर हों ।

(ii) वे विकृतचित्त न हों । अर्थात विकृतचितत्ता इतनी नहीं हो कि वे विवाह के लिए विधिमान्य सम्मति न दे सकें कि सन्तोन्यत्ति न कर सकें । उन्हें बार बार उन्मत्तता या मिरगी का दौरा न पड़ता हो ।

(iii) विवाह के समय वर ने 21 वर्ष और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(iv) दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रतिषेध रिश्तेदारी में न हों ।

(v) दोनों पक्ष एक-दूसरे के सपिण्ड न हों ।

उपरोक्त शर्तों में शर्तसंख्या (Iv) एवं (v) तभी लागू होगा जबकि उन दोनों को शासित करने वाली कोई रूढ़ि प्रथा इसकी अनुमति नहीं देता हो ।

धारा 11 के अनुसार उपरोक्त धारा 5 की शर्त संख्या (I), (I9) एवं (P) के उल्लंघन में किया गया विवाह अकृत एवं शून्य माना जाएगा और न्यायालय दोनों पक्षों में से किसी पक्षकार द्वारा पेश की गई याचिका पर विवाह को अकृत घोषित कर सकेगा ।

धारा 12 शून्य करणीय विवाह के आधारों के बारे में है । इसके अनुसार कोई सक्षम न्यायालय किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत याचिका जो निम्नलिखित आधारों में से कोई एक हो पर विवाह को आज्ञप्ति की तिथि से शून्य और अकृत घोषित कर सकेगा ।

(i) प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाहेतर संभोग न हुआ हो ।

(ii) उपरोक्त धारा 5 की उपधारा (।।) का उल्लंघन हुआ हो ।

(iii) याचिकादाता की सम्पत्ति प्राप्त करने में बल या कपट का प्रयोग हुआ हो । परन्तु ऐसी स्थिति में बल के समाप्त होने या कपट के पता चलने के एक वर्ष के अन्दर याचिका पेश करना होगा और साथ ही यदि बल के समाप्त होने या कपट के पता चलने के बाद भी याचिकादाता 'अपनी पूरी सम्मति से दूसरे पक्षकार के साथ पति -पत्नी के रूप में रह रहे हैं । तो याचिका ग्रहण नहीं की जाएगी।

(iv) प्रत्युत्तरदायी याचिकादाता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से विवाह के समय गर्भवती थी एवं इस तथ्य से याचिकादाता उस समय अनभिज्ञ था और याचिका एक वर्ष के अन्दर पेश की गई हो तथा उपरोक्त बात का पता चलने के बाद याचिकादाता की सम्मति से वैवाहिक संभोग न हुआ हो ।

धारा 9 के अन्तर्गत कोई पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय यह पाने पर कि बिना युक्तियुक्त कारण के दूसरा पक्षकार प्रथम पक्षकार को साहचर्य नहीं दे रहा है, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापना के लिए आज्ञप्ति दे सकता है ।

धारा 13 के अंतर्गत उन आधारों का वर्णन है जिन पर पति या पत्नी याचिका पेश कर तलाक या न्यायिक पृथक्करण की मांग कर सकते है । तलाक की आज्ञप्ति होने पर विवाह भंग हो जाता है और वे एक दूसरे के पति पत्नी नहीं रहते । परन्तु न्यायिक पृथक्करण में विवाह भंग नहीं होता है । और वे एक दूसरे के पति -पत्नी बने रहते हैं मात्र उनके अलग रहने को न्यायिक मान्यता मिल जाती है । ये आधार निम्नलिखित हैं ।

(1) विवाह के बाद पत्नी या पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से स्वेच्छा मैथुन ।

(2) याचिकादाता के प्रति क्रूरता का बर्ताव ।

(3) याचिका पेश किए जाने के ठीक पहले कम से कम दो वर्ष तक बिना युक्तियुक्त कारण एवं बिना दूसरे पक्ष की सम्मति और इच्छा के प्रभित्यजन एवं उपेक्षा ।

(4) धर्मान्तरण द्वारा हिन्दू धर्म का परित्याग ।

(5) प्रसाध्य के रूप में विकृतचित्तता ।

(6) अव्यवहित उग्र एवं असाध्य कुष्ठ रोग ।

(7) अव्यवहित यौन रोग ।

(8) सन्यासी बनकर संसार का परित्याग ।

एवं सात वर्ष या अधिक अवधि में उन लोगों के द्वारा जो उसके जीवित रहने पर स्वभावत: सुना होता, नहीं सुना जाना कि वह जीवित है ।

इसके अलावा कुछ आधार तो सिर्फ तलाक के लिए हैं जैसे -

(क) न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के पश्चात् एक वर्ष या अधिक तक सहवास का पुनराम्भ नहीं होना ।

(ख) दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री के बाद एक वर्ष या उससे अधिक कालावधि तक दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन न होना ।

(ग) पत्नी को तलाक के लिए कुछ अतिरिक्त आधार भी दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं ।

(घ) विवाहोपरान्त पति का बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी होना ।

(ङ) यदि विवाह के समय पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम थी तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर सकती है ।

(च) यदि 18 मई, 1955 के पूर्व पति ने दो या दो से अधिक विवाह किए हों और वह याचिका पेश किये जाने के समय जीवित हो।

(छ) हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत डिक्री इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी और उसके बाद से एक वर्ष या उससे अधिक तक सहवास का पुनराम्भ नहीं हुआ है ।

धारा 13 (ख) में पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद के लिए याचिका दी जा सकती है जबकि वे एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग- अलग रह रहे हैं और साथ नहीं रह सकते ।

धारा 14 के अनुसार कोई न्यायालय तलाक के लिए याचिका ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि विवाह हुए एक वर्ष बीत नहीं चुका हो । परन्तु विशेष कठिनाइयों की परिस्थिति में एक वर्ष के पूर्व भी याचिका स्वीकार कर सकता है । परन्तु ऐसी स्थिति में वह उनके बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखेगा और साथ में यह भी देखेगा कि दोनों पति-पत्नी में सुलह की कोई- संभावना है या नहीं ।

9.3 आनन्द विवाह अधिनियम 1909(Anand Marriage Act1909)

5 धाराओं का यह अधिनियम 22 अक्टूबर 1909 से लागू किया गया । सिख सम्प्रदाय में एक प्रकार की वैवाहिक प्रथा जिसे 'आनन्द ' कहते हैं । हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 सिखों पर भी लागू है । अत : उनके विवाह ' 'हिन्दू विवाह के अधिनियम 1955 ' के प्रावधानों के अनुसार होता है । आनन्द विवाह ' हिन्दू विवाह अधिनियम 1909 का उद्देश्य सिखों की परम्परागत 'आनन्द विवाह ' को कानूनी मान्यता देना है । यह अधिनियम सिखों के अलावा अन्य किसी प्रकार के प्रथागत विवाहो पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा । इस अधिनियम द्वारा कोई ऐसा विवाह जो उनकी प्रथानुसार दो रक्त संबंधियों के मध्य होना अवैध है, वैध नहीं माना जा सकता । साथ ही कोई विवाह जिसे न्यायालय अकृत एवं शून्य घोषित कर चुका हो पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा ।

9.4 मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939(Dissolution of Muslim Marriage Act 1939)

मुस्लिम स्वीय विधि के अनुसार विवाह को तलाक द्वारा विघटित करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का है । वे स्वेच्छा से बिना कारण बताए । (1) अहसन (2) हसन (3) इला (4) जिहर (5) तलाक उल विद्दत (6) तलाक ई वदाई इत्यादि विधि से पत्नी को तलाक दे सकते हैं । हाँ, 'खुला' में पत्नी अपने मेहर जो उस प्राप्त करना बाकी था, को नहीं प्राप्त करने का वचन देकर या अन्य प्रकार की

आर्थिक क्षति पूर्ति कर पति से तलाक की मांग कर सकती है । या 'मुबर्रत ' में जहाँ पति-पत्नी दोनों ही तलाक चाहते हों तो दोनों की सहमति पर तलाक दे सकता है । परन्तु प्रत्येक अवस्था में तलाक देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का है । और इसके लिए न्यायालय के डिक्री की जरूरत नहीं है । तलाक मौखिक या लिखित में से कोई भी हो सकता है ।

अत: मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्रियों द्वारा विवाह विघटन के वादों से संबंधित मुस्लिम विधि के उपबन्धों का समेकन करने और उन्हें स्पष्ट करने तथा किसी विवाह बन्धन पर प्रभाव के बारे में शंकाएं दूर करने के लिए मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम पारित किया गया ।

इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार कोई मुस्लिम विवाहित स्त्री निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर विवाह विघटन के लिए न्यायालय से डिक्री पाने की हकदार हे।

(i) यदि विगत चार वर्षो से पति का ठौर -ठिकाना ज्ञात नहीं । परन्तु इस आधार पर पारित डिक्री 6 माह तक प्रभावी नहीं होगी और यदि पति स्वयं या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उक्त अवधि में हाजिर हो जाता है और दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन करने को तैयार हो जाता है तो डिक्री अप्राग्रय कर दिया जाएगा । परन्तु इस आधार पर लाये गये वाद में पति के वारिसों को सूचना दी जाएगी और पति के चाचा यथा भाई कोई हो तो पक्षकार बनाया जाएगा तथा उन्हें भी सुनवाई का अधिकार होगा।

(ii) यदि पति ने दो वर्षों तक भरण -पोषण में उपेक्षा की है ।

(iii) यदि पति को सात वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दण्ड दिया गया है परन्तु इसके लिए दण्डादेश का अन्तिम होना आवश्यक है ।

(iv) यदि पति तीन वर्षों तक अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में समुचित कारण बिना असफल रहा है ।

(v) यदि पति विवाह के समय से बराबर नपुंसक रहा है । परन्तु न्यायालय पति द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे एक वर्ष का समय दे सकती है कि वह नपुंसक नहीं रह गया है और ऐसा सिद्ध करने पर डिक्री नहीं पारित की जाएगी ।

(vi) यदि पति दो वर्षों तक उन्मत्ता, कुष्ठ या उग्ररतिज रोग से पीड़ित रहा है ।

(vii) यदि उसका विवाह 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व हुआ है और उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व ही विवाह का निराकरण (repudiation) कर दिया है और विवाहोत्तर संयोग नहीं हुआ है ।

(viii) पति उसके साथ क्रूरता से व्यवहार करता है । जैसे (क) मारना या क्रूर आचरण से जीवन दुःखी करना (ख) कुख्यात स्त्रियों की संगति में रह गर्हित जीवन बिताना (ग) अनैतिक जीवन बिताने पर मजबूर करना (घ) उसकी सम्पत्ति का व्ययन (ड) धर्म के अनुपालन में बाधा (च) एक से अधिक पत्नियों के रहते कुरान के अनुसार उनके साथ आचरण न करना इत्यादि।

(ix) कोई अन्य आधार जो मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह विघटन के लिए विधि मान्य है ।

धारा 4 किसी विवाहित मुस्लिम द्वारा इस्लाम से भिन्न किसी धर्म में संपरिवर्तन पर स्वयंमेव उसके विवाह का विघटन नहीं होगा परन्तु यदि वह चाहे तो उपरोक्त धारा 2 में वर्णित 9 आधारों में किसी पर विवाह विघटन की डिग्री प्राप्त कर सकती है । धारा 4 के उपबन्ध ऐसी स्त्रियों पर लागू नहीं

होगे जो किसी अन्य धर्म से इस्लाम में संपरिवर्तित हुई हो और उसने पुनः अपना भूतपूर्व धर्म अंगीकार कर लिया हो । इस अधिनियम का प्रभाव मुस्लिम विवाहित स्त्री के मेहर पर नहीं पड़ेगा ।

9.5 मुस्लिम महिलाओं के तलाक के पश्चात अधिकार रक्षा अधिनियम 1986 धारा 3 एवं 5 (Muslim women protection of Rights on Divorce Act 1986 , section 3 & 5

अधिनियम की धारा 3 यह उपबन्धित करती है कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा स्त्री निम्नलिखित की हकदार होगी ।

(क) इद्दत की अवधि में पूर्व पति से भरण -पोषण ।

(ख) यदि बच्चों का भरण -पोषण वह स्वयं कर रही है तो दो वर्षों तक की आयु तक बच्चों के भरण -पोषण की राशि ।

(ग) मेहर अथवा स्त्रीधन की राशि ।

(घ) विवाह के पूर्व, विवाह के समय या तत्पश्चात अपने नातेदारों, मित्रों या पति के नातेदारों या मित्रों द्वारा दी गई सम्पत्ति ।

यह उपरोक्त धन या सम्पत्ति का परिदान नहीं किया गया है तो वह तलाकशुदा स्त्री या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति परिदान हेतु मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा ।

धारा 5 यह उपबन्धित करती है कि यदि तलाकशुदा स्त्री और उसका पूर्व पति चाहे तो भरण-पोषण के आवेदन की प्रथम सुनवाई के दिन संयुक्त या पृथक रूप से शपथपत्र दाखिल कर सकते है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 तक के प्रावधानों से विनियमित होना चाहते हैं तो न्यायालय तदनुसार मामले का निपटारा कर सकेगा ।

9.6 भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 (Indian Christian Marriage Act-1872)

यह अधिनियम ईसाइयों के विवाह को नियमित करता है । उनके तलाक को अधिनियम करने के लिए "भारतीय तलाक अधिनियम" 1869 एवं" अधिवासी संपरिवर्तित ईसाइयों का विवाह अधिनियम 1866" है । परन्तु ये दोनों अधिनियम पाठ्यक्रम में नहीं है ।

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 अधिनियम उन व्यक्तियों के विवाह पर लागू होता है जिनके एक पक्ष या दोनों पक्ष ईसाई धर्म के मानने वाले हों और विवाह इस अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुकूल किया गया हो । अर्थात् (1) रोमन या ब्रिटिश गिरिजाघर के विशप द्वारा अधिकृत पादरी या (2) स्कॉटलैण्ड के गिरिजाघर के पादरी द्वारा चर्च के रीति रिवाजों एवं नियमों के अनुरूप या (3) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी धर्माधिकारी द्वारा या (4) इस अधिनियम द्वारा नियुक्त निबन्धक (रजिस्ट्रार) के द्वारा या उनकी उपस्थिति में या(5) किसी ऐसे व्यक्ति या (दण्डाधिकारी) द्वारा जिन्हें इस अधिनियम द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वे भारतीय ईसाइयों के बीच वैवाहिक प्रमाणपत्र जारी कर सकें, के समक्ष या उनके द्वारा कराया गया हो । विवाह एक विशेष विधि से होता है और इसकी प्रविष्टि विवाह पंजीका में की जाती है । विवाह प्रमाणित करने के लिए यह प्रविष्टि, साक्षियों के बयान और विवाहोपरान्त विवाहित का पति-पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत

करना इत्यादि साक्ष्य का सहारा लिया जाता है । साधारण तथा बिना विशप के विशेष आज्ञा या रीति-रिवाज के अपवादों को छोड़कर प्रातः छ: बजे से सायं सात बजे के अन्दर और गिरिजाघर के अन्दर होना आवश्यक है । परन्तु यदि पांच मील तक कोई गिरिजाघर न हो तो अन्य स्थान पर हो सकता है । इस नियम का उल्लंघन धारा 69 के अंतर्गत दण्डनीय है । विवाह के इच्छुक युगल में से किसी एक को अनुसूची में दिए गए प्रपत्र में दोनों के नाम, व्यवसाय, निवास स्थान एवं वहां निवास की अवधि में गिरिजाघर या स्थान का नाम जहां विवाह होता है इत्यादि गिरिजाघर के धर्माधिकारी को देना होता है और वह सूचना को गिरिजाघर के सहजदृश्य स्थान पर टांग देता है । परन्तु यदि विवाह गिरिजाघर में नहीं होता है तो वह विवाह सूचना निबंधक (रजिस्ट्रार) अपने कार्यालय के सहजदृश्य स्थान पर टांग देगा । सूचना के चार दिन बाद धर्माधिकारी या निबंधक (रजिस्ट्रार) यह संतुष्ट होने पर कि विवाह के प्रमाण -पत्र जारी करने में कोई अड़चन नहीं है, एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा । यदि प्रमाण-पत्र जारी करने के दो माह के अन्दर विवाह सम्पन्न नहीं हो तो प्रमाण-पत्र शून्य हो जाता है और नयी सूचना देनी होती है । यदि कोई पक्ष नाबालिग हो तो उनके पिता की,' यदि पिता जीवित न हो तो अभिभावक की, और अभिभावक भी न हो तो मां की पूर्वानुमति विवाह हेतु आवश्यक है ।

यदि विवाह धर्माधिकारी के द्वारा कराया जाता है तो खण्ड iv के अनुसार विवाह की प्रविष्टि पर दोनों पक्षों के एवं दो विश्वसनीय गवाहों तथा विवाह कराने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है । इस प्रविष्टि की प्रति विवाह निबंधक को पुन: निबंधक (रजिस्ट्रार) द्वारा महारजिस्ट्रार को प्रेषित किया जाता है । परन्तु भारतीय ईसाइयों के विवाह की आयु 18 वर्ष से कम न हो और वे या तो अविवाहित हों या विधुर हों या यदि विवाहित हों तो उनका तलाक हो चुका हो । अत : उन्हें इस बात की शपथ ईश्वर एवं प्रभु के नाम पर विवाह अधिकारी एवं दो गवाहों के समक्ष लेनी पड़ती है और तब वह अधिकारी विवाह नोटिस प्राप्ति प्रमाण-पत्र जारी कर विवाह रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा ।

परन्तु यदि दोनों पक्ष कलकत्ता, चेन्नई या मुम्बई में से किसी एक स्थान के निवासी हों और उनमें से एक नाबालिग हो और वे 14 दिनों के अन्दर विवाह करना चाहतें हो तो नोटिस की प्रविष्टि के बाद संबंधित उच्च न्यायालय से वे इस आशय का कि उन्हें 14 दिनों के अन्दर विवाह करने की अनुमति है, एक अनुमति पत्र विवाह रजिस्ट्रार को जारी करा सकेगा । परन्तु यदि कोई पक्ष नाबालिग हो तो उसका पिता या अभिभावक विवाह के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकता है और तब विवाह अधिकारी इस बात की जांच कर संतुष्ट होने के बाद ही प्रमाण -पत्र जारी करेगा । इस सम्बन्ध में यदि कोई विवाह हो या विवाह रजिस्ट्रार प्रमाण-पत्र जारी करने में अकारण असहमति जताए तो कलकत्ता, चेन्नई या मुम्बई के निवासी संबंधित उच्च न्यायालय और अन्य स्थानों के निवासी अपने स्थान के जिला जज के यहां आवेदन कर उचित आदेश प्राप्त कर सकते हैं ।

गलत घोषणा या गलत प्रमाण -पत्र जारी करने या बिना प्राधिकृत हुए विवाह कराने इत्यादि अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है । कोई भी विवाह जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुआ है, महज इसलिए शून्य नही हो जाएगा कि निम्न बातों में कोई अनियमितता हुई हो ।

(i) पक्षों के आवास या अभिभावक की सहमति के सन्दर्भ में
(ii) विवाह की सूचना के संदर्भ में या
(iii) प्रमाण-पत्र के संदर्भ में
(iv) विवाह के समय या स्थान के संदर्भ में या

(v) विवाह के पंजीकरण के संदर्भ में धारा 78 के अंतर्गत इन अनियमितताओं को सुधारा जा सकता है ।

9.7 पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936 (Parsi Marriage Act 1936)

सन् 1856 के पूर्व पारसी धर्मावलम्बी वैवाहिक मामलों में अपने रूढ़िगत विधियों से शासित होते थे । 1856 में प्रिवि काउन्सिल ने कहा कि तत्कालीन बम्बई सुप्रीम कोई पारसियों के वैवाहिक मामले में अधिनियम के अभाव में दखल नहीं दे सकते । अत : पारसियों के अभ्यावेदन पर 1865 में पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम पारित हुआ जिसमें संशोधन कर पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936 पारित हुआ ।

इस अधिनियम के अनुसार एक विशेष अदालत जिसका नाम "पारसी मुख्य वैवाहिक न्यायालय" है पारसियों के वैवाहिक मामलों में न्याय करेंगे । प्रेसिडेन्सी शहरों में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामनिदेशित कोई न्यायाधीश या अन्य शहरों में जिला 'पारसी मुख्य वैवाहिक न्यायालय ' के न्यायाधीश होते हैं । उनकी सहायता के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार कुछ पारसी प्रत्यायुक्तों (Delegates) को बहाल करती है जिनमें से किसी तीन की नियुक्ति पर किसी वाद के लिए पक्षकार आक्षेप (Challenge) कर सकते है । आक्षेपित प्रत्यायुक्तों को छोड़ शेष प्रत्यायुक्तों में से सात प्रत्यायुक्त उस वाद के तथ्यों पर राय देते है । जिनके लिए उन्हें चुना गया है । विधि और प्रक्रिया पर न्यायाधीश राय देते हैं परन्तु प्रत्यायुक्तों की राय बराबर विभाजित हुई तो तथ्यों पर भी न्यायाधीश की राय अंतिम मानी जाती है ।

पारसी विधि में तलाक के लिए अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत एक वाद दायर करना होता है और न्यायाधीश यह सुनिश्चित करते हैं कि तलाक के कारण मौजूद हैं और तलाक का अनुतोष मंजर न करने की कोई वजह नहा है और उपमर्षण (condonation) मौनानुकूलता (Contrance या सहमति Collerion) का मामला नहीं है और वाद दायर करने में अत्यावश्यक और अनुचित देरी नहीं हुई है तो तलाक की आज्ञप्ति जारी कर देगा ।

पारसी विवाह समारोह को " आशीर्वाद " कहते हैं । वैध पारसी विवाह के लिए यह आवश्यक है कि विवाह (1) पारसी धर्माधिकारी द्वारा सम्पन्न कराया जाए और वह आशीर्वाद के नियमानुकूल हो । (2) पक्षकारों के मध्य प्रतिषिद्ध नातेदारी न हो । (3) वे 21 वर्ष की आयु पुरी कर चुके हों । यदि आयु कम हो तो पिता या अभिभावक ने उनके विवाह हेतु सहमति दी हो । इन शर्तों के अभाव में विवाह शून्यकरणीय होता है । परन्तु निम्नलिखित शर्तों के अभाव में शून्य हो जाता है ।

(1) पति या पत्नी के जीवित रहते हुए एवं उनके मध्य में वैवाहिक सम्बन्ध जारी रहते हुए किसी अन्य स्त्री या पुरूष से विवाह ।

(2) किसी नैसर्गिक कारण से यदि उनके बीच यौन सम्बन्ध स्थापित होना असम्भव हो ।

पारसियों के लिए तलाक के वाद के लिए निम्नलिखित आधारों में से कोई एक आधार होना आवश्यक है ।

(क) पक्षकारों के मध्य विवाह के बाद एक वर्ष तक द्वितीय पक्ष के इच्छित के कारण विवाहेतर सहवास नही हो पाया है।

(ख) द्वितीय पक्ष विवाह के समय विकृत मस्तिष्क का था या थी और वाद दायर की तिथि एक विकृत मस्तिष्क का है परन्तु ऐसा वाद विवाह के तीन साल के अन्दर किया जाना चाहिए । साथ ही यह भी आवश्यक है कि वादी को द्वितीय पक्ष की विकृतचित्तता की जानकारी विवाह के समय नहीं थी ।

(ग) पत्नी विवाह के समय किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी और वाद विवाह के दो साल के अन्दर दायर किया गया हो और उपरोक्त बात की जानकारी के बाद उनके संभोग न हुआ हो ।

(घ) विवाह के पश्चात पति या पत्नी ने किसी अन्य मैथुन किया हो या अप्राकृतिक मैथुन या पशुगमन किया हो या पूर्व विवाह किया हो परन्तु ऐसा वाद जानकारी के दो साल के अन्दर दायर करना आवश्यक है ।

(ङ) प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को संगीन चोट पहुंचायी हो ।

(च) द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को यौन रोग से ग्रसित किया हो और इससे दो साल से अधिक न हुआ हो ।

(छ) पति ने पत्नी को वेश्यावृत्ति के लिये बाध्य किया हो ।

(ज) किसी अपराध के लिए द्वितीय पक्ष को 7 या अधिक वर्षों के लिए कारावास और उसने एक वर्ष सजा भोग भी लिया हो ।

(झ) द्वितीय पक्ष ने बिना उचित कारण के प्रथम को कम से कम तीन वर्षों के लिए छोड़ दिया हो ।

(ञ) न्यायिक पृथक्करण की अज्ञप्ति के तीन साल के बाद या अधिक तक उनके बीच वैवाहिक सहवास न हुआ हो ।

(ट) द्वितीय पक्ष ने वैवाहिक अधिकारों के पुर्नस्थापन कीं अज्ञप्ति के बाद एक साल बाद अज्ञप्ति के अनुसार वैवाहिक अधिकारों का पुर्नस्थापन न किया हो ।

(ठ) द्वितीय पक्ष ने पारसी धर्म त्याग दिया हो और बात की जानकारी हुए प्रथम पक्ष को दो साल से अधिक न हुआ हो ।

इस अधिनियम में पत्नी को तलाक के बाद उसके भरण पोषण का उचित आदेश देने का भी न्यायालय को अधिकार है । पत्नी के जार कर्म के कारण तलाक की अज्ञप्ति में पत्नी की सम्पत्ति का अधिक से अधिक आधा हिस्सा विवाह से उत्पन्न बच्चों के भरण-पोषण के लिए कर देने के आदेश का भी प्रावधान है ।

9.8 विशेष विवाह अधिनियम 1954 (special Marriage Act 1954)

इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किन्हीं दो व्यक्तियों का विवाह इस अधिनियम के अंतर्गत हो सकता है । व्यक्तियों से तात्पर्य यह है कि वे किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं । यहां तक कि पति एक धर्म एवं पत्नी अन्य धर्म मानने वाली हो । यह भी आवश्यक नहीं है कि एक पक्ष या दोनों पक्ष भारत के नागरिक हों । एक पक्ष नागरिक और दूसरा विदेशी या दोनों पक्ष विदेशी

हो सकते हैं । आवश्यक यह है कि कम से कम उनमें से एक पक्ष विवाह अधिकारी के जिला में उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर विवाह की सूचना दिए जाने से कम से कम 30 दिनों से रह रहा हो अन्यथा विवाह शून्य होगा (साधन कुमार बनाम श्रीमती सरस्वती राय (AR 1989 NOC 94)

अधिनियम की धारा 4 में दिए गए विवाह की आवश्यक शर्तें 1.5 के हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 में दिए गए शर्तों के अक्षरशः समान हैं । अतः उन्हें यहां पुन : दुहराने की आवश्यकता नहीं हैं केवल विवाह अधिनियम में सपिण्ड का प्रावधान नहीं है और प्रतिषिद्ध नातेदारी अनुसूची में दी गई है तो हिन्दू विवाह अधिनियम से भिन्न है । उसी प्रकार तलाक के आधार जो हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 एवं 13 ए में दिए गए हैं विशेष विवाह अधिनियम की धारा 27 एवं 28 से अक्षरशः मेल खाते है और इस अधिनियम की धारा 22 (दाम्पत्य अधिकारों के पुर्नस्थापन), धारा 23 (न्यायिक पृथक्करण) धारा - 26 (शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के प्रपत्यों की धर्मजता), धारा 27ए (विवाह - विच्छेद कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष), धारा 29 (विवाह के तीन वर्ष के अन्दर कोई तलाक की याचिका पेश न किया जाना), धारा 30 (कब तलाक प्राप्त पुन : विवाह कर सकेंगे) भी हिन्दू विवाह अधिनियम की क्रमश: धारा 9, 10, 16, 13 -बी, 14 एवं 15 के समान हैं । इसी प्रकार क्षेत्राधिकार और अदालती प्रक्रिया के प्रावधान भी समान हैं । अत : यहां पर सिर्फ उन्हीं प्रावधानों का जिक्र किया जाएगा जो हिन्दू विवाह अधिनियम से सर्वथा भिन्न है।

विशेष विवाह अधिनियम में सपिण्ड का कोई प्रावधान नहीं हैं और इसके प्रतिषिद्ध नातेदारी को अनुसूची 1 में दर्शाया गया हैं । इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार विवाह यदि जम्मू या कश्मीर में होता है तो दोनों पक्षों को भारत के उस किसी भाग का अधिवासी होना आवश्यक है, जहां यह अधिनियम लागू है । इस अधिनियम हेतु राज्य सरकार पूरे राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए एक या अधिक विवाह अधिकारी (Marriage Officer) नियुक्त कर सकती है जो व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करना चाहते है, उनके दोनों पक्षों को सम्मिलित रूप से द्‌वितीय अनुसूची में दिए गए प्रपत्र पर उस जिले के विवाह अधिकारी को क्षेत्राधिकार होगा जिस जिले में दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष सूचना देने के ठीक पूर्व कम से कम 30 दिनों से निवास कर रहा हो । विवाह अधिकारी उस सूचना को विवाह सूचना बही में दर्ज कर लेगा और उसकी प्रति अपने कार्यालय में स्थाई रूप से किसी सहज दृश्य स्थान में टांग देंगे । यदि पक्षकार उस जिले में स्थाई रूप से निवास नही करते हो तो उस सूचना को प्रकाशित करने के लिए जिले के विवाह अधिकारी को प्रेषित कर देगा जिस जिले में पक्षकार का स्थाई निवास है । सूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के अन्दर कोई व्यक्ति प्रस्तावित विवाह के विषय में आपत्ति दाखिल कर सकता है । ये आपत्तियां धारा 4 में दिए गए आवश्यक शर्तों के उल्लंघन के बारे में ही हो सकती है । अर्थात् (1) पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के पति या पत्नी का जीवित न होना (2) उनमें से किसी का विकृतचित्त न होना (3) विवाहेच्छुक वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की उम्र 18 वर्ष से कम न होना । (4) जम्मू कश्मीर -1 होने वाले विवाह में दोनों पक्षों का भारत का अधिवासी होना । उपरोक्त आपत्ति के प्राप्त होने पर विवाह अधिकारी सर्वप्रथम यह जाँच करेगा कि क्या आपत्ति सही है और तब तक विवाह सम्पन्न नहीं कराएगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, परन्तु जांच में आपत्ति को सही पाता है तो विवाह सम्पन्न कराने से इन्कार कर देगा और इन्कार के 30 दिनों के अन्दर पक्षकार यदि चाहे तो जिला न्यायालय में अपील कर सकता है और जिला न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा और पक्षकारों तथा विवाह अधिकारी पर बाध्य हगी । विवाह

अधिकारी को जांच में सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत (1) गवाहों को सम्मन करने एवं शपथ पर उसकी परीक्षा लेने, निरीक्षण दस्तावेज दाखिल करने के लिए बाध्य करने, शपथ-पत्र प्राप्त करने एवं गवाहों की परीक्षा के लिए कमीशन नियुक्त करने की शक्ति होगी और यह प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया होगी । विवाह सम्पन्न होने के पूर्व दोनों पक्षकार और तीन गवाह तृतीय अनुसूची में दिए गए प्रपत्र पर उद्घोषणा समर्पित करेंगे । विवाह, विवाह अधिकार के समक्ष या अन्यत्र (जिसके लिए उचित शुल्क देय होगा) किसी भी तरीके से हो सकता है । परन्तु दोनों पक्ष, गवाहों और विवाह अधिकारी के सामने एक दूसरे को यह कहेंगे कि "मैं (नाम) तुम्हें (नाम) अपना वैध पति/पत्नी स्वीकार करता/करती है। तत्पश्चात विवाह अधिकारी "विवाह प्रमाण बहा " में चतुर्थ अनुसूची में दिए गए प्रपत्र के अनुसार प्रमाण अंकित करेगा जिस पर दोनों पक्ष और तीनों साक्षी हस्ताक्षर करेंगे । यह विवाह का अन्तिम प्रमाण पत्र माना जाएगा । यदि विवाह विवाह अधिकारी को द्वितीय अनुसूची में दिए गए सूचना की तिथि से तीन महीने के अन्दर सम्पन्न नहीं हो तो पुनः सूचना देनी पड़ती ।

इस अधिनियम से परे यदि कोई विवाह अन्य प्रकार से सम्पन्न हुआ हो और पक्षकार यह चाहें कि उनके विवाह को इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कर लिया जाए तो वे इस अधिनियम की धारा 15 से 18 के अन्तर्गत अपने विवाह को पंजीकृत करा सकते है । औरत तब माना जाएगा जबकि विवाह इस अधिनियम के अनुसार हुआ है और अधिनियम के सारे प्रावधान उस विवाह पर लागू माने जायेंगे । परन्तु उन्हीं विवाहों का पंजीकरण कराया जा सकता है जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो (क) पक्षकारों के मध्य विवाह हुआ है और वे तब से- पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं । (ख) पंजीकरण के समय उनकी एक से अधिक पति या पत्नी नहीं है । (ग) दोनों में से कोई मूर्ख या पागल नहीं है । (घ) दोनों पक्षों की आयु 18721 वर्ष या उससे अधिक है । (ड) वे प्रतिषिद्ध नातेदारी में नहीं पड़ते हैं और (च) दोनों पक्ष पंजीकरण की याचिका समर्पित करने के कम से कम 30 दिनों पूर्व से उसी जिले में रह रहे हैं जिस जिले के विवाह अधिकारी को उन्होंने याचिका दी है । याचिका प्राप्त करने के बाद विवाह अधिकारी उसे प्रकाशित करेगा और 30 दिनों तक में यदि कोई आपत्ति किया गया तो उसकी जांच कर उचित निर्णय लेगा और यदि आपत्ति न हो तो पंचम अनुसूची के अनुसार एक प्रमाण पत्र विवाह पंजी में अंकित कर लेगा जिस पर दोनों पक्ष और तीन साक्षी हस्ताक्षर करेंगे । यदि उपरोक्त आपत्ति की जाँच से कोई पक्ष विक्षुब्ध हो तो वह जिला न्यायालय में जांच के निर्णय के कस दिनों के अन्दर अपील कर सकेंगे और अपील का निर्णय अंतिम होगी । इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण कराने पर उस तिथि से उस विवाह पर अधिनियम के सारे प्रावधान लागू हो जायेंगे । इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण से किसी अधर्मज (illegitimate) सन्तान को अपने माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति में कोई ऐसा अधिकार पैदा नहीं होगा जो अधर्मज होने के कारण नहीं होता । यदि कोई हिन्दू बौद्ध, जैन या सिख जो विवाह के समय हिन्दू अविभक्त परिवार का सदस्य था इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य धर्मावलम्बी से विवाह करता है । तो यह माना जाएगा कि वह संयुक्त (अविभक्त) परिवार से अलग हो गया है । साथ ही उत्तराधिकार के मामले में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम - 1925 (कुछ विशेष सन्तानों पर उसके नहीं लागू होने के प्रावधानों के बावजूद) इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाहित व्यक्तियों और उनकी शर्तों पर लागू होगा । परन्तु यदि किसी हिन्दु, बौद्ध, जैन या सिख पुरूष का विवाह किसी हिन्दू बौद्ध, जैन या सिख स्त्री से इस अधिनियम के अन्तर्गत

हो तो 'भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम ' लागू नहीं होगा और न उसे हिन्दू संयुक्त परिवार से अलग माना जाएगा ।

धारा 24 के अनुसार शून्य विवाह वह है तो धारा 4 के प्रथम चार प्रावधानों के प्रतिकूल हो । ये प्रावधान निम्नलिखित हे । (क) दोनों पक्षों में किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित न हो । (K) दोनों में से कोई इस हद तक विकृतचित्त न हो कि वे विवाह के लिए वैध स्वीकृति न दे सके या वे सन्तोन्यत्ति न कर सके या उनमें से किसी को पागलपन का बारम्बार दौरा पड़ता हो । (ग) पुरूष ने 21 वर्ष और स्त्री ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो । और (घ) वे एक दूसरे के प्रतिषिद्ध नातेदार न हो । इसके अलावा एक अतिरिक्त आधार यह है कि प्रतिपक्षी विवाह के समय से आज तक नपुंसक न रहा है ।

धारा 25 के अनुसार शून्यकरणीय विवाह की आज्ञप्ति के लिए निम्नलिखित आधारों में से किसी एक आधार का होना आवश्यक है ।

(1) विवाह पश्चात ऐच्छिक इन्कार के कारण विवाहोत्तर संभोग न हो पाया हो ।

(2) प्रतिपक्षी विवाह के समय किसी अन्य पुरूष से गर्भवती थी और वादी को इसकी जानकारी नहीं थी और जानकारी के पश्चात वादी को ऐच्छिक सहमति से उनके बीच विवाहोत्तर संभोग न हुआ हो और वाद विवाह के एक वर्ष के अंदर लाया गया हो ।

(3) किसी पक्ष की सहमति प्रपीड़न या धोखे से ली गई हो । परन्तु यह आवश्यक है कि प्रपीड़न के बन्द होने या धोखे के पता लगने के एक वर्ष के अन्दर वाद लाया गया हो । एवं प्रपीड़न के समाप्त होने या धोखे के पता लगने के बाद वे दोनों स्वतंत्र सहमति से एक दूसरे के साथ पति -पत्नी के रूप में नहीं रह रहे हों ।

9.9 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

(1) क्या कोई हिन्दू पुरूष स्त्री से विशेष विवाह अधिनियम 1०54 के अन्तर्गत विवाह कर सकता है? यदि हां तो उसकी आवश्यक शर्तें क्या है? क्या ये शर्तें हिन्दू विवाह अधिनियम - 1955 से भिन्न हैं?

(2) निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें -

(क) आनन्द विवाह **(ख)** आशीर्वाद **(ग)** दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन

(घ) विभिन्न विवाहों में पति -पत्नी की आयु सम्बन्धी आवश्यकताएं ।

(ङ) ईसाई विवाह में समय एवं स्थान संबंधी आवश्यकताएं ।

(च) प्रतिषिद्ध नातेदारी **(छ)** क्रूरता तलाक के आधार के रूप में ।

(3) विभिन्न विवाहों एवं विवाह विघटन अधिनियमों के अन्तर्गत तलाक के आधारों का एक तुलनात्मक ब्यौरा दें ।

(4) विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों का विवाह हो सकता है? यदि दो विदेशी भारत मे विवाह करना चाहें तो उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होंगी?

(5) विशेष विवाह अधिनियम एवं ईसाई विवाह अधिनियम में विवाह के पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें

(6) मुस्लिम महिलाओं के तलाक के पश्चात अधिकार रक्षा अधिनियम- 1986 की धारा 3 एवं 5 के प्रावधानों को समझाइए ।

(7) मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में तलाक के क्या आधार हैं?

(8) शून्य एवं शून्यकरणीय विवाह से आप क्या समझते हैं?

(9) न्यायिक पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? तलाक से इसका विभेद कीजिए । क्या मुस्लिम विधि में न्यायिक पृथक्करण का प्रावधान हे?

(10) विशेष विवाह अधिनियम 1954 किन पर लागू होता है?

9.10 प्रस्तावित पाठ (Suggested Reading)

(1) Hindu Law -D.F Mulla	N.M Tripathi Publication, Mumbai
(2) Family law - H.K Saharay	Central Educational Enterises ,Culcutta
(3) Special marriage act 1954	Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd
(4) Indian Christian marriage act1872	Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd
(5) Anand Marriage Act 1909	Statute Law Relating to Marriage & Divorse Law Publication house, Madras
(6) Parsi Marriage & Divorse Act1936	Statute Law Relating to Marriage & Divorse Law Publication house, Madras
(7) मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939	मुस्लिम विधि
(8) मुस्लिम महिलाओं के विवाह विच्छेद पर अधिकार रक्षा अधिनियम 1986	द्विभाषी संस्करण कानून प्रकाशन, गुरूद्वारा के सामने, आनन्द सिनेमा, जोधपुर

इकाई- 10 महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार

पाठ-संरचना (Lesson stucture)

10.0 उद्देश्य (Objective)

10.1 परिचय (Introduction)

10.2 ऐतिहासिक अवलोकन

10.3 स्त्रीधन की अवधारणा

10.4 महिलाओं के उत्तराधिकार की अवधारणा मिताक्षर एवं दायभाग प्रणाली

10.5 जनजातीय महिलाओं की संपत्ति का अधिकार

10.6 निवर्तमान विधान

10.7 तलाक /अलग रहने की स्थिति में भरण-पोषण/निर्वाह/व्यय संबंधी अन्य अधिकार

10.8 सारांश (Summing-up)

10.9 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

10.10 संदर्भ ग्रंथों की सूची (Suggested Reading)

10.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई में अध्ययन से आप महिलाओं की आर्थिक प्रस्थिति एवं इन्हें प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक के रूप में संपत्ति तथा उत्तराधिकार के ऐतिहासिक एवं वैधानिक स्वरूपों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ जनजातीय महिलाओं में संपत्ति का हस्तांतरण एवं भरण-पोषण, निर्वाह संबंधी अन्य अधिकारों से अवगत हो सकेंगे ।

इसके साथ ही संपत्ति के हस्तांतरण अथवा इस संबंध में उनके साथ किए गए भेदभाव को जान सकेंगे ।

निवर्तमान कानूनी प्रावधानों की अप्रासंगिकता तथा इसमें निहित त्रुटियों तथा आज उनके स्वरूप को समझने के साथ-साथ इसे न्यायोचित रूप से पुर्नपरिभाषित करने की उपादेयता को सामाजिक तथा वैधानिक आधार प्रदान कर सकेंगे ।

10.1 परिचय (Introduction)

भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलाधार कृषि है और जनंसख्या के आधे संघटक के रूप में महिलाएं भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भूमि से संबंधित है। भूमि संबंधी परिसंपत्ति का अधिकार महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपादेय है । साथ ही महिला सशक्तीकरण के इस दौर में मील का पत्थर प्रतीक होती है ।

छठी पंचवर्षीय योजना में यह राय बनी की नारी समानता की संवैधानिक गारंटी तब तक अर्थहीन है जब तक आर्थिक स्वतंत्रता का महिलाओं का अधिकार स्वीकार नहीं किया जाता ।

इस परिदृश्य में महिलाओं के विकास का मुद्दा महिला कल्याण से आगे बढ़कर भूमि संबंधी अधिकार, वन नीति (जनजातीय महिलाओं के लिए), स्वतंत्र आर्थिक गतिविधियों में उनकी पूर्ण भागीदारी तथा उनके लिए उपलब्ध निवेश के संसाधनों की सुविधा से जोड़ा गया है।

वर्तमान परिस्थिति में, जबकि घरेलू काम-काज का अधिकांश बोझ महिलाओं को ढोना पड़ता है, घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की ही है अथवा गृहिणी रूप ही महिला की मुख्य भूमिका है । ऐसी संकुचित सामाजिक अवधारणा में संपत्ति तथा रूपया-पैसा - आभूषण संबंधी निर्णय लेने का अधिकार विशेष रूप से पुरुषों द्वारा संचालित होता है ।

महिलाओं की संपत्ति संबंधी अधिकार, इनसे जुड़े कायदे-कानून विभिन्न समुदाय तथा क्षेत्रों में अलग-अलग हैं । इन अधिकारों का उपयोग तथा परिसीमन विभिन्न परंपराओं तथा धार्मिक ऐतिहासिक, राजनैतिक रथ सामाजिक मान्यताओं के मद्देनजर किया जाता है ।

आर्थिक असुरक्षा की स्थिति में जीवन-यापन खर्च, संरक्षण तथा उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों में महिलाओं को कम महत्व प्राप्त है । पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उनके साथ भेदभाव किया जाता है । आवश्यकता है कि संपत्ति संबंधी विधानों का पुर्नमूल्यांकन किया जाए ।

10.2 ऐतिहासिक अवलोकन अथवा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले की स्थिति

प्राचीन ऋषियों द्वारा विश्लेषित स्मृति ग्रंथ एवं विधानों में स्त्रीधन की संकल्पना परिभाषित की गई है । शाब्दिक विचार से स्त्रीधन का अर्थ महिलाओं की अधिकारिक संपत्ति है, लेकिन विभिन्न मान्यताओं में इनके अनेक स्वरूप निर्धारित किए गए हैं ।

मनु से लेकर याज्ञवल्क्य तक सभी संहिताकारों ने स्त्रीधन की परिभाषा तथा विश्लेषण के द्वारा समाज में महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकार की प्राचीन अवधारणा को सुस्पष्ट किया है ।

मनु संहिता में छः (6) प्रकार के स्त्रीधन का उल्लेख मिलता है, जो उपहार स्वरूप प्रतीत होते हैं, यथा

1) विवाह पूर्व दिया गया उपहार
2) विवाह के समय दिया गया उपहार
3) विवाह के पश्चात सभी बड़े बुजुर्ग द्वारा आशीर्वाद स्वरूप दिया गया उपहार (सभी पक्षों द्वारा)
4) पिता द्वारा दिया गया विशेष उपहार (जीवन की किसी अवस्था में)
5) माता द्वारा दिया गया धन- आभूषण
6) भाई अथवा भाइयों द्वारा दिया गया धन अथवा उपहार (मनु 1 ग 194)

कान्याभन तथा विष्णु ने इसके अलावा, पति के द्वारा प्रदत्त धन एवं उपहार को (जो कि पति व अन्य विवाह की स्थिति में प्रदान किया गया हो) भी स्त्रीधन में सम्मिलित किया ।

नारदे, आपस्तम्ब, व्यास तथा देवल आदि संहिताओं में विवाह शुल्क (प्रप्ताावि98 ।88) को भी स्त्रीधन में शामिल किया गया है ।

याज्ञवत्स के अनुसार : - स्त्रीधन वह संपत्ति है जिसे किसी स्त्री ने माता-पिता, भाई, पति, पति के संबंधियों द्वारा विवाह से पहले हस्तगत किया हो तथा विवाह उपरान्त इस धन को तथा अन्य

स्रोतों से प्राप्त धन (आदाय) को उस स्त्री को सौंप दिया जाए । इसमें विवाह शुल्क तथा अन्य धन जो शादी के बाद उस स्त्री को मिला हो शामिल हैं ।

मिताक्षर के लेखक विज्ञानेश्वर ने स्त्रीधन की अवधारणा को उपरोक्त से भिन्न दृष्टिकोण से परिभाषित किया है, मिताक्षर के अनुसार स्त्री को जो कुछ भी उसके माता -पिता, भाई, पति, मामा इत्यादि के द्वारा शादी से पूर्व मिला हो तथा शादी के बाद उसे हस्तगत हुआ हो अथवा स्त्री ने उत्तराधिकार के द्वारा, खरीद के द्वारा, विभाजन में मिले भाग- हिस्से के द्वारा, कज्जा-दाखिलकारी द्वारा अथवा पाने की स्थिति में जिस संपत्ति को हस्तगत करती है, वही उसका स्त्रीधन यह ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन प्रणाली में मिताक्षर द्वारा ही उत्तराधिकार में स्त्रीधन अथवा महिलाओं के संपत्ति के अधिकार की बात कही है ।

इसके अलावा दायभाग (बंगाली मान्यता) मिथिला, मद्रास, बनारस एवं बंबई की विभिन्न परपरा में भी कमोबेश स्त्रीधन की अवधारणा को इसी प्रकार परिभाषित किया गया है ।

10.3 स्त्री धन की अवधारणा

विवाद चिन्तामणि (मिथिला परंपरा) में स्त्रीधन की संहिताओं में वर्णित प्रकारों के साथ -साथ परित्यक्त के लिए भोजन वस्त्र सुनिश्चित करने के लिए देय धन को भी स्त्रीधन माना है ।

दाय भाग (बंगाली मान्यता) के अनुसार, इसका अधिकारिक लेखक श्रीमूतवाहन कहता है कि स्त्रीधन सिर्फ वही संपत्ति है जिसे महिला, अपने पति के नियंत्रण बिना, उपयोग, दान तथा खरीद बेच के लिए स्वतंत्र है ।

इस मान्यता के अनुसार स्त्रीधन की अवधारणा दो मूल्यों पर आधारित है । पहला यह कि स्त्रीधन (सभी प्रकार के) उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारियों को हस्तगत होगी तथा दूसरा कि स्त्री अपनी सुविधा अनुसार अपने धन का स्वतंत्र उपयोग नहीं कर सकती है ।

हालांकि श्रीमूतवाहन नहीं कहता है कि किस प्रकार के धन का उपयोग स्त्री स्वतंत्रतापूर्वक कर सकती है, अथवा किस धन को अपनी पति के सहमति से उपयोग कर सकती है । यह विरोधाभास विभिन्न कानूनी प्रावधानों में महिलाओं की संपत्ति के अधिकार को अस्पष्ट कर देता है तथा संपत्ति के मामले में महिलाओं के सीमित अधिकार की वकालत करता है ।

10.4 महिलाओं के उत्तराधिकार की अवधारणा हिन्दू

महिलाएं विभिन्न स्रोतों से संपत्ति अर्जित कर सकती है । यथा उपहार द्वारा, उत्तराधिकार द्वारा, बांट-बंटवारे के द्वारा, अपने श्रम एवं योग्यता द्वारा तथा पारितोषिक अथवा इनाम स्वरूप । लेकिन ये सभी संपत्ति स्त्रीधन का हिस्सा नहीं होता है । कोई संपत्ति स्त्रीधन है या नहीं ये निर्भर करता है कि

(1) संपत्ति किस स्रोत से प्राप्त हुई हे?

(2) संपत्ति प्राप्त करते समय स्त्री की प्रास्थिति (Status) क्या थी? यथा कुंवारी, संरक्षित, विधवा स्थिति

(3) किस मान्यता (school) के द्वारा स्त्री संपत्ति की हकदार हुई?

स्त्रीधन की अब मान्य अवधारणाओं के अनुसार वही संपत्ति स्त्रीधन मानी जाएगी जिस पर स्त्री का वास्तविक

और पूर्ण अधिकार है तथा जिसे वह अपनी खुशी से उपयोग कर सकती है । अन्य संपत्ति के मामले में उसे यह अधिकार नहीं है, उसे सिर्फ सीमित अधिकार की उत्तराधिकारी के रूप में पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा देने की परंपरा बनी । इसे मिताक्षर तथा दायभाग दोनों मान्यताओं द्वारा स्वीकार किया गया । फलस्वरूप पैतृक संपत्ति के बंटवारे में महिलाओं को परिभाषित स्त्रीधन के अलावा उत्तराधिकार के अन लाभ से वंचित कर दिया गया । यही परंपरा स्त्रीधन के बँटवारे में भी लागू मान लिया गया, जबकि कोई स्त्रीधन उसकी मृत्यु उपरात उसके पुरूष उत्तराधिकारी की संपत्ति होगी तथा महिला उत्तराधिकारियों का उस पर सीमित अधिकार होगा ।

विधवा होने की स्थिति में महिला को पारिवारिक संयुक्त संपत्ति में से सिर्फ भरण-पोषण का अधिकार मिला जबकि उत्तराधिकार उसके बेटों का माना गया ।

1937 के हिन्दू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम के अनुसार विधवा महिला को पुश्तैनी संपत्ति में पुत्रों के बराबर का अधिकार मिला । उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के दो पुत्र हैं तो उनके मरणोपरान्त उनकी संपत्ति के तीन बराबर हिस्सों में एक-एक हिस्सा उनकी विधवा को मिलेगा । लेकिन ये अधिकार उनके जीवन भर ही सीमित रहेगा । पुरूष उत्तराधिकारी के अभाव में पुश्तैनी संपत्ति बेटियों में बराबर बंट जाएगी ।

10.5 जनजातीय महिलाओं की संपत्ति का अधिकार

साधारणतया जनजातीय परिवार के दो मुख्य प्रकार होते है (क) पितृसत्तात्मक (ख) मातृसत्तात्मक । पितृसत्तात्मक परिवार में उत्तराधिकार सामान्यत: अन्य हिन्दू कायदे-कानून के अनुरूप कमोबेश निर्धारित होता है । यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सभी जनजातियों में स्थाई संपत्ति का व्यक्तिगत हस्तांतरण नहीं होता, वरन सामुदायिक मिल्कियत की अवधारण बनी रहती है । इसलिए विशेष रूप से महिलाओं की संपत्ति का अधिकार परिभाषित करना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

लेकिन मातृसत्तात्मक परिवार में यथा खारी, गारो, थारू, संथाल, ओरॉव, गोंड, भील तथा चेंचु इत्यादि समुदाय या कबीले की प्रधान महिला ही होती है । इस महिला प्रधान समाज में संपत्ति का विभाजन अथवा हस्तांतरण महिला से महिला को ही किया जाता है । (विद्यार्थी-पेज 385)

संपत्ति के उत्तराधिकार की अवधारणा की जनजातीय परिवार को पितृ अथवा मातृसत्तात्मक स्वरूप प्रदान करता है, यद्यपि पितृसत्तात्मक जनजातीय कबीलों में बेटियों को संपत्ति का अधिकार मिल जाता है, बशर्ते बेटी पिता के साथ ही अपने पति के साथ (घर जमाई) घर बसा ले । इस स्थिति में उत्तराधिकारी पुन: पुरूष वंश की परंपरा पर निर्धारित होने लगता है । (मजुमदार- पेज 36)

मातृसत्तात्मक परिवार में पुरुषों को उस संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है । बल्कि संपत्ति का हस्तांतरण मातृ-बेटी, बेटी की बेटी, परपरा पर होता है । अत: महिला पक्ष से महिला पक्ष को ही संपत्ति का अधिकार मिलता है । खासी जनजाति जो पूर्वी हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है, में किसी भी पुरूष द्वारा अर्जित संपत्ति उसकी मां को हो जाती है । इसके बाद अथवा मां की मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति का हस्तान्तरण उसकी पत्नी का हो जाता है । तत्पश्चात उसकी बेटी ही उस संपत्ति

की उत्तराधिकारिणी होती है । कुल में बेटी के नहीं होने की स्थिति में संपत्ति कबीले के प्रधान की हो जाती है तो कि स्पष्टतः महिला ही होती है । इस परिस्थिति में बेटी को गोद लेने की भी परंपरा है ।

गारो जनजाति में मुख्यतः संपत्ति का हस्तांतरण मां से बेटी को होता है, लेकिन स्व से अधिक बेटी होने की दशा में मां द्वारा अपने एक उत्तराधिकारी का चयन किया जाता है रम्य बाकी बेटियां अपने शादी के समय मातृ संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा ही ले पाती है क्योंकि उसे अपना परिवार अलग बसाना पड़ता है ।

तारावाद एक दक्षिण भारतीय जनजाति में सामूहिक रूप से संपत्ति का हस्तांतरण हर पीढ़ी में महिला से महिला को किया जाता है ।

अत : संरचनात्मक दृष्टिकोण से हम कह सकते है कि जनजातीय परपरा में स्थायी संपत्ति का सामूहिक अधिकार होने की वजह से वैयक्तिक उत्तराधिकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है ।

10.6 निवर्तमान विधान

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में महिलाओं के उत्तराधिकार से संबंधित कानून में व्यापक फेरबदल कर महिलाओं को समान अधिकार देने की व्यवस्था की गई ।

इसके अनुसार किसी व्यक्ति की स्वआश्रित संपत्ति में उसके पुत्रियों एवं पत्नी का पुत्रों के समान अधिकार प्रदान किया गया । इसके बावजूद यह अधिनियम महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार दिला पाने में असफल रहा क्योंकि मिताक्षर कापरसेनरी की अवधारणा के अनुसार यदि कोई पुरूष सदस्य मृत हो जाए तो उसका हिस्सा उसकी पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियों में समान रूप से बट जाएगा लेकिन वह हिस्सा जो कि पुत्र के अधिकार में जन्म जात होता है, पुत्र के ही पास रहेगा । तदर्थ पुत्र संयुक्त परिवार में जन्म से ही पिता के साथ संपत्ति का बराबर का हकदार हो जाता है तथा पिता की मृत्यु के बाद उसके हिस्से में माता -बहन के साथ भी पुन : हकदार होता है इसलिए उसे माता तथा बहन की तुलना में काफी बड़ा भाग मिलता है ।

उदाहरणतः कोई व्यक्ति 1 एकड़ जमीन अपने पीछे 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियों के साथ छोड़ जाता है तो पुत्र को एक तिहाई हिस्सा जन्म के साथ तथा पिता के हिस्से की 1 तिहाई में से माता तथा बहन को बराबर का हिस्सा अलग से मिलता है ।

इस अधिनियम के अनुसार पुत्री निवास स्थान में अपना हिस्सा नहीं मांग सकती वरन रह सकती है जबकि विवाहित पुत्री उस निवास में रहने की हकदार नहीं है । इसके अलावा पिता वसीयत के द्वारा भी पुत्रियों को अपने अधिकार से वंचित कर सकता है ।

ये कानून महिलाओं के प्रति भेदभाव से ग्रसित है । प्राय : भूमि तथा भवन महिलाओं की पति अथवा पिता के नाम पर होती है और महिलाओं को इसमें बराबर का हिस्सा देने का प्रावधान नहीं है।

10.7 भरण पोषण निर्वाह संबंधी अन्य अधिकार

वर्तमान कानून, पीरव्यक्त महिला, तलाकशुदा महिला को उसके पति अथवा परिवार द्वारा भरण पोषण का अधिकार स्वीकार करता है । यह अधिकार उन्हें अपराध दंड संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है इसके तलाक इत्यादि की कानूनी कार्यवाही के दौरान अथवा कार्यवाही समाप्त हो जाने के उपरान्त भी प्रदान किया जा सकता है ।

यह अधिकार हिन्दू महिलाओं पर लागू नहीं होता क्योंकि हिन्दू महिलाएं जिन्हें उनके पति ने त्याग दिया हो अथवा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो, वे हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण का मांग कर सकती है। इस अधिनियम में शर्त यह है कि न्यायालय शुल्क महिला को भरना होगा ।

अपराध दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मुस्लिम महिलाएं भी याचिका दायर नहीं कर सकती क्योंकि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार अधिनियम 1998 के पारित हो जाने के बाद वे इसी अधिनियम के आधार पर न्यायोचित अधिकार प्राप्त कर सकती हैं ।

भरण पोषण में भोजन वस्त्र और आवास की व्यवस्था सम्मिलित करने के लिए इसे व्यापक रूप से समझना चाहिए। हिन्दू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत भरण-पोषण भत्ते को तलाक की कार्यवाही के समय के लिए अथवा कानूनी रूप से अलग- अलग रहने तथा कार्यवाही की समाप्ति पर स्थायी निर्वाह व्यय के रूप में अथवा अंतिम फैसला हो जाने तक के लिए मांगा जा सकता है। केस की कार्यवाही के दौरान भरण-पोषण भत्ता मासिक होता है। जबकि स्थाई निर्वाह व्यय कुल धनराशि होती है; भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत जो ईसाईयों पर भी लागू होता है । भरण-पोषण की राशि मासिक आय के एक तिहाई (173) से अधिक नहीं हो सकती है । लेकिन, यह निर्धारित राशि उन महिला के भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं हो पाती क्योंकि न्यायालय के द्वारा अधिकांशत: 173 से 175 तक की मासिक राशि ही भरण-पोषण भत्ते के रूप में प्रदान की जाती है । अपराध दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत यह भत्ता राशि अधिकतम 500 रू. दी जाती है जो आज से 50 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी । कीमतों में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनजर यह राशि अत्यल्प है और इस धारा में व्यापक संशोधन करने तथा इसके लिए स्पष्ट कानून बनाने की आवश्यकता है ।

फिर भी महिलाएं अपने साथ लाए दहेज को प्राप्त करने की हकदार होती हैं । वे अपने धन जिसे उन्हें अपने माता- पिता, सास-ससुर द्वारा प्रदान किए जाते है, लेने की हकदार है ।

10.8 सारांश (Summary up)

वर्तमान परिस्थिति में महिलाओं के संपत्ति विषयक अधिकार सिर्फ अपूर्ण ही नहीं भेदभाव मूलक भी है । पैतृक संपत्ति में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार नहीं मिलने से आर्थिक रूप से अपंगता कि स्थिति में रहती है तथा उन्हें अपने सार्वभौम विकास की प्रक्रिया में परिवार के पुरूष सदस्यों के निर्णयों पर निर्भर रहता पड़ता है । अलग रहने की स्थिति में उन्हें पर्याप्त भरण-पोषण राशि नहीं उपलब्ध रहने के कारण कई आर्थिक-सामाजिक त्रासदियां झेलने को मजबूर होना पड़ता है । कानूनी प्रावधानों के अपर्याप्त रहने के कारण महिलाएं अपने परिवार के अन्य पुरूष सदस्यों की तरह अधिकार पूर्वक संपत्ति के बंटवारे की मांग नहीं कर सकती है ।

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं मुस्लिम महिलाओं के लिए व्यापक नियम -कानून उपलब्ध नहीं रहने से कई सामाजिक बुराई जन्म लेती है ।

वर्तमान कानून भी ऐतिहासिक परपरा पर आधारित है जो आज के समय में अप्रासंगिक सिद्ध हो चुकी है। बदले माहौल में महिलाओं के सामने अनेक चुनौतियां है जिसे सामना करने के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही लाभदायक है ।

वर्तमान विधानों का आमूल चूल परिवर्तन कर इन्हें महिलाओं के लिए समान रूप से उपयोगी बनाना समय की मांग

10.9 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

(1) स्त्रीधन की क्या मान्य अवधारणाएं है? ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख करते हु ए मिताक्षर स्कूल रख दायभाग स्कूल में संपत्ति के अधिकार के मुख्य अंतर को दर्शाइए ।

(2) जनजातीय जीवन प्रणाली में स्त्रियों की संपत्ति के अधिकार की क्या परंपरा है?

(3) वर्तमान कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करते हु ए महिलाओं की संपत्ति के अधिकार की समीक्षा कीजिए ।

(4) परित्यक्त एवं तलाकशुदा महिलाओं के में मांगा जा सकता है ।

(5) भारतीय समाज में स्त्रियों की संपत्ति के अधिकार की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए ।

10.10 संदर्भ ग्रंथ (suggested Reading)

(1) मुल्ला – हिन्दू ला ऑफ सक्सेशन

(2) ट्राइब्स इन इंडिया – पी.एल. विद्यार्थी

(3) ट्राइबल प्रैक्टिसेज – नदीम हसनैन

(4) इकॉनोमिक एन्थ्रोपोलोजी – डी.एन. मजुमदार

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की सूची

	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि
1.	स्नातक उपाधि प्रारम्भिक पाठ्यक्रम	6 माह
2.	भोजन एवं पोषण में सर्टिफिकेट	6 माह
3.	कम्प्यूटर ज्ञान एवं प्रशिक्षण का प्रारम्भिक पाठ्यक्रम	6 माह
4.	सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटिंग	6 माह
5.	पंचायती राज प्रोजेक्ट में प्रमाण-पत्र	6 माह
6.	संस्कृति एवं पर्यटन में प्रमाण-पत्र	6 माह
7.	महिलाओं में वैद्यानिक बोध में प्रमाण-पत्र	6 माह
8.	राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में प्रमाण-पत्र	6 माह
9.	बी.ए.एफ./बी.सी.एफ. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)	1 वर्ष
10.	आपदा प्रबंधन में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम	6 माह
11.	एच.आई.वी. और परिवार शिक्षा में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम	6 माह
12.	प्रबन्ध में डिप्लोमा कार्यक्रम	1 वर्ष
13.	एम.ए.(अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिन्दी)	2 वर्ष
14.	एम.बी.ए.	3 वर्ष
15.	पी.जी.डी.एच.आर.एम.	1 वर्ष
16.	पी.जी.डी.एफ.एम.	1 वर्ष
17.	पी.जी.डी.एम.एम.	1 वर्ष
18.	पी.जी.डी.एल.एल.	1 वर्ष
19.	टी.एच.एम.	1 वर्ष
20.	डी.एन.एच.ई.	1 वर्ष
21.	डी.सी.ओ.	1 वर्ष
22.	डी.एल.एस.	1 वर्ष
23.	डी.सी.सी.टी.	18 माह
24.	बी.जे.(एम.सी.)	1 वर्ष
25.	एम.जे.(एम.सी.)	2 वर्ष
26.	बी.लिब.	1 वर्ष
27.	पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
28.	बी.एड.	2 वर्ष
29.	पी.एच.डी.	3 वर्ष
30.	पी.जी.डी.ई.एस.डी.	1 वर्ष

कुल सचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा प्रकाशित एवं
प्रीमियर प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर द्वारा मुद्रित फोन : 2294887, 2295097